लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची
CONTENTS

अंक 23 गुरुवार मार्च 23, 1978/2 चैत्र, 1900 (शक)

No. 23 Thursday, March 23, 1978/Chaitra 2, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTION :	1—15
*तारांकित प्रश्न संख्या 434, 435, 437, 438 और 440	*Starred Questions Nos. 434,435 437,438 and 440	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTION :	15—116
तारांकित प्रश्न संख्या 427 से 430, 432, 433, 439 और 441 से 448	Starred Questions Nos. 427 to 430, 432, 433 439 and 441 to 448	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4074 से 4089, 4091 से 4105, 4107 से 4128, 4130 से 4153, 4155 से 4196, 4198 से 4235 और 4237।	Unstarred Questions Nos. 4074 to 4089 4091 to 4105, 4107 to 4128, 4130 to 4153 4155 to 4196 4198 to 4235 and 4237	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table.	116—118
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	118
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई स्थगित करने के निर्णय संबंधी समाचार—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— Reported decision of United States to put off release of enriched uranium for Tarapur Atomic Power Plant—	119—122
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	119
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	119
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G.M. Banatwalla	121
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	122
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	122
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee—	123
65वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Sixty fifth Report presented	

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	
15वां, 16वां प्रतिवेदन और अध्ययन यात्रा संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये।	Fifteenth, Sixteenth Reports and Reports of study Tours presented.	123
मेढकों के मांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध संबंधी याचिका	Petition re. Ban on Export of Frog's Flesh	123
दिल्ली विश्वविद्यालय में घटना संबंधी वक्तव्य श्री चरण सिंह	Re-Incident in Delhi University. Shri Charan Singh	124
निवारक निरोध के बारे में वक्तव्य	Statement re. Preventive Detention	124—115
श्री चरण सिंह	Sh. Charan Singh	124
सभा की कार्यवाही के बारे में	Re. Business of the House	125
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377	125—126
(एक) खेतड़ी तांबा परियोजना में हड़ताल का समाचार	(*i*) Reported strike in Khetri Copper Project	126
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh	
(दो) मुगल लाइन्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जिसके कारण कोंकण जाने वाले यात्रिओं को कठिनाई होने का समाचार	(*ii*) Reported strike by employees of Mogul Lines causing hardships to passengers going to Konkan	126
श्री बापू साहिब परूलेकर	Shri Bapusaheb Parulkar	
(तीन) रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली की दो लड़कियों के अपहरण का समाचार	(*iii*) Reported Kidnapping of two girls of Ramakrishnapuram, New Delhi.	126
श्री युवराज	Shri Yuvraj	
पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनियां (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबंध विधेयक— खण्ड 6 से 27 और 1	Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions Bill Clauses 6 to 27 and 1	126—131
संशोधित रूप में पास किये जाने का प्रस्ताव	Motion pass as amended—	
श्री बीजू पटनायक	Sh. Biju Patnaik	127
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	131
पत्तन विधियां (संशोधन) विधेयक—	Port Laws (Amendment) Bill	
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider	132—134
श्री चांद राम	Shri Chand Ram	132
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पास किये जाने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री चांद राम	Shri Chand Ram	133

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) दिल्ली संशोधन विधेयक;	Public Wakfs (Extension of Limitation) Delhi Amendment Bill	135—138
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht	135
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G.M. Banatwalla	135
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	136
श्री पी० राजगोपालनायडू	Shri P. Rajagopal Naidu	136
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	
पास किये जाने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री सिकन्दर बख्त	Shri Sikandar Bakht	136
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	137
श्री आर० एल० पी० वर्मा	Shri R.L.P. Verma	137
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	137
श्री केशव राव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge	137
विधेयक पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(एक) श्री पी० राजगोपाल नायडू का लघु कृषक और कृषि कर्मकार सुरक्षा विधेयक, 1978।	(*i*) Small Farmers and Agricultural Workers Security Bill by Shri P. Rajagopal Naidu	138
(दो) श्री पी० राजगोपाल नायडू का हथकरघों के लिये (कतिपय प्रवर्गों के) कपड़े का आरक्षण विधेयक,	(*ii*) Reservation of (Certain categories of) Cloth to Handlooms Bill by Shri P. Rajagopal Naidu	138
(तीन) श्री पी० राजगोपाल नायडू का गन्ना मूल्य (नियतन) विधेयक	(*iii*) Sugarcane Price (fixation) Bill by P. Rajagopal Naidu	139
(चार) श्री भगत राम का संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 310, आदि का लोप)	(*iv*) Constitution (Amendment) Bill (Omission of article 310, etc.) by Shri Bhagat Ram	139
(पांच) श्री हुकम चद कछवाय का संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)	(*v*) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 330 and 332) by Shri Hukam Chand Kachwai	140
(छः) श्री हुकम चन्द कछवाय का संविधान (संशोधन) विधेयक, (सप्तम अनुसूची का संशोधन)	(*vi*) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of seventh schedule) by Shri Hukam Chand Kachwai.	141

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
(सात) श्री हुकम चन्द कछवाय का संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 348 का संशोधन)	(*vii*) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 348) by Shri Hukam Chand Kachwai·	141
(आठ) श्री एल० एल० कपूर का संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 19 आदि का संशोधन)	(*viii*) Constitution (Amendment Bill) (Amendment of article 19 etc.) by Shri L.L. Kapoor	141
बेरोजगारी भत्ता विधेयक	Unemployment Allowance Bill -	139—140 & 142—148
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	140
श्री पी० राजगोपाल नायड	Shri P. Rajagopal Naidu.	142
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh	143
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A.C. George	144
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	145
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	145
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakappa	147
मानसिक स्वास्थ्य विधेयक	Mental Health Bill—	148—153
विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to consider	
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	148
डा० सरदीश राय	Dr. Saradish Roy	150
श्री एच० एल० पटवारी	Shi H. L. Patwary	151
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar	151
श्री पूर्ण नारायण सिन्हा	Shri Purna Narayan Sinha	152

लोक सभा

LOK SABHA

गुरूवार, 23 मार्च 1978/2 चैत्र, 1900 (शक)

Thursday, March 23, 1978/Chaitra 2, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

RED CROSS SOCIETY FUND MISSING FROM S.B.I., NEW DELHI

*434. SHRI UGRASEN
SHRI VASANT SATHE

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to USQ No. 4880 on the 22nd December, 1977 regarding Red Cross Society Fund Missing from S.B.I., New Delhi and state :

(a) whether the investigations in the case have been completed;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) by when the same is likely to be completed ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) According to the information furnished by the Indian Red Cross Society, the Police have investigated the case and the matter is now sub-judice.

(b) & (c). Do not arise.

श्री वसंत साठे : यह प्रश्न 22 दिसम्बर को पूछे गए प्रश्न के सम्बन्ध में है। पिछली बार भी आपने यह कहा था कि यदि मामला पहले ही पुलिस के समक्ष रखा गया है और पुलिस ने चालान किया है--मैं विषय वस्तु के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। वह तो न्यायाधीन होगा--

श्री राजनारायण : यह तो भाषण है। (**व्यवधान**) यह प्रश्न नहीं है। यदि वह प्रश्न पूछते ..... (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : मुझे खुशी है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रश्न यह है : अभियुक्तों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध कौन कौन से आरोप हैं ?

SHRI RAJ NARAIN : I had thought earlier that I will have to tell the names only but when I got this question from the Secretariat, what can I do ?

अध्यक्ष महोदय : नाम क्या है ?

SHRI RAJ NARAIN : I am telling the names. After proper investigation the Police have registered cases against the following persons : Sarva Shri Shiv Kumar, Ram Kumar, Mohammed Ayub, Asid Mohan Ghosh and Raj Kumar. This case is under consideration in the Court of Shri Brijesh Kumar, a Metropolitan Magistrate of New Delhi.

अध्यक्ष महोदय : उन पर कौन से आरोप हैं ?

SHRI RAJ NARAIN : Shri D. S. Bharadwaj, Advocate of the Indian Red Cross Society has informed the General Secretary of the Indian Red Cross Society that the date of hearing of this case in the Court of Metropolitan Magistrate was fixed 15-12-1977.

I am giving the information available with me. I shall also furnish the details of the charges when they are available with me.

Two of the accused *i.e.* Mohammed Ayub and Asid Mohan have confessed.

AN HONOURABLE MEMBER : What they have confessed ?

SHRI RAJ NARAIN : They have confessed that they withdrew money from the bank through cheques.

The Court has convicted them for their offences under Section 468, 471 and 428 read with Section 120 B of the Indian Penal Code. After being convicted they were released under Section 4(1) of the Probation offenders Act, as they were minor.

SHRI VASANT SATHE : Who were the minor ?

SHRI RAJ NARAIN : Mohammed Ayub and Asid Mohan Ghosh.

Two accused *i.e.* Raj Kumar and Ram Kumar were absconding and the Court declared them as accused. But they also appeared before the court and charges have been levelled against them also.

SHRI VASANT SATHE : What is the relation of Raj Kumar with Raj Narain ?

SHRI RAJ NARAIN : Raj Kumar has relation with Sanjay Gandhi. Prosecution is being launched against the 5th accused Shiv Kumar in the Court of the Metropolitan Magistrate, New Delhi for these charges.

SHRI VASANT SATHE : Charges have not yet been mentioned.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इनके बारे में बताया है। उन्होंने अनेक आरोप बताये हैं।

श्री वसंत साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि राजनारायण के पुत्र राजकुमार ने कितने रुपये का गबन किया है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

SHRI RAJ NARAIN : Sir, I had already pointed out that he will ask about the entire question. He first said that he wanted to know the names only and now he wants all the information stated that day. I am prepared to tell it again. With the permission of the Speaker I am replying to this question.

The internal inquiry conducted by the Society reveals that cheques were removed from the cheque books while sending papers from one officer to another. However further departmental action has been kept obeyance till a final decision by the Court. The State Bank of India encashed cheques worth Rs. 50,100 of the Indian Red Cross Society but when the Bank came to know that these cheques had forged signatures, they returned Rs. 50100 to the Bank.

श्री के० लकप्पा : उस दिन जब मंत्री ने यह जानकारी छिपायी थी तो हंगामा हुआ था, यथार्थ उनके पास वह फाइल थी जिसमें अपराधियों के नाम थे। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। इस तरह की कई घटनायें हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री के० लकप्पा : आपने मुझसे अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री के० लकप्पा: जैसा कि मैंने कहा है कि यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। रेड क्रास में भारी घोटाला है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसद सदस्यों की एक समिति जो देश में रेड क्रास सोसायटी की समस्त शाखाओं के संदेहास्पद मामलों की जांच करेगी, की सिफारिश पर माननीय मंत्री समूची रेड क्रास सोसायटी का पुनर्गठन करेंगे।

SHRI RAJ NARAIN : Sir, the question asked by honourable Shri Lakappa is actually not a Question. There is no question of misappropriation.

श्री के० लकप्पा : वह इससे इनकार कर रहे हैं।

SHRI RAJ NARAIN : This is not misappropriation. They stole 8 cheques from the Bank. 6 were encashed. 2 cheques could not be encashed. These two cheques were somehow torn while signing them. Now a sum of Rs. 50,100 received against the 6 cheques was returned to the Bank. These persons are being prosecuted. I have no intention to withhold any information. I consider a sin and over this issue I have been fighting for the last 20 years in the Parliament. If I myself with hold the information, it would mean that I was guilty .....(*interruption*). Mr. Lakappa, I am saying out of affection that you should be a good man (*interruption*).

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे बातचीत मत करिए।

SHRI RAJ NARAIN : I am replying to that. I am seeing that the dignity of the House is being violated every day. I, therefore, humbly request you.....

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रेड क्रास सोसायटी का पुनर्गठन करने जा रहे हैं।

SHRI VASANT SATHE : What the Minister has said—be a man and not be a Raj Narain—is objectionable.

SHRI RAJ NARAIN : I know that he cannot be Raj Narain. I therefore ask him to be a man.

I, therfore, would like that he should make suggestions. I shall submit all the suggestions to the President of the Society and accordingly the society will be reorganised. Reorganisation is going to take place in the first week of the next month.

अध्यक्ष महोदय : जब श्री साठे प्रश्न पूछ रहे थे तब आपने ही कहा था कि यह भाषण करने का अवसर नहीं है।

SHRI RAJ NARAIN : Those, who ask question, can not deliver lecture. The questioner can not deliver a lecture. He can put a concrete question only but he, who answers, can give complete answer to make it clear. (*interruption*).

श्री के० लकप्पा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मुझे जानकारी मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको जानकारी मिल गई है।

श्री के० लकप्पा : मैं संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण देता रहा हूं।

श्री के० लकप्पा : मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्या यह रेड क्रास सोसायटी का पुनर्गठन करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि नए चुनाव होने जा रहे हैं।

श्री राज नारायण : आप अपने सभी सुझाव भेजिये। मैं सभी सुझावों को रेड क्रास सोसायटी के उपाध्यक्ष के समक्ष पेश करूंगा।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am thankful to the Hon. Minister for the elaborate reply given by him. The Red Cross Society is a big organisation spread all over India and has a budget of crores of rupees. This is not the first complaint against it. When the Red Cross worked in Bangla Desh, things worth crores of rupees were sold in the market. Similar misuse occurred at the time of cyclone in Andhra Pradesh. I want to know whether such complaints have been received by you and, if so, what steps were taken to ensure that there was no recurrence of these things (*Interruptions*).

SHRI VASANT SATHE : At that time, Smt. Laila Fernandes was a big official there. (*Interruption*)

SHRI RAJ NARAIN : What has been said by Shri Kanwar Lal Gupta is true and it has come to our knowledge that in Bangla Desh as well as in Andhra Pradesh, Tamilnadu and Kerala at the time of cyclone, a lot of bungling took place. In the name of blankets, cotton type double sheets were distributed at many places. Our Minister of State himself went there and gave a report about his findings. I am repeating these things again and again.....

SHRI VASANT SATHE : At that time, all work was in the hands of Laila Fernandes.

SHRI RAJ NARAIN : Sir, the Congress Government had never given such a clear reply.

As I said, our Minister of State in Health Ministry went to Andhra Pradesh and investigated the complaints by going around. He has given a written report about the kind of bungling that took place and proper action is being taken thereon. But, Sir, our hands are tied, we want to open them.....

SHRI VASANT SATHE : Why are they tied ?

SHRI RAJ NARAIN : If the House so desires, and gives us the power, we will certainly untie our hands. The difficulty is that we do not have a direct control on this organisation as it gets grant from several sources. We asked the Home Ministry to have an inquiry made by the CBI into the charges. The C.B.I. officers came to us and told us that they could not inquire into this as this institution was getting money from several sources. Even then we again wrote to the Home Minister to make an inquiry through the C.B.I. Meanwhile, their own Managing Committee set up an inquiry commission. However, Shri Kanwar Lal Gupta objected to it. This led to enquiry commission to say that when there was no recognition to their inquiry, why should they inquire ? And they resigned.

SHRI VASANT SATHE : Laila Fernandes was also an officer of the Red Cross. It was in her time that it happened.....she had also distribute. .....

श्री राजनारायण : महोदय, लीला फर्नेडीज इस सभा में तो नहीं हैं। उनके बारे में जो कुछ कहा गया है उसे निकाल दिया जाना चाहिए (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : वह रेड क्रास की सदस्य थी। वह रेड क्रास की एक अधिकारी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा :

इस्पात संयंत्रों के कोयले की सप्लाई

*435. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री इस्पात संयंत्रों को दिये गय कोयले के बारे में 23 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों में ही मामले सुलझा लिये गये हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में मंत्रालय के सामने क्या कठिनाइयां हैं ;

(ग) क्या इस्पात मंत्री के इस सुझाव से इस्पात मंत्रालय को बहुत सहायता मिलेगी कि कोकिंग कोयला वाशरीज (और सम्बद्ध कोयला खानों) का कोल इंडिया लिमिटेड से "सैल" को अन्तरण कर दिया जाए ; और

(घ) इस्पात मंत्रालय को कोयला विभाग सौंपने से वे कहां तक हल हो जायेंगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (घ) : इस्पात कारखानों को मात्रा और क्वालिटी की दृष्टि से कोककर कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने की समस्या को सुलझाने के लिए इस्पात विभाग और कोयला विभाग के बीच बातचीत चल रही है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं मंत्री महोदय से, जो काफी प्रयत्नशील व्यक्ति हैं, यह जानना चाहता हूं कि क्यों इस बारे में समझौता नहीं होता है। यह लम्बे समय से लम्बित है। इसमें वास्तविक कठिनाई क्या है ?

श्री बीजू पटनायक : जब मंत्रालयों का विभाजन होता है तो पुनर्गठन सम्बन्धी बातों में समय लगता है। अतः निर्णय हो रहे हैं। मुख्य ध्यान इस बात का रखा जाता है कि इस्पात संयंत्रों को सही किस्म का कोकिंग कोयला उचित रूप से साफ किया हुआ तथा पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अतः इस मामले पर दोनों मंत्रालय में चर्चा चल रही है । हमें आशा है कि हम इसमें सफल होंगे।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस विषय पर चर्चा चल रही थी तो उस समय इस्पात मंत्री और ऊर्जा मंत्री के बीच मतभेद था साथ ही सामान्य चर्चा के दौरान क्या इस्पात सचिव और कोयला सचिव के बीच भी एक गम्भीर मतभेद पैदा हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : हम मंत्रालयों के बीच हुई चर्चा पर बहस नहीं करेंगे । जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है, सरकार एक है और इसे अलग-अलग हिस्सों में नहीं ले सकते हैं।

श्री बीजू पटनायक : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल की उचित मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित करने के बारे में मंत्रालयों में कोई मतभेद नहीं है। यह कैसे किया जाना है, इस पर दोनों मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, I want to know from the Hon'ble Minister since when the discussions are going on as he has stated in his reply that these are going on between the Department of Coal and how many meetings have taken place and how much time will be taken further in taking a final decision ? Which are those difficulties that are causing so much delay ?

श्री बीजू पटनायक : चर्चा तभी समाप्त होगी जब कारणों का पता लग जायेगा और सुधार हो जायेंगे।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Since when discussions are taking place and how many meetings have been held ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। वह यह जानना चाहते हैं कि कितनी बैठकें हो चुकी हैं।

श्री बीजू पटनायक : यथासम्भव शीघ्र यह किया जायेगा।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It has not been mentioned as to how many meetings were held and since when this matter is under consideration. The Hon'ble Minister should not evade the reply and should not hide the reality from the House and should disclose the real facts.

श्री बीजू पटनायक : मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। चर्चा चल रही है और यथा संभव शीघ्र अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I have asked this question. The Hon'ble Minister should answer my question. (*Interruption*). Sir, I had asked since when these meetings are going on and since when this matter is under consideration and how many meetings have been held ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह सूचना नहीं दे सकते हैं कि कितनी बैठकें हो चुकी हैं क्योंकि यह विस्तृत जानकारी है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It has been asked in the question. Why should the Hon'ble Minister not reply to it ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने कहा है कि सरकार को आशा है कि बहुत शीघ्र ही एक संतोषप्रद निर्णय हो जायेगा ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I have asked when action was initiated and how many meetings were held and by what time a decision will be taken and what is the reason that the matter has not been settled ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार न चिल्लाएं। यदि मैं व्याख्या के लिए कानों का फोन लगाऊं तो इससे मेरे कान फट जायेंगे। आखिर आप संसद में हैं । क्या आपको इस प्रकार चिल्लाना चाहिए ?

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Mr. Speaker, Sir, since when this matter is under consideration and how many meetings have so far been held in this regard and the time by which a decision is likely to be taken.

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसका उत्तर दीजिए ।

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि कितनी बैठकें हुई हैं ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I will sit if you ask me to sit but I want to say if you supress the Members to this extent it will not do. I had asked when the meetings started and how many meetings were held and when this matter arose and since when it is under consideration ? How many meetings have so far been held in Steel and Mines Department ?

श्री बीजू पटनायक : कितनी बैठकों का कोई प्रश्न नहीं है। यह लगातार चर्चा का विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : कब इस पर निर्णय होगा ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने कहा है, बहुत जल्दी ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The question is since when meetings are going on ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि लगातार चल रही है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Since when ?

श्री बीजू पटनायक : अभी हाल में हम आये हैं। पद ग्रहण करने के बाद जब कठिनाइयां पाई गईं तो हमने इन पर विचार करना शुरू किया।

In answer to the question that since when meetings are being held, the discussions going on for the last four, five months.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, I request for protection.

अध्यक्ष महोदय : वह और अधिक उत्तर नहीं दे सकते।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Sir, he has got the information. He wants to hide the facts deliberately. When according to the Hon'ble Minister both the Departments are considering this matter. I would like to know since when they are considering and how much time has since been taken and is proposed to be taken in this discussion and what is the basic problem that is creating hurdles in its settlement ?

अध्यक्ष महोदय : वह अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं। वह कहते हैं कि चर्चा चल रही है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : If you like it to be left I do so but in future it will not be so. Instead of giving protection to me you may please give us protection in this House because he wants to hide facts.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि गत पांच महीने से चर्चा चल रही है और शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा। यही उनका उत्तर है। इससे यह स्पष्ट है कि आप समझे नहीं हैं।

SHRI L. L. KAPOOR : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether he wants to consolidate the steel production by keeping coking coal washeries and steel plants together and whether he thinks their amalgamation would increase steel production and economise coal consumption ? Since where the Cabinet has been considering this question ? Whether he does not want to disclose the fact in ground of secrecy and whether the proposal is being delayed because the Energy Ministry is not according their approval ?

श्री बीजू पटनायक : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह विषय विचारणीय है।

श्री टी० ए० पई : जब कोयला खानें इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन थीं तो इस्पात कारखानों को भारत कोकिंग कोल से कोयला मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। पर इन्हें ऊर्जा मंत्रालय को सौंपने के बाद कठिनाई पैदा हो गई है। मेरे विचार से यह प्रबन्ध का प्रश्न है और सुसंगत उत्पादन हेतु कोकिंग कोयला खानें खान मंत्रालय के नियंत्रण में रखी जानी चाहिएं। समझ में नहीं आता कि स्थानान्तरण का प्रश्न ही कैसे पैदा हुआ। आशा है इस्पात मंत्री इस प्रश्न पर विचार कर इस का समाधान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है।

श्री बीजू पटनायक : मैंने माननीय सदस्य का सुझाव नोट कर लिया है। इसे समुचित प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मंत्री जी ने बताया है कि दो मंत्रालयों के बीच परामर्श हो रहा है यह प्रश्न इस लिए पैदा हुआ है कि कोकिंग कोयले में राख का जो अंश होता है वह बढ़ता जा रहा है जिससे इस्पात की गुणवत्ता तथा इस्पात कारखानों के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इस मामले में कब तक निर्णय हो जायेगा। यदि शीघ्र निर्णय न लिया गया तो इस्पात उत्पादन स्थिति और बिगड़ जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि मंत्री जी यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं कि परामर्श

शीघ्र समाप्त हो और भारत कोकिंग कोल को इस्पात और खान मंत्रालय के नियंत्रण में लाया जाए।

श्री बीजू पटनायक: माननीय महिला सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं हम उन्हें अपनी परामर्श प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखेंगे।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

*437. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1978 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "कुद्रेमुख और डील विद ईरान, इंडिया में इन्कर बिग लास" (ईरान के साथ कुद्रेमुख अयस्क सम्बन्धी करार, भारत को भारी हानि होने की संभावना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी, हां।

(ख) सरकार के विचार में समाचार में व्यक्त की गई आशंकाएं कल्पनाओं पर आधारित हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन्: प्रश्न में जिस लेख का उल्लेख है वह एक गम्भीर प्रकार का लेख है पर उत्तर में उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया है। प्रेस में एक लेख छपा है जिसमें कतिपय वित्तीय वचनबद्धताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और कहा गया है कि इनसे देश के हितों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। मैं मंत्री जी से आशा रखती थी कि वह वित्त सम्बन्धी आशंकाओं का समाधान करेंगे और बताएंगे कि लेख में कौन-कौन सी गलत परिकल्पनाएं की गई हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से संरक्षी उपाय किये गये हैं कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ते हैं तो प्रथम 150 लाख टन उत्पादन के मूल्यों के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा और मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं होगी।

श्री बीजू पटनायक: माननीय सदस्या अच्छी तरह जानती हैं कि ठेके के दो भाग हैं। पहला प्रथम 150 लाख टन के बारे में है और दूसरा कई वर्षों के लिए 1350 लाख टन के लिए है। प्रथम 150 लाख कुल निवेश पर आधारित होगा। यदि पूंजी निवेश में वद्धि होती है तो ईरानी सरकार इसे स्वीकार करेगी तथा, अनुपाततः ऊंचे मूल्य दिये जाएगे। इसके लिए एक सूत्र निर्धारित है जो संलग्न है। अतः अधिक पूंजी निवेश के आधार पर हानि नहीं होगी।

जैसा कि माननीय सदस्या जानती हैं विश्व मूल्यों के आधार पर प्रतिवर्ष 4 1/2 प्रतिशत की वृद्धि होती है। विश्व बाजार मूल्यों में घट-बढ़ हो सकती है पर यह कीमत स्थिर रहेगी। आप विश्व मूल्यों में वृद्धि की बात सोच रही हैं। अभी हाल में ही ये मूल्य काफी

घटे हैं। पर भारी पूंजी निवेश के कारण इसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा और 20 वर्षीय करार होने के कारण विश्व मूल्यों में उतार-चढ़ाव का इस पर असर नहीं पड़ेगा।

श्रीमती पार्वती कृष्णन्: दूसरा प्रश्न यह है कि इस लेख में बताया गया है कि मूल्य डालर में अभिव्यक्त किए गए हैं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या करार में मुद्रा के उतार-चढ़ाव के बारे में कोई संरक्षण शामिल किया गया है। अन्यथा हमें हानि उठानी पड़ेगी। बिना संरक्षण के इसे डालर मूल्य से क्यों जोड़ा गया है?

श्री बीजू पटनायक: माननीय सदस्या जानती ही हैं कि मुद्रा में विश्व भर में उतार-चढ़ाव आ रहा है। जब यह करार किया गया था तब एक डालर 7.50 रु० के बराबर था। बाद में यह 8.90 रु० हो गया। यहां तक कि यह 9.00 रु० तक पंहुच गया। पर अब यह लगभग 8.00 रु० से थोड़ा अधिक रह गया है। शायद माननीय सदस्या चाहती हैं कि डालर का मूल्य 1 रु० हो जाए और यदि कभी ऐसा होता है तो समग्र मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री जनार्दन पुजारी: इस परियोजना का प्रशासनिक कार्यालय बंगलौर में स्थित है जबकि परियोजना चिकमगलूर और मंगलौर में है। अधिकारी प्रायः रोज ही बंगलौर से मंगलौर जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं और इससे परियोजना को और नुकसान होता है। क्या सरकार प्रशासनिक कार्यालय मगलौर में ही स्थापित करना चाहती है?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री जनार्दन पुजारी: यह अनावश्यक व्यय के कारण पैदा होता है। प्रशासनिक दृष्टि से इस कार्यालय को मंगलौर में रखना वांछनीय होगा।

श्री बीजू पटनायक: माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि हमारे अधिकारियों के पंख नहीं हैं जो वे दुर्गम पहाड़ों से होकर मंगलौर से कुद्रेमुख उड़ जाएं। आप जानते ही हैं कि एक बहुत बड़ी सड़क बनाई जा रही है जो तैयार होने वाली है। मुझे आशा है कि ज्योंही यह सड़क बन जाएगी उक्त कार्यालय बंगलौर से मंगलौर ले जाया जाएगा।

श्री डी० बी० चन्द्रे गौडा: यह न केवल एक महत्वपूर्ण परियोजना है अपितु समय-बद्ध परियोजना भी है। जब ईरान और भारत के बीच यह करार हुआ तो उसमें एक शक्ति छण्ड का समावेश किया गया कि यदि भारत अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो 20 रु० प्रति टन के हिसाब से विलम्ब-शुल्क अदा करेगा। तो क्या मत्री महोदय बताएंगे कि करार में उस स्थिति के लिए भी कोई खण्ड शामिल किया गया है जबकि ईरान की ओर से उपबन्धों का पालन न हो?

श्री बीजू पटनायक: आप जानते ही हैं कि ईरान सरकार ने पूंजी लगाई है। जो 6,000 लाख डालर लगाएगा वह चाहेगा कि धन बेकार न जाए।

श्री डी० बी० चन्द्रे गौडा: यदि कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्या संरक्षण उपबन्धित किये गए हैं।

श्री बीजू पटनायक: 6000 लाख डालर।

श्री डी० बी० चन्द्रे गौडा : यदि भारत 1 सितम्बर, 1980 तक लौह अयस्क नहीं देता तो 20 रु० प्रति टन के हिसाब से विलम्ब शुल्क देना होगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अग्रिम तौर पर पूंजी लगा दी है ; इसलिए किन्हीं संरक्षणों की जरूरत नहीं है । वह अपनी पूंजी खो बैठेंगे ।

श्री ए० सी० जार्ज : ईरान को भेजे जाने वाले माल के मूल्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों के उत्तार-चढ़ाव के बारे में मन्त्री जी ने जो बयान दिया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने मूल्य-ढांचे में किसी विशिष्ट सूत्र की परिकल्पना की है कि क्या उत्पाद-मूल्य पूंजीगत निवेश से सम्बद्ध होगा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से है ।

श्री बीजू पटनायक : मूल्यों को पूंजीगत निवेश, ब्याज प्रभार, लाभ-सह संचालन खर्च, जिसका हिसाब माल के सम्बन्ध में पूंजी की वापसी सम्बन्धी करों की अदायगी के बाद लगाया जाएगा, के साथ सम्बद्ध किया गया है। यह सूत्र एक सुस्थापित सूत्र है और उस पर अच्छी प्रकार विचार किया गया है तथा हमारी सरकार को उसमें कोई खामियां नहीं दिखाई पड़ती ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाना

*438. **श्री मनोहर लाल :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए में न्यासी बोर्ड के गठन संबंधी प्रक्रिया विहित है । जिस प्रतिष्ठान में यह योजना लागू होगी वहां तदानुसार प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छः व्यक्ति बोर्ड के सदस्य होंगे ।

SHRI MANOHAR LAL : Mr. Speaker Sir, according to the answer given by the Honourable Minister, there is provisions for six representatives under section 5A. I want to know when these representatives were nominated on the Board of Trustees and what are their names and since when they are working and the basis on which the representation is provided ?

DR. RAM KIRPAL SINHA : Mr. Speaker Sir, the representatives of the employees subscribers are represented on the Board and the committee was constituted lastly on 16-12-1975 and its representatives are the following

कर्मचारी संगठन के परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को नियुक्त किया।

they are : ..

1. Shri Pardhuman Singh, Textile Mazdoor Ekta Union.
2. Shri Divakar, President Madhya Pradesh Trade Union Congress.
3. Shri Vimal Mehrotra, Vice-President, Hind Mazdoor Sabha.

4. Shri Sisir Kumar Ganguli, General Secretary, INTUC, Bengal.
5. Shri V. R. Hoshings, General Secretary, Rashtriya Mill Mazdoor.
6. Shri G. Sanjiv Reddy, President, Indian National Trade Union Congress, Andhra Pradesh.

SHRI MANOHAR LAL : Mr. Speaker Sir, I asked about the criteria of appointing these representatives ?

DR. RAM KRIPAL SINHA : In 1968 all the trade unions in respect of which verification was done, were given representation on the basis of the strength of the different trade unions at that time.

SHRI MANOHAR LAL : The honourable minister has stated that the representation was given on the basis of the strength of the different trade unions but I want to say that the wrong persons were appointed. Whether the honourable minister will take any action to see that the wrong persons who got the representations are replaced with genuine persons. Whether any action will be taken in this regard ?

DR. RAM KRIPAL SINHA : My suggestion is that we should wait for the expiry of their term. Then there will be scope for amendment in the act and then the issue can be debated.

SHRI MANOHAR LAL : I have asked what is the period ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि उनकी अवधि शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है और उसके पश्चात वह शीघ्र ही उस पर विचार करेंगे ।

SHRI MANOHAR LAL : I wanted to know about their term ?

डा० राम कृपाल सिंह : मैंने बताया है कि उनकी अवधि 5 वर्ष है ।

श्री पूर्णा सिंह : असाम टी० गार्डनस इम्पलाईज प्रोविडेन्ट फंड में से 1956 में कांग्रेस की जवाहर नगर डिविजन को एक लाख रुपया दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसे धनराशि को कैसे वापिस प्राप्त करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री पूर्णा सिंहा : यह प्रश्न उत्पन्न होता है। क्योंकि वह धनराशि कर्मचारियों की भविष्य निधि थी उसमें से रुपया दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह बात ठीक है । किन्तु हम यहां पर श्रम प्रतिनिधित्व पर बहस कर रहे हैं और उसके लिये मन्त्री महोदय को सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री विनोद भाई बी० सेठ : कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व न मिलने से बेचारे गरीब कर्मचारियों को बहुत कष्ट हुआ है । मैं माननीय मन्त्री महोदय का गुजरात के एक समाचार पत्र "फूलचाप" में दो दिन पहले प्रकाशित हुए एक सम्पादकीय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि एक कर्मचारी ने अपनी लड़की के विवाह के लिये अपनी भविष्य निधि में से 500 रुपये ऋण का आवेदन किया किन्तु उन्हें लड़की के विवाह के दिन तक कुछ मनगढ़न्त कारणों के आधार पर वह ऋण नहीं दिया गया यद्यपि उनके भविष्य निधि में 17000 रुपये थे ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं ?

श्री विनोद भाई बी० सेठ : क्या वह कृपा करके यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के मामलों को शीघ्र निपटाया जाये ताकि लोगों को समय पर ऋण मिल सके ।

डा० राम कृपाल सिंहा : यदि फार्म सही ढंग से भरा हो और अन्य कागजात संलग्न किये गये हों तो भविष्य निधि से ऋण के मामलों को हमेशा शीघ्र निपटाया जाता है । माननीय सदस्य ने एक मामले विशेष का उल्लेख किया है और वह मुझे इस सम्बन्ध में ब्यौरा दे सकते हों तो मैं इस मामले की जांच करूंगा ।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : All the political parties expect the Janta party, have their own trade unions. Now the members of the Janata party are pressurising the leadership to replace the representatives of the recognised trade unions. I want to know from the honourable minister whether any steps will be taken under the pressure of these members to change the norms which are prevailing at present.

डा० राम कृपाल सिंहा : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं होता ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : आप यह कैसे कह रहे है कि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता है ।

SHRI NATHU SINGH : These are a large number of bunglings being committed in the Employees' Provident Fund. As soon as the emergency was imposed, appointments made on the high posts.....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न श्रम प्रतिनिधित्व के बारे में है ।

श्री नाथू सिंह : मैं वही पूछने जा रहा हूं ..... । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जनता पार्टी के सदस्यों का प्रश्न उठा रहे थे इस प्रश्न का यह विषय नहीं है ।

श्री दारूर पुलय्या : महोदय, ऐसी बात नहीं है । प्रश्न का विषय यह था कि क्या सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है अथवा सत्तारुढ दल के कार्मिक संघों के साथ तरफदारी की जा रही है ? ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध नीति से है और ऐसा मामला एक प्रश्न के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता है ।

श्री दारूर पुलय्या : सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अधिनियम के अन्तर्गत कार्मिक संघों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है राजनीतिक दलों को नहीं ।

श्री वसन्त साठे : क्या वह सभी कार्मिक संघों को अथवा कुछ ही कार्मिक संघों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ?

SHRI NATHU SINGH : The appointments made on the high ranking posts were made from among the congress leaders.....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में यह मामला कैसे उत्पन्न होता है ?

SHRI NATHU SINGH :.....their relations were appointed on those posts. Mr. Nayak, who is holding the post of director was not a capable person for it, but even then, he was appointed on that post and that may have committed large scale bungling the funds.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप प्रश्न पूछिये ।

SHRI NATHU SINGH : It is because of that the representatives of the employees were taken in during December, 1975. The leaders of the employees who were taken, were thier stooges.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप असम्बद्ध प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

SHRI NATHU SINGH : I want to know whether the honourable minister will look into the bunglings being committed there.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । (समाप्त)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 439 । श्री प्रधान यहां नहीं है हम प्रश्न 440 लेंगे ।

नेपाल सीमा पर तस्करी रोकना

***440. श्री यशवंत बोरोले :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी रोकने हेतु नेपाल सीमा पर अथवा सीमा के साथ-साथ उचित प्रबन्ध करने के लिये नेपाल सरकार के साथ कोई बातचीत की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम, निकले, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) (क), (ख) और (ग) नई व्यापार एवं पारगमन संधियों को सम्पन्न करने के बारे में हुए विचार-विनिमय के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच भारत-नेपाल सीमा के आर-पार अनधिकृत व्यापार को रोकने से सम्बद्ध मामलों पर भी बातचीत हुई । 17 मार्च, 1978 को व्यापार एवं पारगमन संधियों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच अनधिकृत व्यापार के नियंत्रण के लिए एक अन्तर-सरकारी सहयोग करार भी सम्पन्न किया गया । इस करार में दोनों पक्षों द्वारा ऐसे सभी कदम उठाने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है "जो इस बात का सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि दोनों देशों के बीच अनधिकृत व्यापार के कारण एक-दूसरे पक्ष के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

श्री यशवंत बोरोले : क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि क्या दोनों देशों में हुए 17 मार्च, 1978 के अन्तर व्यापार समझौते में कुछ ठोस मार्गदर्शी सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई है ताकि भारत और नेपाल के बीच हो रहे अवैध व्यापार को रोका जा सके ।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : अवैध व्यापार, तस्करी और गबन की महत्वपूर्ण समस्या पर पहली बार बातचीत की गई है और नेपाल सरकार के साथ हमारा समझौता हो गया है। समझौता में तस्करी, अवैध व्यापार और वस्तुओं के गबन को रोकने सम्बन्धी सभी बातें तय की गई है और उसके बारे में ब्यौरा सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात भारत में वित्त मन्त्रालय और नेपाल के वित्त मन्त्री में तय किया जायेगा । इसमें यह व्यवस्था है कि यह दोनों मन्त्रालय अथवा इन दोनों देशों के सरकारों में प्रतिनिधि छः महीनों में कम से गम एक बार मिलकर इस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि वह प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू : दोनों देशों के कानून, नियम और विनियमों में परिवर्तन किया जायेगा ताकि इस प्रकार का अवैध व्यापार, तस्करी और गबन को रोका जा सके । सीमा शुल्क विदेशी मुद्रा और विदेश व्यापार तथा इस प्रकार के विषयों के सम्बद्ध में कुछ उपबन्धों में परिवर्तन करके तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया जायेगा । ऐसी भी व्यवस्था की जायेगी कि एक दूसरे के क्षेत्र में एक बार में आयात हुई वस्तुओं को वापिस निर्यात न होने पाये । इस समझौते का सब से महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस अवैध व्यापार से दोनों देशों के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव न पड़े ।

श्री यशवन्त बोरोले : किस वस्तुओं की तस्करी की जा रही है और यह तस्करी किस हद तक की जा रही है ।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : जिन वस्तुओं की हो रही तस्करी का हमें पता है वह अधिकतर इलैक्ट्रानिक्स वस्तुएं, ट्रांसिसटर, रेडियों, और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं हैं । इन वस्तुओं की जितनी तस्करी की जा रही है इस सम्बन्ध में मेरे पास सही आंकड़े नहीं है । पिछले वर्ष के दौरान जिस प्रकार की वस्तुएं छीनी गई उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह लगभग एक करोड़ होगी ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने अनुमान से बता रहे हैं अनुमान तो अनुमान है ; अब चाहे आप जो कहें ।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं कह नहीं सकता ।

श्री नानासाहिब बोंडे : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । भारत और नेपाल के बीच हो रही तस्करी में कितनी धनराशि की वस्तुओं का आयात निर्यात होता है और यह वस्तुएं कौन सी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया ।

श्री नानासाहिब बोंडे : मैं इस प्रश्न का उचित उत्तर चाहता हूं ।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैंने [माननीय सदस्य के लिये जो सूचना दी है उसको दोहरा दूंगा । तस्करी के बारे में सही सही आंकड़े नहीं है । किन्तु पिछले वर्ष छीनी गई तस्करी की वस्तुओं से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक करोड़ रुपये की होगी । बिजली और इलैक्ट्रानिक्स का सामान, स्टेनलैस स्टील और अन्य वस्तुओं की तस्करी होती है ।

श्री पी० के० देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारत सरकार के अनुरोध को मान लिया कि नेपाल को बंगला देश के लिये रास्ता दिया जाये ताकि दोनों देश बगला देश और नेपाल में दोतरफा व्यापार हो सके ।

श्री वसन्त साठे : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ।

श्री पी० के० देव : अगर ऐसा है तो सरकार द्वारा तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उठाये गये कदमों के बारे में बताया है ।

श्री पी० के० देव: उन्होने रास्ते के बारे में नहीं बताया है ।

अध्यक्ष महोदय: आप जितनी सूचना दे चुके उसके अतिरिक्त और कोई सूचना है ।

श्री समरेन्द्र कुन्डू: उन्होंने रास्ते के बारे में पूछा है । यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री पी० के० देव: उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

SHRI SHIVNARAIN SARSONIA: What are the steps being taken by the honourable minister to check the large scale sale of textile fabrics and cosmetics in the Delhi markets at present and from where these have been smuggled ?

श्री समरेन्द्र कुन्डू: महोदय, वह पूछ रहे हैं कि सरकार ने दिल्ली के बाजारों में बेचे जा रहे तस्करी के सामान पर रोक लगाने के लिये क्या कदम उठाये है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS

मजदूरों को दुबई से बाहर निकालना

*427. **श्री अनन्त दवे:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार मिला है कि दुबई में एक निर्माण कम्पनी द्वारा नौकरी पर रखे गए 900 मजदूरों को बिना किसी उचित कारण के निकाल दिया गया था और उन्हें उनकी मजदूरी भी नहीं दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या बम्बई में सीमाशुल्क विभाग द्वारा उनके पासपोर्ट उनसे ले लिए गए थे और कम्पनी के कहने पर उन्हें परेशान किया गया था ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है । दुबई में भारतीय दूतावास ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस प्रकार की कोई घटना उनके ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

INCIDENCE OF MALARIA

*428. SHRI S. S. SOMANI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the number of malaria patients in the country during 1976 and the extent to which the number of such patients has increased, till now; and

(b) the measures taken by Government to save the people from this dreadful disease ?

MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The number of malaria positive cases recorded in the country during 1976 is 64,67,215. According to reports so far received, the provisional figures of malaria positive cases for the country during 1977 are 44,37,250. Thus, there is a decrease of about 31.38 per cent.

(b) The Government of India have sanctioned a Modified Plan of Operations which is being implemented in the country from 1-4-1977 with the following main objectives.

1. Prevention of deaths due to Malaria
2. Reduction in the period of sickness.
3. Maintenance of industrial and agricultural production by undertaking intensive anti-malaria measures in such areas, and
4. Consolidation of the achievements attained so far.

A statement showing the salient features of the Modified Plan of Operations is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

The salient features of the Modified Plan of Operations are as follows :—

1. The existing NMEP Units have been reorganised to confirm to the geographical boundaries of the district. Previously the Chief Medical Officers of the districts were not involved in the programme, but with the re-organisation of the Units, they are primarily responsible for the programme in the district.
2. Increased quantity of various insecticides DDT, BHC, Malathion have been/are being supplied to the States. Alternative insecticides are also being provided to the Units/districts where the vector has become resistant to DDT/BHC.
3. Insecticidal spray operations have been undertaken in all rural areas which have incidence of 2 or more cases per thousand population.
4. Adequate quantity of anti-malaria drugs have been/are being supplied to the State/Union Territory Governments. About 2.00 lakhs Drug Distribution Centres/Fever Treatment Depots have been established to make the drug freely available. In areas where resistance to Chloroquine by parasites has been noticed, alternative anti-malarials like quinine have been supplier.
5. Anti-larval operations under Urban Malaria Programme have been intensified. The Scheme has been extended to 38 more towns besides the 28 existing towns existing earlier during 1977.
6. Supervision of the field staff has been tonned up.
7. Steps have been taken for undertaking both fundamental and operational research in the field of Malaria Eradication Programme. 14 research schemes i.e. 8 for operational field research and 6 for laboratory research on malaria has been associated by Government of India to ICMR.
8. For early examination of blood smears and quick treatment of positive cases, laboratory services have been decentralised to the BHC level.
9. With a view to control the spread of Plasmodium faloiparum infection which accounts for death to Cerebral malaria with the help of World Health Organisation, and intensive programme has been initiated in the States of North Eastern Region of the country.
10. The following steps for imparting health education regarding the disease and seeking public co-operation and participation for controlling have been taken :

(i) Panchayats and school teachers have been involved in the distribution of chloroquine tablets.

(ii) Drug Depots have been opened in inaccessible tribal areas. In some States this have been done in collaboration with the Tribal Welfare Departments.

(iii) A film 'The Threat' recently made has been released all over the country in fourteen regional languages.

(iv) Posters in regional languages "Fever May be Malaria. Take Chloroquine tablets" have been supplied to the States for display in Panchayat Ghars, Schools, Primary Health Centres and sub-centres.

(v) A pamphlet, in regional languages 'Malaria—what to do' giving the signs, symptoms dose schedule of chloroquine, indication of Contra-indication has been supplied to the States for distribution to Panchayats, school teachers and other voluntary agencies.

(vi) It is also proposed to orient the presidents and the secretaries of the Panchayats on Malaria.

(vii) Folder on the role of the Medical Practitioners has been supplied to the States for distribution to medical practitioners. Similarly, a pamphlet 'Why Malaria again'? has been supplied, to the States for distribution to the Deputy Commissioners, Chief Medical Officers and Block Development Officers for apprising them about the existing problems of malaria and the action proposed to be taken.

(viii) To dissaminate the anti-Malaria message, special postal stationery has been released Posts and Telegraphs Department.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा रजत जयन्ती के अवसर पर नकदी प्रोत्साहन दिया जाना

*429 **श्री के० राममूर्ति**
श्री सोमनाथ चटर्जी } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस वर्ष अपनी रजत जयन्ती मना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संगठन के कर्मचारियों को कोई नकदी प्रोत्साहन देने का है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस संगठन के कर्मचारियों के आश्रितों को छात्रवत्तियां प्रदान करने की मंजूरी दी है । ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को, जिसने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, एक एच० एम० टी० घड़ी का उपहार भी मिलेगा ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

*430. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 14 फरवरी, 1978 को कोई दुर्घटना हुई थी ?

(ख) उस दुर्घटना में कितने श्रमिक मरे थे ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन ।

(ग) गैस वाशर संख्या 7 और 8 की जल आपूर्ति लाइन की मरम्मत की जा रही थी और नाली के वाल्व खोलकर इस लाइन का पानी निकाल दिया गया था । सप्रवाहक जल

लाइन का जल वाल्व, जो उपर्युक्त लाइन को सेमिक्लीन गैस के मैन से जोड़ता है, लीक कर रहा था और सेमिक्लीन गैस के मैन से गैस लीक करके नाली के खुले वाल्व में होकर पिट में चली गई । लाइन को चालू करने से पहले जब पहला कामगार वाशर लाइन के ड्रेन वाल्व को बन्द करने के लिए पिट में उतरा तो वह गैस के प्रभाव से मर गया । दो अन्य कामगार, जो एक-एक करके उसे बचाने के लिए पिट में उतरे, गैस के प्रभाव से मर गए ।

"इस्को" को हुई हानि

*432. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष में "इस्को" को भारी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1976-77 में इस्को को कुल 16.31 करोड़ रुपए की हानि होने का अनुमान है । हानि होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) संयत्र प्रतिस्थापन योजना के बड़े भाग के लिए धन की व्यवस्था तथा कार्यकर-पूंजी की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सस्थानों से ली गई धन-राशि पर ब्याज का बोझ अधिक है।

(2) सरकार द्वारा कम्पनी का प्रबन्ध सम्भालने से पहले की अवधि में सामान्य प्रति-स्थापन/मरम्मत/रख-रखाव पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है तथा इस कार्य की उपेक्षा की गई है।

(3) लोहे और इस्पात के उत्पादन में इस समय जिस प्रौद्योगिकी को काम में लाया जा रहा है वह पुरानी हो गई है।

(4) कोक, तापसह ईंटों, स्टोर और फालतू पुर्जों की खपत अधिक है,

(5) कम्पनी के कुल्टी के कारखाने में निर्मित स्पन पाइप की मांग में कमी हो गई है ।

(6) कम्पनी की अपनी कोयला खानों में उत्पादन कम हुआ है, और

(7) आदानों की लागत में वृद्धि हुई है।

DIALYSIS MACHINES IN HOSPITALS AND NURSING HOMES

*433. SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to lay a statement showing :

(a) the number of hospitals and nursing homes in the country as a whole in which dialysis machines have been installed;

(b) whether Government have a scheme under their consideration for exempting the private hospitals or the relatives of a patient or a private doctor from customs duty who want to instal this machine; and

(c) whether Government have under their consideration a scheme to instal the machine in almost all big hospitals and provide medical treatment to patients by charging fee in proportion to the financial condition of the patient and if not, the reasons therefor ?

MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN) : (a) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(b) Haemodialyser (Artificial Kidney Machine) is a life saving equipment and is already exempted from payment of customs duty on import by individuals/hospitals.

(c) No, Sir.

Health care is a State subject and it would be for the concerned State Government to devise suitable arrangements and facilities keeping in view their financial resources, needs etc.

वर्ष 1978–79 में डाक-तार विभाग द्वारा उड़ीसा में कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

*439. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **संचार** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1978-79 में उड़ीसा सर्किल में नए मंडलीय कार्यालय, मुख्य कार्यालय, उप-कार्यालय तथा शाखा कार्यालय खोलने के लिए डाक-तार विभाग के पास क्या प्रस्ताव हैं;

(ख) उनमें से कितने डाकघर आदिवासी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में खोले जाएंगे;

(ग) उड़ीसा सर्किल में विभिन्न श्रेणियों के कार्यालयों की वर्तमान संख्या कितनी है और क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर राष्ट्रीय अनुपात की दृष्टि से उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय अनुपात के बराबर इनकी संख्या लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

	उप डाकघर	शाखा डाकघर
(1) कुल .	70	250
(2) आदिवासी क्षेत्रों में . . .	12	38
(3) औद्योगिक क्षेत्रों में .	28	कोई नहीं

वर्ष 1978-79 के दौरान उड़ीसा सर्किल में डाक डिवीजन और मुख्य डाकघर खोलने/बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ)

डाक

उड़ीसा में डाकघरों की वर्तमान संख्या 6377 है । इनमें से 718 डाकघरों में तारघर भी हैं । उड़ीसा सर्किल में एक डाकघर औसतन 24.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को डाक सेवाएं दे रहा है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एक डाकघर औसतन 26.67 वर्ग किलो-मीटर क्षेत्र को सेवाएं देता है । जनसंख्या की दृष्टि से उड़ीसा सर्किल में एक डाकघर औसतन 3441 व्यक्तियों को डाक सेवाएं दे रहा है जबकि इसके अखिल भारतीय आंकड़े 4447 व्यक्ति प्रति डाकघर हैं । इस प्रकार सेवा पाने वाले क्षेत्र और जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से उड़ीसा सर्किल के औसतन राष्ट्रीय औसतों के मुकाबले अच्छे हैं ।

दूरसंचार

15-2-78 की स्थिति के अनुसार औसत संबंधी अखिल भारतीय आंकड़ों की तुलना में उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन घरों (पी० सी० ओ०) और तारघरों द्वारा सेवा पाने वाली जनसंख्या और क्षेत्र के औसत आंकड़े इस प्रकार हैं :

	सेवा पाने वाली औसत जनसंख्या		सेवा पाने वाली औसत क्षेत्र वर्ग किलोमीटरों में	
	पी० सी० ओ० से	तारघर से	पी० सी० ओ० से	तारघर से
उड़ीसा	59,123	30,048	420	213
अखिल भारत .	73,408	34,201	441	205

इस प्रकार उड़ीसा में टेलीफोन और तार सुविधाओं की व्यवस्था कुल मिलाकर देश की औसत व्यवस्था से बेहतर है।

INCOME TO CENTRAL GOVERNMENT FROM ROYALTY ON MINES IN BIHAR

*441. DR RAMJI SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the annual income of the Central Government from royalty, etc., from all the mines in Bihar;

(b) the part thereof again given to Bihar by Central Government for the industrial or agricultural development of the State; and

(c) whether Government would consider providing more grant to Bihar keeping in view the backwardness of the State and income earned therefrom ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a), (b) and (c) The royalty on minerals is payable by the holders of mining leases to the concerned State Governments. As no royalty on minerals is received by the Central Government, the question of giving part thereof back to the State Government or providing more grants in this respect to State Goernment does not arise. However, Central assistance for the State plans, not related to any particular scheme or programme, is given in the shape of block loans and block grants in accordance with the principles laid down in the 'Gadgil Formula'.

ROYALTY PAID TO M. P. GOVERNMENT ON MINERALS

*442. SHRI Y. P. SHASTRI
SRI RAGHAVJI } Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the royalty by the Central Government to the Madhya Pradesh Government on the mineral deposits in the State is very less;

(b) if so, whether, with a view to improve the economic condition of the State the Central Government will review and refix the rates of royalty;

(c) if so, the names of the minerals in respect of which the rates will be increased and how much and from what date; and

(d) the annual benefit likely to accrue to the State Government as a result thereof ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a), (b), (c) and (d) The royalty on minerals by holders of mining leases, payable to the concerned State Governments, are applicable throughout India including Madhya Pradesh. Under

section 9(3) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, Central Government can enhance the rate of royalty in respect of any mineral only once during any period of four years. The rates of royalty on the minerals except a few like iron ore, manganese ore and copper ore were revised in 1975. It is proposed to shortly revise the royalty rates in respect of iron ore, copper ore, manganese ore, magnesite and sand for stowing. Until a final decision is taken regarding the specific increases in royalty rates on different minerals, the amount of benefit likely to accrue to the State Government of Madhya Pradesh cannot be estimated.

इंडियन मेडिकल एसोसियेशन को केन्द्रीय अनुदान

*443. **श्री दुर्गा चन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इंडियन मेडीकल एसोसिएशन को कोई अनुदान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में एसोसिएशन को वर्ष-वार कितनी राशि के अनुदान दिये गये;

(ग) क्या यह सच है कि एसोसियेशन रोगियों के हितों की देखभाल न करके केवल गैर सरकारी चिकित्सकों के हितों की देखभाल करता है;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली में पंजीकृत चिकित्सक तथा एसोसिएशन के सदस्य रोगियों से बहुत अधिक परामर्श फीस लेते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कन्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी हां, मुख्यतया ऐसा ही है। वैसे, इस संघ की आचार संहिता है और यह संघ विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा महामारी, प्राकृतिक संकटों आदि के दौरान चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने जैसे अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से रोगियों के हितों की परोक्ष रूप से रक्षा करता है।

(घ) दिल्ली अथवा देश के किसी भी भाग में चिकित्सा कार्य कर रहे चिकित्सकों की सेवाओं के लिए उनके मेहनताने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है और स्वास्थ्य विभाग/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का इसमें कोई हाथ या नियंत्रण नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारतीय चिकित्सा संघ को जो सहायता स्वरूप अनुदान दिए गए वे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	धनराशि	प्रयोजन
1	2	3
(1) 1975-76	10,000 रुपये	सितम्बर, 1975 में आयोजित किए गए जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन पर हुए खर्च को पूरा करने के लिए।

1	2	3
	20,300 रुपये	बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्यों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के सेवा संबंधी पहलुओं में विषय-परिचायक ज्ञान दिलाने हेतु पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए।
	10,000 रुपये	नियोजित पितृत्व पर पत्रिका का विशेष अंक प्रकाशित करने के लिए।
	9,600 रुपये	भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा प्रकाशित "योअर हैल्थ" और "आपका स्वास्थ्य" नामक पत्रिकाओं में परिवार नियोजन के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए।
(2) 1976-77	45,000 रुपये (कुल 90,000 रु० की धनराशि की पहली किश्त के रूप में)	पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के चार राज्यों के एक-एक जिले में प्राइवेट चिकित्सकों को परिवार कल्याण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए।
(3)	30,000 रुपये	राष्ट्रमंडल चिकित्सा संघ की आठवीं दोसाला बैठक और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक सम्मेलन के आयोजन का व्यय करने के लिए।

नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित वर्कशाप

*444. **श्री अघन सिंह ठाकुर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष जनवरी, में नई दिल्ली में एक वर्कशाप प्रायोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो वर्कशाप में भाग लेने वाले देशों का क्या ब्यौरा है और उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई है ;

(ग) क्या वर्कशाप में भेषजों की बढ़िया किस्म सुनिश्चित करने के लिये विधान बनाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

एक औषधि गुणवत्ता नियन्त्रण कार्यशाला नई दिल्ली में 16 से 20 जनवरी, 1978 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित की गई थी।

2. इस कार्यशाला में निम्नलिखित देशों ने भाग लिया :

(1) बांग्ला देश
(2) वर्मा
(3) भारत
(4) इन्डोनेशिया
(5) नेपाल
(6) श्रीलंका
(7) थाईलैण्ड

कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी :—

(i) औषधि नियन्त्रण के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू।
(ii) औषधि गुणवत्ता नियन्त्रण गें उपकरण-विनियोग का महत्व।
(iii) औषधि गुणवत्ता नियन्त्रण।
(iv) अच्छी निर्माण पद्धतियां और गुणवत्ता नियन्त्रण।
(v) सूक्ष्मजीव विज्ञान सम्बन्धी जांच के सिद्धांत।
(vi) औषधि नियन्त्रण प्रयोगशालाएं और औषधि विश्लेषर्ण।
(vii) औषधियों के कानूनी पहलू।

3. कार्यशाला ने औषधीय गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में विशेषकर अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस आवश्यकता को पहले से ही वे सब देश मानते हैं, जिन्होंने बैठक में भाग लेने के लिये अपने उम्मीदवार भेजे। तथापि, कानून लागू करने की आवश्यकता तथा उस क्रिया विधि ने, जिसके जरिये यह कानून लागू किया जाएगा, यथेष्ट ध्यान आकर्षित किया। उन साधनों के तकनीकी विवरणों पर भी विचार किया गया जो औषधीय गुणवत्ता के समुचित नियन्त्रण के लिये अपनाए जाने चाहिये।

4. जहां तक भारत का सम्बन्ध है यहां पर पहले से ही औषधीय गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु कानून अर्थात् औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम है, जो 1940 में बनाया गया था। इस कानून के द्वारा औषधियों का आयात, निर्माण विक्रय और वितरण नियन्त्रित होता है तथा इसमें देश के बाजारों में बेची जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। इस अधिनियम के नियम 1945 में बनाए गए थे।

QUANTITY OF UNPROCESSED AND SALEABLE STEEL PRODUCED DURING THE LAST THREE YEARS

*445. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to lay a statement showing :

(a) the quantity of unprocessed and saleable steel produced in the country during the last three years;

(b) the present stock of processed steel with the manufacturers; and

(c) the action being taken by Government to clear this stock ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK) : (a) The quantity of unprocessed (which presumably refers to ingot) steel and saleable steel produced at the six integrated steel plants in the country during the last three years is indicated below :—

('000 tonnes)

Period	*Ingot Steel*	*Saleable Steel*
1974-75	6264	4900
1975-76	7251	5778
1976-77	8427	6922

(b) The stocks of saleable steel with the manufacturers (including the plants, the Stock-yards, the Export Yards and in transit) as on 1-3-78 were 1.170 million tonnes as against 1.704 million tonnes as at the beginning of the current financial year.

(c) As a result of action taken by the Government there is already a downward trend in the stocks of steel.

WORKING OF TELEGRAPH SERVICE IN THE COUNTRY

†*446. SHRI ISHWAR CHAUDHARY : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in the country for the past some months there is laxity in the working of telegraph service to a great extent;

(b) whether it is a fact that in some cases letters reach the same destined places earlier than telegrams; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps taken by Government to improve the position ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): (a) There is no laxity in the working of the Telegraph Service.

(b) In a few cases there is possibility of the telegrams reaching later than letters.

(c) (i) Due to intermediate/destination offices not being opened round the clock.

(ii) Prolonged interruptions on the lines, largely due to theft of wire, cyclones or floods and absence of alternate routes.

Steps taken to improve the position :

(i) A watch is kept on transit routes and traffic is rerouted whenever delays are anticipated to be heavy.

(ii) Stabler media of transmission such as coaxial cable and microwave links are being introduced on more and more routes.

(iii) Copper wire is being gradually replaced by copperweld or aluminium wire in areas where incidence of theft is high.

(iv) Alternate channels are being built up on more and more routes.

(v) More and more direct routes are being opened.

डाक तथा तार विभाग में विभागेतर कर्मचारी

*447. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग में कुल कितने विभागेतर कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) इन कर्मचारियों की सेवा की शर्तें क्या हैं तथा इन्हें कितना वेतन, भत्ता आदि दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि विभागेतर कर्मचारी अधिक वेतन और सेवा की न्यायसंगत शर्तों की मांग करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्रवाही की गई है तथा विचाराधीन प्रस्ताव क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 31-3-77 को 222,418

(ख) वांछित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) उनकी ऐसी मांगें प्राप्त हुई थी कि सरकार के नियमित और पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को जो लाभ और सुविधाएं मिलती हैं, वे सभी लाभ और सुविधाएं उन्हें भी दी जायें ।

(घ) नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और लाभ विभागेतर कर्मचारियों को नहीं दिए जा सकते । इन कर्मचारियों का मेहनताना बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार बड़ी तत्परता से विचार कर रही है ।

विवरण

डाक-तार विभाग के विभागेतर एजेंटों की सेवा संबंधी शर्तें और वेतन-भत्ते

विभागेतर एजेंटों को मासिक भत्ते दिये जाते हैं । इन कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये भत्तों की दरें भी भिन्न-भिन्न हैं जैसा कि नीचे दिखाया जा रहा है :—

श्रेणी	भत्ते
	न्यूनतम/अधिकतम
(1) विभागेतर नायब पोस्टमास्टर/सार्टर/रिकार्ड क्लर्क	125/155 रु० प्रतिमास
(2) विभागेतर शाखा पोस्टमास्टर	80/110 रु० प्रतिमास
(3) विभागेतर डाक टिकट विक्रेता .	87/110रु० प्रतिमास
(4) विभागेतर डाकवाहक/विभागेतर वितरण एजेंट/ विभागेतर पैकर/विभागेतर संदेशवाहक/विभागेतर चौकीदार/पोर्टर/डाक पियन	75/105 रु० प्रति मास

2. विभागेतर एजेंट सरकार के नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं और वे कोई दूसरा उप व्यवसाथ करने के लिये भी स्वतन्त्र हैं उनसे यह भी उपेक्षा की जाती है कि डाकतार विभाग से मिलने वाले भत्ते के अलावा उनके पास आमदनी का कोई स्वतंत्र जरिया भी होना चाहिये । इसलिये वे पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली वेतन के साथ छुट्टी,

अन्य भत्ते चिकित्सा और यात्रा संबंधी लाभ या पेंशन का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं । उन्हें कुछ शर्तों के अनुसार अधिक से अधिक 750 रुपये तक का अनुग्रही उपदान दिया जाता है ।

3. विभागेतर एजेंट 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकते हैं ।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड द्वारा फेरो-मैंगनीज संयंत्र की स्थापना

448. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड का देश में एक फेरी-मैंगनीज संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) मैंगनीज ओर इंडिया लि० ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश अथवा महाराष्ट्र में उपयुक्त स्थान (स्थानों) पर प्रतिवर्ष 60,000 टन फेरो-मैंगनीज तैयार करने के लिये एक/दो कारखाने स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिये आवेदन दिया है । प्रत्येक कारखाने पर 15 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है । औद्यागिक लाइसेंस जारी करने के बारे में मैंगनीज ओर इंडिया लि० के आवेदन पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और दिसम्बर, 1977 में इसे अस्वीकार कर दिया गया था । आवेदन-पत्र को प्रथम दृष्टि में अस्वीकार कर देने के विरुद्ध कम्पनी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

आपात् स्थिति के दौरान बोकारो स्टील लिमिटेड के कर्मचारियों को मुअत्तल अथवा परेशान किया जाना

4074. **श्री पायस टिर्की :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान बोकारो स्टील लिमिटेड के कितने कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया था अथवा अन्यथा परेशान किया गया था और उनमें से कितने कर्मचारी अभी तक मुअत्तल हैं तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ख) बोकारो स्टील लिमिटेड में, जो छोटा नागपुर के घनी आबादी वाले आदिवासी क्षेत्र में स्थापित किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार, प्रतिशतता , क्या है; और

(ग) बोकारो स्टील लिमिटेड में कितने विस्थापित व्यक्तियों अथवा उनके निकट सम्बन्धियों को अब तक रोजगार दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) आपात स्थिति के दौरान बोकारो स्टील लि० के 22 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था । इनमें से 21 कर्मचारियों को पुनः नौकरी में लेने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं । बाकी एक कर्मचारी के मामले की अभी जांच की जा रही है । मुअत्तल किए गए कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 1-1-1978 को बोकारो स्टील लिमिटेड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता
ग्रुप-ए	0.71	1.01
ग्रुप-बी	1.44	1.75
ग्रुप-सी (मेहतरों को छोड़कर)	11.43	9.03
ग्रुप-सी (मेहतर)	92.27	7.40

(ग) बोकारो स्टील लिमिटेड, में अब तक 7,959 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है । ये व्यक्ति कम्पनी के कुल कर्मचारियों का 22.82 प्रतिशत हैं।

TRAINING TO PHARMACISTS IN ALOPATHIC HOSPITALS

4075. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government propose to train and register the untrained persons working as pharmacists in the Allopathic hospitals;

(b) if so, by what time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): (a) No. However, the Pharmacy Council of India are considering the proposal to amend the Education Regulations 1972 to permit unqualified pharmacists who have been practising for not less than 2 years in hospitals, dispensaries and other institutions and who possess Matriculation or other equivalent qualification to undergo a condensed course of one year for acquiring a diploma in pharmacy. This concession would be granted irrespective of whether Education Regulations have come into force in any particular State or not.

(b) Does not arise.

(c) The State Governments are primarily responsible for the training of pharmacists by conducting diploma courses in Pharmacy which is the minimum qualificaton for registration as registered pharmacist. There are nearly 57 institutions (Medical Colleges and Polytechnics) imparting diploma courses in Pharmacy. Following the amendment to the Pharmacy Act 1976 whereby no person other than a Registered Pharmacist would be allowed to dispense or compound drugs after 31st August, 1981, the Government of India had advised all the State Governments that training facilities for Pharmacists should be expanded and for this purpose the number of admissions in the existing institutions could be increased and the facilities in Science Colleges and Polytechnics could be utilised for a diploma course in Pharmacy.

SKELETONS USED IN MEDICAL COLLEGES

4076. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the prices of skeletons, hands and feet and complete skull purchased for use in medical colleges in various States in the country separately and the annual expenditure incurred by Government thereon; and

(b) whether it is a fact that the prices of human skeletons in foreign countries have increased considerably and if so, whether it has had its impact on India also ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) & (b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

TELEX EXCHANGES IN SAURASHTRA

†4077. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the work done so far in Dhoraji, Junagadh and Veraval in regard to opening of telex exchanges in these three cities and when the rest of the work will be completed and when exchanges will start functioning;

(b) whether the Porbander Chamber of Commerce and Industries have also demanded telex facility for Porbander, a major town of Saurashtra, vide their letter No. 431 dated 24th Janury, 1978 and telegram dated 7th February, 1978;

(c) if so, when telex facility will be provided to Porbandar, an industrial town; and

(d) the action taken in this regard so far and whether action is proposed to be taken and if so, when ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) The Stores for these Telex Exchanges are being received. These are expected to be installed in 1978-79.

(b) Yes, Sir.

(c) & (d) Project for the work has been sanctioned and the Telex facility is expected to be provided in Porbandar in about two years' time.

लौह अयस्क के अवशिष्ट पदार्थ से लौह प्लेटों का निर्माण करने का संयंत्र

4078. श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश स्थित बेलाडिला से जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह अयस्क के अवशिष्ट पदार्थ से लौह प्लेटें बनाने हेतु एक संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रस्ताव की जांच की है, और

(ग) यदि हां तो सरकार ने उस पर निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख) और (ग) सम्भवत: अभिप्राय: लौह अयस्क के पैलेट के निर्माण से है न कि लोह की प्लेटों के निर्माण से। बैलाडिला से निकलने वाले लौह अयस्क के चूरे से पैलेट बनाने का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस कारखाने में पूंजी लागाने का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि पैलेट की बिक्री के लिये दीर्घकालीन करार हो जाएं तथा समस्त प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें ।

OPENING OF TELEPHONE EXCHANGE AT NIJHAR, SURAT

†4079. SHRI CHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a demand has been made for a telephone exchange in Nijhar in Surat Telephone Division and whether Government have sanctioned it and if so, when;

(b) the number of telephone connections sanctioned and when will the work on telephone exchange start or whether it has started; and

(c) the time by which the people of Nijhar would start getting benefit of telephone service ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) to (c) A small 25 lines automatic exchange at Nijhar in District Surat has been commissioned on 7-1-78 with 15 working connections.

भारत एल्यूमिनियम निगम लिमिटेड, आसनसोल के कार्य की स्थिति के बारे में जांच

4080. श्री रोबिन सेन: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने कुछ वर्ष पूर्व भारत एल्यूमिनियम निगम लिमिटेड, आसनसोल, जे० के० नगर की कार्यस्थिति की जांच कराई थी; और

(ख) यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री **(श्री कड़िया मुण्डा):** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

तीसरे देशों को सहायता

4081. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन और कितनी सहायता देने वाले देशों में तीसरी देशों को सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता के प्रति उत्सुकता बढ़ाने के लिये विदेशी सरकारों द्वारा प्रचार/विज्ञापनों आदि में उसी प्रकार भारत के नाम इस्तेमाल किया गया था जैसा कि लोकसभा में दिनांक 23 फरवरी, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के बताये गये अनुसार कुछ पश्चिम जर्मनी की पत्रिकाओं में किया गया था;

(ख) तीसरे देशों को सहायता देने के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिये जर्मन संघ गणराज्य द्वारा पश्चिम जर्मनी की पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए उन विज्ञापनों की (जेराक्स्ड अथवा फोटोस्टेट) प्रतियां मंत्री महोदय, सभा पटल पर रखेंगे, जो 23 फरवरी, 1978 के उपर्युक्त तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के अनुसार सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ग) क्या मंत्री महोदय, अन्य सहायता देने वाले देशों द्वारा इसी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये दिए गए इसी तरह के उन अन्य विज्ञापनों की प्रतियों को सभा पटल पर रखेंगे, जो विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के ध्यान में आये हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू): (क) विदेश स्थित सम्बद्ध भारतीय मिशनों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह प्रतीत होता है कि सहायता देने वाली किसी अन्य विदेशी सरकार ने भारत सिहित विकासशील देशों की सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से उस प्रकार की प्रचार सामग्री जारी नहीं की है और न किसी समाचार पत्र में विज्ञापन ही दिया है जैसा कि जर्मन संघीय गण राज्य की कुछ पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है ।

(ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार जर्मन संघीय गणराज्य सरकार के आर्थिक सहयोग मंत्रालय ने सितम्बर, तथा नवम्बर, 1977 के बीच "दर स्पाइगल", "स्टर्न" तथा "दी वन्ते" जैसी पत्र-पत्रिकाओं में अनेक विज्ञापन दिये। ये विज्ञापन प्रायः संक्षिप्त प्रश्नों तथा विस्तृत उत्तरों के रूप में थे । इन प्रश्नों का संबंध विकासशील देशों को दिये गए विकास सहायता के उपयोग से था और उसमें अफ्रीका में श्वेत अल्पमत शासनों के विरुद्ध संघर्ष में इसकी भूमिका, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका संभावित दुष्प्रभाव तथा विकासशील देशों में परिवार-नियोजन कार्यक्रमों आदि का उल्लेख किया गया था । जर्मन संघीय

गणराज्य के आर्थिक सहयोग मंत्रालय ने इस प्रश्नों के जो उत्तर दिये हैं उनमें विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिए जाने वाले विकास सहायता अनुदान के बारे में विकसित देशों में व्याप्त पूर्वग्रहों को दूर करने और लोगों को इस प्रकार की सहायता की वांछनीयता के विषय में समझाने की कोशिश की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा

4082. **श्री महेन्द्र सिंह सैयांवाला:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों की मांग के अनुसार की जाने वाली कुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती करने के ढंग में सरकार का कोई दखल है, और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार विदेशों में रहने के समय श्रमिकों की जान-माल की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू): (क) और (ख) जी, हां। विदेशों नियोजकों द्वारा भारत से श्रमिकों की भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित होती है। भर्ती अनुमोदित भर्ती एजेंटों के माध्यम से ही की जा सकती है जो श्रम मंत्रालय में पंजीकृत होते हैं। प्रत्येक मामले में श्रमिकों की भर्ती की अनुमति तभी दी जाती है जब कि श्रम मंत्रालय नियोजन के प्रस्ताव की ओर से स्वयं संतुष्ट हो जाये और सम्बद्ध विदेश स्थित मिशन से इस सम्बन्ध में परामर्श कर लें। अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद अधिकृत भर्ती एजेंट को नियोजन का विवरण उत्प्रवासी संरक्षक के यहां दर्ज कराना होता है। एजेंटों को इस बात का सुनिश्चय करने के लिये जमानत की राशि भी जमा करानी होती है कि नियोजन संविदा की शर्तें पूरी हों। विदेशी भारतीय मिशन श्रमिकों के हित कल्याण की देखभाल करते हैं तथा काम की जगहों पर और रिहायशी इलाकों में समय-समय पर जाकर निरीक्षण भी करते हैं। जब कभी सरकार की जानकारी में भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार अथवा उनका शोषण किए जाने का कोई मामला आता है तो हमारे मिशनों द्वारा उस मामले में जांच पड़ताल करके उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

तमिलनाडु में एस० टी० डी० सुविधा द्वारा जोड़े गये स्थान

4083. **श्री सी० एन० विश्वनाथन:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में एस० टी० डी० सुविधा द्वारा किन-किन स्थानों को जोड़ा गया है अथवा जोड़ने का विचार है; और

(ख) क्या इनमें से एक स्थान थरुवन्नमलाई है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) तमिलनाडु में नीचे लिखे 15 स्थानों पर एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध है :—

1. चिंगलपुट
2. कोयम्बटूर
3. इरोडे

4. कांचीपुरम
5. मद्रास
6. मदुर
7. ऊटी
8. राजापलाथम
9. तिरुचिरापल्ली
10. तिरुपुर
11. सेलम
12. थेनी
13. उदमालपेट्
14. बैलोर और
15. विरुदनगर

इनके अलावा नीचे लिखे स्थानों पर उत्तरोत्तर यह सेवा देने का प्रस्ताव है :—

1. भवानी
2. चिदम्बरम
3. धरमपुरी
4. मेथुपलायम
5. नागरकोइल
6. नामाक्कल
7. पलानी
8. त्रिरुचेनगोडु
9. त्रिरुनेलवेली
10. तूतीकोरिन
11. बनीयामवडी
12. बिल्लुपुरम

(ख) जी नहीं।

CONSTRUCTION OF A BUILDING FOR POST OFFICE AT SAWAI MADHOPUR

†4084. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a proposal regarding construction of a new building for District Post Office in Swai Madhopur, Rajasthan has been under consideration of Government for some time past; and

(b) whether a site has already been earmarked for the building and if so, the reasons for delay in constructing the same and when work is likely to commence thereon and if it is not proposed to start work soon, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) A site is available for the construction of post office building at Sawai Madhopur, Rajasthan. Delay in starting the construction has been due to ban on construction of postal buildings and due to shortage of funds after the ban was lifted.

The building project is being processed for taking up construction during 1979-80.

AMOUNT OF P.F. AND E.S.I. OUTSTANDING AGAINST HOPE TEXTILE MILLS, INDORE

4085. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the amounts of provident fund and E.S.I. contribution which have not been deposited by the Hope Textile Mills, Indore during the last 3 years and steps being taken by Government to get them deposited and how many time the above Mill was asked to deposit the money; and

(b) whether the labour in this Mill is not being given full benefits of labour welfare laws and if so the action proposed to be taken by Government against the said Mill ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA) : (a) The position reported by the Employees' Provident Fund and the Employees' State Insurance Authorities is as given below :—

Employees' Provident Fund dues :—

M/s. Hope Textile Mills Limited, Indore is an establishment exempted under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. The Mill has to transfer a sum of Rs. 37.97 lakhs (approximately) for the period September, 1975 to December, 1977, to the Board of Trustees of the exempted provident fund. Prosecution was launched against the Mill under section 14(2A) of the E.P.F. Act. The Mill has, however, obtained a stay order from the Calcutta High Court. Action is being taken to get the stay vacated. Steps have also been taken for (i) cancelling the exemption and (ii) prosecuting under section 406/409 I.P.C. 18 Show-cause notices were issued to the Mill asking them to deposit the provident fund amount.

Employees' State Insurance dues :—

A sum of Rs. 20,82,685 is outstanding against the Mill for the contribution period ending January, 1975 to March, 1977. Necessary action under section 45-B of the Employees State Insurance Act for recovery of the due has been taken against the employer on three occasions. Prosecution was launched against the employer on 18th December, 1976 and is pending in the Court.

(b) The employees of the Mill are being provided provident fund and E.S.I. benefits, wherever due.

स्वास्थ्य के आधार पर गरीब लोगों की सहायता

4086. **श्री पद्माचरण सामन्त सिन्हेरा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वाथ्य के आधार पर गरीब लोगों की सहायता करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य में सहायता की कितनी राशि गरीब लोगों की सहायता के लिये दी गई; और

(ग) सरकार के पास प्रत्येक राज्य के कितने कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इस प्रयोजन के लिये अलग से कोई योजना नहीं है फिर भी, गरीब और जरूरतमन्द रोगियों को स्वास्थ्य मंत्री के स्वविवेकानुदान में से इलाज के लिये सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त हाल ही में एक निजी लोक चिकित्सा न्यास स्थापित किया गया है । प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई इस न्यास के अध्यक्ष हैं और इसके अन्य सदस्य हैं :–

(1) श्री चरण सिंह, गृह मंत्री

(2) श्री रानजारायण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ।

(3) श्री रवि राय, संसद सदस्य; और

(4) श्री जगदीश गप्त ।

शुरु में यह न्यास हृदय रोग, गुर्दे के रोग तथा कैंसर से पीड़ित गरीब व्यक्तियों को अपना इलाज कराने के लिये सहायता देगा।

(ख) चूंकि यह सहायता मंत्री जी के विवेकानुसार अलग-अलग आवेदनों के आधार पर दी जाती है, इसलिये इसका राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता। चालू वित्तीय वर्ष समेत गत तीन वर्षों के दौरान भी गरीबों और जरूरतमन्द रोगियों की सहायता के लिये स्वास्थ्य मंत्री स्वविवेकानुदान में से जितना-जितना धन खर्च किया गया, वह इस प्रकार है :—

1975-76 .	2.54 लाख
1976-77	2.03 लाख
1977-78	2.17 लाख
(28 फरवरी, 1978 तक)	

(ग) 28 फरवरी, 1978 तक प्राप्त हुए सभी आवेदनों पर कार्यवाही की जा चुकी है।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में सोने के निक्षेपों का दोहन करने के लिये कार्यवाही

4087. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में सोने के निक्षेपों का दोहन करने के कार्य में तेजी लाने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर क्या पहल की है ;

(ग) अब तक कितनी मात्रा में तथा किस किस्म का सोना मिला है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्र और राज्यों के क्या प्रस्ताव हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) उड़ीसा के कोरापुट जिले में कोलाव, रंग पानी और दरिया नदियों के कुछ रेतीले भाग में छिट-पुट मात्रा में जलोद स्वर्ण भंडार होने का पता चला है। चूंकि ये भंडार आर्थिक महत्व के नहीं है इसलिये उनके समुपयोजन के लिये विशेष कार्यक्रम बनाने का सवाल नहीं उठता। उड़ीसा राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ इस मामले में अभी लिखा-पढ़ी नहीं की है।

(ग) इन भंडारों में स्वर्ण तत्व प्रति घन मीटर 0.125 से 0.25 ग्राम तक है।

(घ) चालू वित्त वर्ष में इन लघ स्वर्ण भडारों के समुपयोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

PROVIDING S.T.D. FROM MANASA TO MEHSANA AND AHMEDABAD

†4088. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) when a direct dialling facility between Manasa and Ahmedabad is proposed to be provided;

(b) the reasons for not giving this facility so far, when the same is available to towns smaller than Manasa;

(c) the distance between Manasa and Gandhinagar and the reasons for not providing direct line between Gandhinagar and Manasa despite this short distance;

(d) the reasons for not providing direct dialling system between Manasa and Mehsana despite the latter being the District headquarters of the former; and

(e) when a direct dialling facility from Manasa to Ahmedabad, Gandhinagar and Mehsana will be provided ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) to (e) There is no proposal to provide STD between Manasa and Ahmedabad/Gandhinagar/Mahsana at present since the exchange at Manasa is a manual one and the traffic on the routes is not adequate to justify STD. The radial distance between Mnasa and Gandhinagar is 15 Kms.

HAJ PILGRIMS FROM LADAKH

†4089. SHRIMATI PARVATI DEVI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of persons who went for Haj pilgrimage from Ladakh during the last three years, year-wise;

(b) whether it is a fact that all the Muslims desirous of going for Haj pilgrimage from Ladakh are granted the permission;

(c) the procedure or rules for granting permission to Haj pilgrims and the details regarding the quota fixed for each State the amount of expenditure to be incurred and the travelling facilities to be provided; and

(d) the action being taken by Government to assure that more persons from Ladakh could go for Haj pilgrimage ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) and (b) The Haj statistics are maintained on the basis of States and Union Territories and, therefore, the number of applicants or actual pilgrims from Ladakh is not readily available. The information is being collected.

(c) Haj pilgrims do not require any permission for performing Haj. Any Indian Muslim can apply to the Haj Committee, Bombay for Haj passage and his application is considered according to the rules made by the Haj Committee for selection of pilgrims from among the applicants within the total number for whom the Government has agreed to release foreign exchange. For 1978, the Government have decided to release foreign exchange for 20,000 pilgrims—15,500 by sea and 4,500 by air. The Haj Committee has decided to allot quotas to the States and the Union Territories or groups thereof, strictly on the basis of Muslim population, and to redistribute the unutilised portion of the quota of any State/Union territory among those States/Union territories which have more applications than their original quota.

The Government have decided to release a maximum of Saudi Rials 2,500/- to each sea pilgrim and Saudi Rials 2,250/- to each air pilgrim. The Haj Committee has decided, taking into account the obligatory charges payable to Haj authorities in Saudi Arabia, to fix a minimum foreign exchange which every pilgrim must take with him.

The Haj Committee proposes to arrange sailings with the help of the Mogul Line and to make arrangements for air charter, through Air India or IAC.

(d) The Government hopes that all applicants for Haj 1978 from the State of Jammu & Kashmir can be accommodated. It may be added that the selection of pilgrims from Jammu & Kashmir is made by the State Government/Haj Committee and that the applicants from Ladakh would be well advised to contact the State Government/State Haj Committee in the matter.

निर्यात के लिये इस्पात-पिण्डों तथा एल्यूमिना के उत्पादन में वृद्धि

4091. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिये इस्पात-पिण्डों तथा एल्यूमीना के उत्पादन में काफी वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मदों के निर्यात के लिये प्राप्त हुए, क्रयादेशों अथवा जिन के बारे में अभी बातचीत चल रही है ऐसे क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिये मिनी इस्पात एककों की क्षमता का उपयोग करने पर विचार किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख), (ग) और (घ) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में संयंत्र का बेहतर उपयोग करके तथा प्रौद्योगिकी में सुधार करके इस्पात पिण्ड का उत्पादन बढ़ाने के लिये सतत प्रयत्न किए जा रहे हैं । जहां तक लघु इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात पिण्ड का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप इन कारखानों के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है । इस्पात पिण्ड का निर्यात करने की अनुमति निर्यात नीति के अनुसार प्रदान की जाती है। जहां तक एल्यूमिना का सम्बन्ध है निर्यातोन्मुख कारखानों की स्थापना की संभावना का पता लगाया जा रहा है ।

LETTERS WRITTEN BY M.Ps. FOR ADMMISSION OF PATIENTS IN THE HOSPITALS

4092. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the number of letters written to him by the Members of Parliament and the number of those in respect of which reply was not given and the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV): Letters received from M.Ps. seeking admission/treatment of patients in the hospitals are promptly attended to and in deserving cases admission/treatment is arranged on phone or by endorsing the original letters to the concerned Institutions. As most of such requests are received in an informal manner, no exact record of their receipt/disposal is available.

कर्नाटक में स्थापित किया जाने वाला डोनामलाई आयरन और पेलेटाइजेशन संयंत्र

4093. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य में डोनामलाई आयरन और पेलेटाइजेशन परियोजना स्थापित किये जाने की संभावना है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उसके लिये परियोजना प्रतिवेदन अन्तिम रूप से तैयार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या परियोजना की क्रियान्विति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई थीं ;

(घ) क्या ऐसे निविदा-दाताओं से कोई बातचीत की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, उन पार्टियों के क्या नाम हैं, वे किस-किस देश की हैं तथा यदि उन से कोई बातचीत हुई है, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) तथा (ख) कर्नाटक में दोनीमलाई खान से निकलने वाले लौह अयस्क के चूरे से 2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का पैलेट बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए सलाहकार मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार कर लिया है आशा है पूंजी लगाने के बारे में निर्णय लेने

के पश्चात इस कारखाने के निर्माण में लगभग 4 वर्ष लग जाएंगे। कारखाने में पूंजी लगाने का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि पैलेट की बिक्री के लिए दीर्घकालीन करार किए जाएं तथा समस्त प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाये जा सकें।

(ग) (घ), तथा (ङ) : जी, हां। विश्व आधार पर आमंत्रित की गई निविदाओं के उत्तर में मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड/पश्चिम जर्मनी के लुर्गी-कैमी तथा जापान के मेसर्स मितशुबिशि/अमरीका के आर्थर मेक्की से निविदाएं प्राप्त हुई थी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड/लुर्गी-कैमी से आगे बातचीत चल रही है।

कोयम्बटूर जिले के बलपरई क्षेत्र के बागान में हरिजन श्रमिकों की दशा सुधारना

4094. **श्री के० ए० राजू :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि कोयम्बटूर जिले में बलपरई क्षेत्र के बागान श्रमिकों में 70 से 80 प्रतिशत तक हरिजन हैं;

(ख) क्या इन हरिजन श्रमिकों की रहन-सहन की स्थिति इस दृष्टि से बहुत ही शोचनीय है कि उनके बारे में काम के घंटे सम्बन्धी कोई नियम लागू नहीं है उनके लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित नहीं है और उन्हें उचित स्तर के क्वार्टर भी नहीं दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां तो क्या बलपरई क्षेत्र के इन हरिजनों की इस अमानवीय स्थिति में सुधार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो उस राज्य में बागान श्रमिक अधिनियम का प्रशासन करते हैं, सूचित किया है कि कोयम्बटूर जिले में बलपरई क्षेत्र के अधिकांश बागान श्रमिक हरिजन हैं। पुरुष और महिला दोनों प्रकार के श्रमिकों को द्विपक्षीय समझौते के अनुसार 6.74 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अधीन, जिसका उद्देश्य जीवन स्तर के न्यूनतम स्तर और कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है, मालिकों का यह सांविधिक दायित्व है कि वे रोजगार के घंटे तथा परिसीमन से सम्बन्धित बागान श्रमिक अधिनियम, के अध्याय 5 के उपबन्धों का पालन करें तथा आवास, शिक्षा, चिकित्सीय सहायता आदि सुविधाएं प्रदान करें। शिक्षा, चिकित्सीय सहायता आदि से संबंधित सुविधाओं का, जो जन-साधारण को राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, बागान श्रमिकों द्वारा भी लाभ उठाया जा सकता है।

अरब देशों द्वारा भर्ती किये गये भारतीयों की संख्या

4095. **श्री अमरसिंह वी० राठवा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अरब देशों तथा खाड़ी के देशों द्वारा अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 के दौरान भर्ती किए गए श्रमिकों तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें वहां क्या वेतनमान, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां और सुविधाएं दी गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) श्रम मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक की अवधि के दौरान विभिन्न अरब तथा गल्फ देशों में 39,562 भारतीय कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कामगारों की नियुक्ति की अनुमति को स्वीकृति दी गई थी।

(ख) प्रत्येक देश में प्रत्येक वर्ग के वेतनमान, भत्ते, और अन्य परिलब्धियां भिन्न-भिन्न होते हैं। रोजगार की माडल शर्तों के अन्तर्गत, यह आवश्यक है कि भारतीय कामगारों को आने जाने की निःशुल्क यात्राभाड़ा किरायामुक्त सज्जित मकान तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहय्या की जाएं ।

मलेरिया के रोगी

4096. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 में अब तक महाराष्ट्र के बम्बई क्षेत्र और थाना तथा पूना जिले में मलेरिया के रोगियों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या वहां पर मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र से निकट भविष्य में मलेरिया का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं और क्या रोकथाम की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) बृहद बम्बई, थाना और पूना में 1976 और 1977 में रिकार्ड किये गये मलेरिया के स्पष्ट लक्षणों से युक्त मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

जिला	प्रकोप	
	1976	1977 (अनन्तिम आंकड़े)
बृहद बम्बई (बम्बई नगर निगम)	4,231	3,368
थाना	22,151	20,252
पूना	65,767	38,155

मलेरिया के प्रकोप के आंकड़े कैलेन्डर वर्ष के हिसाब से रखे जाते हैं, वित्तीय वर्ष के हिसाब से नहीं । 1978 में इसके प्रकोप के बारे में राज्य सरकारों से अभी तक रिपोर्टें नहीं मिली हैं।

(ख) जैसा कि भाग (क) के उत्तर से देखा जाएगा कि 1976 की तुलना में 1977 में मलेरिया के प्रकोप में कमी हुई है ।

(ग) निकट भविष्य में मलेरिया को जड़ से समाप्त करना सम्भव नहीं है लेकिन इसके प्रकोप को कम करने के लिये कदम उठाये गये हैं । इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने

क्रियाकलापों की एक संशोधित योजना अनुमोदित कर ली है जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य निहित हैं :—

1. मलेरिया से होने वाली मौतों की रोकथाम;

2. बीमारी की अवधि को घटाना;

3. औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में मलेरिया रोगी गहन उपाय करके औद्योगिक और कृषि उत्पादन को बनाये रखना; और

4. अब तक की उपलब्धियों को समेकित करना । क्रियाकलापों की संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

संबंधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बात इस प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्तमान यूनिट का जिले की भौगोलिक सीमा के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है। पहले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन इन यूनिटों का पुनर्गठन हो जाने के कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाया गया है ।

2. राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयां डी० डी० टी०, बी० एच० सी०, मेलाथियान की अधिक मात्रा सप्लाई की गई है/की जा रही है। जहां पर रोग वाहकों पर डी०डी०टी०/बी० एच० सी० का कोई असर नहीं होता उन यूनिटों/ज़िलों को वैकल्पिक कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही हैं।

3. उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया रोधी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई हैं/की जा रही हैं। औषधियां आसानी से उपलब्ध करने के लिये लगभग दो लाख औषधि वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में परिजीवियों पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हुआ वहां पर कुनीन जैसी वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाई सप्लाई की गई है ।

5. नगरीय मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लावां-रोधी कार्यों को तेज कर दिया गया है। 1977 में इस योजना को वर्तमान 28 शहरों के अलावा 38 और शहरों में लागू कर दिया गया है ।

6. क्षेत्रीय स्टाफ के निगरानी कार्य को तेज कर दिया गया है।

7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिये कदम उठाये गये हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में 14 अनुसंधान योजनाएं अर्थात् 8 आपरेशन अनुसंधान के लिये और 6 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसंधान के लिये आरम्भ की गई है ।

8. ब्लड स्मीयरों का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों पर तत्काल इलाज करने के लिये प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है ।

9. प्लासमीडियम फाल्सीफेरम के संक्रमण को, जिसके कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौतें हो जाती हैं, फैलने से रोकने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सघन कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिये और इसके नियन्त्रण के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं।

(i) क्लोरोक्विन की गोलियों के वितरण के लिये पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है।

(ii) दूर दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयों के डिपुओं को खोल दिया गया है। कुछ राज्यों में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है।

(iii) "दी थ्रैट" नामक एक फिल्म जो हाल ही में तैयार की गयी थी, उसे चौदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है ।

(iv) इस आशय के पोस्टर "बुखार-मलेरिया हो सकता है--क्लोरोक्वीन गोलियां लीजिये" पंचायतघरों, स्कूलों, प्राइमरी हैल्थ सेंटरों और सब-सेंटरों में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किए गए हैं ।

(v) क्षेत्रीय भाषाओं में "मलेरिया में क्या-क्या करना चाहिये" नामक एक पेम्फलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षणों, क्लोरोक्वीन की मात्रा आदि का उल्लेख है और उसे पंचायतों, स्कूलों के अध्यापकों और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियों में वितरित करने के लिये राज्यों को सप्लाई किया गया है।

(vi) पंचायतों के अध्यक्षों और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषय परिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है ।

(vii) चिकित्सा व्यावसायिकों के क्या-क्या कार्य होने चाहिये, इसके बारे में भी फोल्डर तैयार करके राज्यों को सप्लाई किए गए हैं ताकि वे उन्हें चिकित्सा व्यावसायिकों में बांट दें। इसी प्रकार एक और पेम्फलेट "मलेरिया फिर क्यों" भी तैयार किया गया है और उसे उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों में बांटने के लिये राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपयुक्त अधिकारियों को मलेरिया संबंधी मौजूदा समस्याओं और प्रस्तावित कार्यवाही करने के बारे में जानकारी दिलाई जा सके।

(viii) मलेरिया रोधी संदेश का प्रचार करने के लिये डाक और तार विभाग द्वारा 1977 में विशेष पोस्टल स्टेशनरी रिलीज की गई है ।

सांगली जिला (महाराष्ट्र) के भोसे गांव में टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी

4097. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया था कि महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में भोसे गांव के लिये चालू वित्तीय वर्ष में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उस आश्वासन को पूरा करने के लिये क्या तत्काल कार्यवाही की जा रही है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) सांगली जिले के भोसे गांव में टेलीफोन सुविधा देने का काम शुरू कर दिया गया है और आशा है कि यह कार्य एक महीने के समय में पूरा हो जायेगा । ऐसा लगता है कि टेलीफोन सेवा देने के लिये किसी समयावधि के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशी

4098. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे विदेशियों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर यथासमय रख दी जायेगी ।

दूरसंचार व्यवस्था के लिये देशों को सहायता

4099. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां दूर संचार व्यवस्था भारत द्वारा स्थापित की जा रही है/उसमें सहायता दी जा रही है और प्रत्येक मामले में लक्षित तारीखें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार करारों/प्रभावों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं के लिये इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के उत्पाद खरीदने को बाध्य हैं ;

(ग) इन देशों को इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज के उत्पादों के फलतः निर्यात मूल्य क्या हैं ;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कुछ देशों के दूरसंचार व्यवस्था के लिये प्रतिनियुक्ति पर गये कुछ कर्मचारियों ने त्याग पत्र दे दिये/स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति प्राप्त कर ली है अथवा ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की है क्योंकि वहां उन्हें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं जबकि उपरोक्त कुछ अन्य देशों में हमारे कर्मचारी वहां की जलवायु के कारण वहां रहना नहीं चाह रहे हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) भारत जिन देशों के दूर-संचार तंत्र की सहायता कर रहा है उनके नाम और लक्षित तारीखें नीचे दी गई हैं :—

देश का नाम	लक्ष्य
1. नेपाल	1978-79
2. श्रीलंका	1978-79
3. जोर्डन	1978-79
4. ओमन	1979-80
5. दुबाई (सं० अ० अ०)	1978-79

देश का नाम	लक्ष्य
6. सुरीनाम	1978-79
7. बोत्सवाना	1978-79
8. नाइजेरिया	1979-80
9. जाम्बिया	1979-80
10. कुवैत	1978-79
11. भूटान	लगातार जारी रहेगी

(ख) सहायता वाली कुछ प्रयोजनाओं के करारों में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के उपस्कर की सप्लाई की व्यवस्था की गई है।

(ग) इन देशों को निर्यात किये जाने वाले इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के विभिन्न उत्पादों का परिणामी मूल्य लगभग 360 लाख रुपये है।

(घ) कुछ कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया है या स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो गये हैं। कुछ अन्य कर्मचारियों ने स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने का इरादा जाहिर किया है। ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें जलवायु के कारण काम न करने की इच्छा व्यक्त की गई हो।

(ङ) स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त होने के लिये प्राप्त आवेदनों पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों के उत्पादन के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के विचार

4100. **श्री समर गुह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1978 के दिल्ली संस्करण "स्टेट्समैन" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डा० एच० महालर का इस आशय का विचार उद्धृत किया गया है कि बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों द्वारा बनाई जाने वाली 99 प्रतिशत औषधियां अनावश्यक होती हैं और केवल 2 प्रतिशत औषधियों से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों पर यह आरोप लगाया है कि वे अपना अत्यधिक विक्रय कुशलता से निर्धन देशों का शोषण कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके वक्तव्य के आधार के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के विचारों की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी और यदि समिति के निष्कर्षों से डा० एच० महालर के विचार उचित सिद्ध हों तो वह अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही करेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) उल्लिखित प्रेस रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है (अनुबन्ध)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1910/78]

(ग) डा० महलर के इस वक्तव्य के आधार के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(घ) चूंकि डा० महलर के विचार विश्व परिप्रेक्ष्य में हैं, अतः विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रश्न उठता नहीं प्रतीत होता।

LEGISLATION FOR QUALITY MEDICINES

4101. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA
SHRI HARGOVIND VERMA } : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government propose to enact a new legislation in regard to quality of medicines;

(b) whether a seminar was held on an all India basis to discuss the question of controlling and improving quality of medicines;

(c) if so, the decisions taken therein; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to ensure that good quality medicines are made available to the people at fair price ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) There is no proposal to enact any such new legislation.

(b) & (c) : Government have not organised any such seminar.

(d) Quality control on drugs is exercised in the country under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 framed thereunder. The aforesaid Act/Rules regulate the import, manufacture, sale and distribution of drugs in the country and the control is exercised through a system of licensing and inspection by the State Governments.

In order to ensure that the medicines are made available to people at fair price, the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilisers are enforcing the Drugs (Prices Control) Order, 1970 under which the maximum retail price of a given drug is fixed by the Ministry and is required to be mentioned on the label of the drug.

SHORTAGE OF ALUMINIUM

4102. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether he is aware that there is an acute shortage of aluminium in the country as its production was less because of inadequate supplies of power;

(b) if so, the extent to which the production of aluminium is likely to be less in 1977-78 as compared to that of last year;

(c) the names of the aluminium factories in the country and the number of factories out of them, in which production has fallen and the reasons therefor; and

(d) the steps being taken by Government to meet the shortage of aluminium in the country.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL & MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Yes, Sir.

(b) The output of aluminium in 1977-78 is likely to fall short of output in 1976-77 by something like 29,000 to 30,000 tonnes.

(c) The names of aluminium companies and the location of their smelters are indicated below :—

Name of the Company & Location of the smelter.

1. Bharat Aluminium Company Ltd. (a Government of India undertaking)—Korba M.P.
2. Hindustan Aluminium Corporation of India Ltd.—Renukoot (U.P.)
3. Indian Aluminium Co. Ltd.—(i) Alwaye (Kerala), (ii) Hirakud (Orissa), (iii) Belgaum (Karnataka).
4. Madras Aluminium Co. Ltd.—Mettur (Tamil Nadu).

The production of the aluminium smelters at Renukoot and Belgaum has fallen as compared to last year owing to inadequate supply of power to them, and a 70-day strike at the Belgaum smelter in April-June, 1977.

(d) The matter of ensuring adequate power supply for aluminium production has been taken up with the State Government. In order to ensure that consuming units are not hit by the shortfall in production, arrangements have been made for the import of aluminium.

गुट निरपेक्ष राष्ट्र सूचना केन्द्र की स्थापना

4103. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ट्रांस्नेशनल कारपोरेशन के बारे में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र सूचना केन्द्र की स्थापना की संधि की तस्दीक की है;

(ख) प्रस्तावित केन्द्र के उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) आज तक कितने अन्य गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने इस संधि की तस्दीक की है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) जी, हां ।

(ख) इस केन्द्र के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन के बारे में एक सूचना पद्धति की स्थापना करना जिससे कि गुट निरपेक्ष देश ऐसे कार्पोरेशनों के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में एक नीति तैयार कर सकें और अपने कार्य कलापों का समन्वय कर सकें ।

(ii) बहुत से गुट निरपेक्ष देशों में उपलब्ध अनुभव के पूर्ण और प्रभावशाली प्रयोग को सुविधाजनक बनाना ।

(3) देशों की सहायता करना, ताकि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी स्थायी प्रभुसत्ता के सिद्धांत का और जब वे उपयुक्त समझें राष्ट्रीकरण के अपने प्रभुसत्ता सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग कर सकें ।

(4) ट्रांसनेशनल कार्पोरेशन के कार्यकलापों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय क्षेत्रीय और अन्तर-क्षेत्रीय नियन्त्रणों के संवर्धन में इन देशों की सहायता करना ।

(ग) आज की तारीख तक उन्नीस अन्य गुट निरपेक्ष देशों द्वारा इस प्रलेख का अनुसमर्थन किया जा चुका है जिनके नाम हैं; क्यूबा, साइप्रस, कोरिया लोकतान्त्रिक गणराज्य, लाओस लोकतांत्रिक जन गणराज्य, पनामा, वियतनाम, यूगोस्लाविया, सेनेगल, इथोपिया, मेडागास्कर, सोमालिया, सूडान, इराक, अल्जीरिया, सीरिया, यमन लोकतांत्मक लोक गणराज्य, जिनी फिलस्तीनी मुक्ति संगठन और लीबिया ।

विदेशों से कोयले का आयात

4104. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे कोकिंग कोल आयात करने की संभावना है तथा उसकी मात्रा कितनी है; और

(ख) आयातित कोकिंग कोयले की पहुंचने पर लागत क्या होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) 10 लाख टन कोककर कोयले के आयात के लिये विश्व आधार पर टेंडर मांगे गये हैं । आपूर्ति के स्रोत तथा आयात किये जाने वाले कोयले की जहाज से उतरने पर लागत आदि के बारे में तभी मालूम हो सकेगा जब टेंडरों की जांच कर ली जाएगी ।

MEDICAL BILLS OF EMPLOYEES OF P&T OFFICE ALWAR

+4105 SHRI NATHU SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether medical bills in respect of some employees of Posts and Telegraphs Office, Alwar were rejected,

(b) if so, the number of those employees whose medical bills were rejected and the reasons therefor;

(c) the number of employees, out of them whose medical bills were passed later on and the reasons therefor; and

(d) whether the bills not passed so far are bogus and if so, the reasons for not sending them to anti-corruption Department.

MINISTER OF STATE FOR COMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): (a) Yes, Sir.

(b) 16 medical claims of 10 officials were rejected during the last two years. The claims were rejected partly because they did not satisfy the rules on the subject.

(c) Nil.

(d) No, Sir.

प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी का प्रयोग

4107. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और इससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधीन कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं ;

(ख) उनमें कुल कितने पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं ;

(ग) उनमें से कितने पाठ्यक्रमों का शिक्षा का माध्यम हिन्दी है और कितने पाठ्यक्रमों का शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है; और

(छ) जिन पाठ्यक्रमों का शिक्षा का माध्यम अभी भी अंग्रेजी है उनका माध्यम हिन्दी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

FACILITIES TO RELIGIOUS PERSONS TO VISIT MANSAROVER

†4108. SHRI ISWAR CHAUDHRY : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration any such proposal under which religious persons of the country may get facility to visit Mansarovar in Tibet; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAEE): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा केरल के कन्नानूर, कालीकट और मलप्पुरम में सर्वेक्षण

4109. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने केरल के कन्नानूर, कालीकट और मलप्पुरम जिलों में सर्वेक्षण किया था और वहां उच्च किस्म के बाकसाइट और लौह अयस्क की बड़ी मात्रा वाले अनेक निक्षेपों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निक्षेपों को निकालने का और इन पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने का कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था ने किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप कालीकट जिले में 31.50 से 35.20 प्रतिशत लौह तत्व वाले 790 लाख टन लौह अयस्क, मालाप्पुरम जिले में 33.60 प्रतिशत लौह तत्व वाले 44 लाख टन लौह अयस्क तथा कन्नानूर जिले में 40 से 55 प्रतिशत अल्यूमिना तथा 10 प्रतिशत तक सिलिका तत्व वाले लगभग 100 लाख टन बाक्साइट भंडारों का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विवादों का निपटारा

4110. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पंजीकृत यूनियन द्वारा अथवा किसी रेल कर्मचारी द्वारा रेलवे में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघनों के बारे में विवादों का निपटारा करने के प्रति सरकार की क्या नीति है;

(ख) वर्ष 1977 में इस प्रकार के कितने विवाद उठाये गये थे; और

(ग) इन विवादों का निपटारा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) रेलवे के पास श्रमिकों और रेलवे प्रशासनों के बीच विवादों को तय करने के लिये एक स्थायीवार्ता तंत्र मौजूद है। जहां तक रेलवे श्रमिकों की बरखास्तगी और पदच्युति के वैयक्तिक विवादों का सम्बन्ध है, इस प्रकार के मामलों में रेलवे कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के लिये रेलवे के यहां एक विस्तृत प्रक्रिया है। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी इस प्रकार के मामलों में केवल उसी सूरत में हस्तक्षेप करते हैं (1) जब विवाद के पक्षकार यह दर्शा सकने की स्थिति में हों कि वे विभागीय तंत्र के जरिये विवाद का हल कराने के सभी साधनों का उपयोग कर चुके हैं, और/या जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 के अधीन हड़ताल का नोटिस दिया गया हो। इस प्रकार के सभी मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्ध लागू होते हैं। तथा इन विवादों के सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ख) और (ग) 1977 के दौरान रेलवे के सम्बन्ध में कुल 28 विवाद उठाये गये जिनमें से 9 विवाद पक्षों के साथ विचार-विमर्श करके निपटा दिये गए। शेष 19 विवाद संराधन के लिये भेज दिए गए। इस प्रकार के 15 मामलों में संराधन विफल रहा और एक मामले में औपचारिक समझौता हो गया। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारियों के पास तीन मामले अनिर्णीत पड़े हैं। जिन विवादों में संराधन विफल रहा, सरकार उनकी जांच कर रही है।

रेलवे में ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 का क्रियान्वयन

4111. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में 1970 के ठेका श्रमिक (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) ठेका श्रमिक के रूप में नियुक्त कोयला और राख उठाने वाले श्रमिकों, माल चढ़ाने उतारने वाले श्रमिकों आदि से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) भारतीय रेलवे के लोको शेडों में कोयला और राख उठाने वाले कार्य में ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिये केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रमिक बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1974 में एक समिति गठित की गई। बोर्ड ने भारतीय रेलवे के लोको शेडों में कोयला तथा राख उठाने वाले कार्य में ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन के लिये उक्त समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस मामले को सरकार के पास भेज दिया है। यह मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) सम्भवत: आशय भारतीय रेलवे में लोको शेडों में ठेका श्रम पद्धति के उन्मूलन के सम्बन्ध में भारतीय रेलवे कोयला और राख हैण्डलिंग मजदूर यूनियन, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष के तारीख 25 दिसम्बर, 1977 के ज्ञापन से है। इस मामले पर रेल मंत्रालय से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस्पात का निर्यात

4112. **श्री वी० एम० सुधीरन**
श्री वयालार रवि } : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने विदेशों में इस्पात की बिक्री के लिये इकरार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन देशों से; और

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने उक्त ठेके प्राप्त करने के लिये किसी एजेंसी को नियुक्त किया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) :(क) सेल इन्टरनेशनल लि० ने जो स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी है, विदेशों में इस्पात की बिक्री के लिये समझौते किए हैं।

(ख) अप्रैल, से दिसम्बर, 1977 के दौरान, इन समझौतों के अनुसार इस्पात का देशवार निर्यात विवरण I में दिया गया है।

(ग) सेल इंटरनेशनल लि० ने कुछ ठेके प्राप्त करने के लिए एजेंटों की सेवाएं प्राप्त की हैं।

विवरण I

अप्रैल/दिसम्बर, 1977 के दौरान सेल इन्टरनेशनल लि० द्वारा इस्पात के निर्यात का देशवार विवरण

क्र० सं०	देश	मात्रा (मि० टन)
1.	बंगलादेश	8400
2.	बर्मा	6000
3.	चैकोस्लोवाकिाया	20000
4.	दुबई	5200
5.	मिस्र	111200
6.	यूनान	10000
7.	इंडोनेशिया	36600
8.	ईरान	57000
9.	केनिया	5900
10.	कुवैत	32200
11.	पाकिस्तान	9700
12.	फिलीपिन	39300
13.	सऊदी अरब	25100
14.	सिसली	100
15.	श्रीलंका	10200
16.	सीरिया	29100

क्र० सं०	देश	मात्रा (मि० टन)
17.	फाईलैण्ड	12100
18.	तुर्की	9800
19.	अमरीका	71300
20.	सोवियत रूस	97700

नोट : आंकड़े निकटतम सैकड़ों के आधार पर है।

CONDITION OF INDIAN WORKERS ABROAD

4113. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether certain private agencies registered with Government send Indian workers abroad; and

(b) whether Government have received reports about the pitiable condition of these workers abroad and if so, the details of the action taken so far by Government in this regard ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) To regulate recruitment of Indians for employment overseas, Govermnent decided in June, 1976 that the recruitment of persons for skilled, semi-skilled and unskilled work by private recruiting agencies for employment abroad will be regulated and that these agencies will be registered and approved by the Ministry of Labour. Indian firms or organisations engaged in consultancy or execution of projects in foreign countries as prime or sub-contractors are, however, allowed to recruit directly, without going through recruiting agencies, their own requirements of skilled, semi-skilled and unskilled workers subject to the terms and conditions of employment offered to such workers being approved by the Ministry of Labour before they are actually deployed.

(b) To ensure that the terms and conditions of employment of Indian workers going abroad are satisfactory, the recruiting agencies are required to enter, on behalf of their employers, into an employment agreement covering various aspects of employment which has to be got approved by the Ministry of Labour.

Whenever complaints are received about non-compliance of the terms and conditions of employment contract by foreign employer, these are looked into by our Missions in the concerned countries and efforts made to redress them.

DECLARATION OF KHADI ORGANISATION AS INDUSTRY

4114. SHRI LAJJI BHAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to State :

(a) whether the Supreme Court while delivering its judgement on 21st February 1978, held that khadi organisation is an industry and as such disputes arising there come within the purview of the Industrial Disputes Act; and

(b) if so, whether Government are considering to keep Khadi employees out of the ambit of labour laws and the latest views of Government in this regard and reasons therefor ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) and (b) The Supreme Court in its judgement delivered on the 21st February, 1978, has laid down the test for determining whether a particular establishment would be an 'industry' or not within the meaning of that term in the Industrial Disputes Act, 1947. The entire issue is under examination in the overall context of the proposed Comprehensive Industrial Relations Law.

पासपोर्ट हेतु आवेदन पत्रों की संख्या

4115. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक मार्च, 1977 को सभी पासपोर्ट कार्यालयों के पास प्राप्त आवेदन-पत्रों की क्षेत्रवार संख्या कितनी थी ;

(ख) अप्रैल से दिसम्बर, 1977 के दौरान कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने पासपोर्ट जारी किये गये और उनमें से कितने-कितने पासपोर्ट श्रमिकों तथा छात्रों को दिये गये; और

(घ) 1-1-1978 को पासपोर्ट के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 1-3-77 तक पासपोर्ट के लिये विचारार्थ आवेदनों की संख्या इस प्रकार थी :—

क्रम सं०	पासपोर्ट कार्यालय	विचारार्थ संख्या
1.	अहमदाबाद	22,970
2.	बम्बई	33,329
3.	कलकत्ता	3,975
4.	चंडीगढ़	30,663
5.	दिल्ली	25,203
6.	एर्नाकुलम	69,888
7.	हैदराबाद	8,223
8.	लखनऊ	11,282
9	मद्रास	30,971

(ख) 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 के बीच क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिये लगभग 9.2 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ग) इसी अवधि में लगभग 7.4 लाख पासपोर्ट दिए गए। सरकार लोगों को जारी किए गये पासपोर्टों के विषय में वर्गवार सूचना नहीं रखती।

(घ) 1-1-1978 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के पास लगभग 4.1 लाख पासपोर्ट आवेदन पत्र विचारार्थ पड़े थे। इनमें से 77,000 आवेदन पत्र आवेदकों से अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज/फोटोग्राफ न मिलने के कारण विचारार्थ पड़े थे ;

शिकायतों की जांच करने के लिये सैल की स्थापना

4116. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके मंत्रालय में उनके मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्र संगठनों के विरुद्ध प्राप्त बड़ी संख्या में शिकायतों की जांच करने के लिए कोई उपयुक्त यूनिट नहीं है ;

(ख) क्या इस समय ऐसी सब शिकायतों को निपटाने के लिए सम्बद्ध संगठनों को वापिस भेजा जाता है और इस प्रकार न्याय नहीं किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार जनता का विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी सभी शिकायतों की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन मंत्रालय में एक पृथक यूनिट स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) श्रम मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन क्षेत्र संगठनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए श्रम मंत्रालय लैस है। प्रशासनिक अनुशासन हेतु संगठनों से संबंधित शिकायतों पर उनसे रिपोर्टें मांगी जाती हैं और इस के पश्चात् कार्यवाही, जो आवश्यक समझी जाए, की जाती है। जहां कहीं स्वतंत्र जांच पड़ताल या छान-बीन की आवश्यकता होती है, वहां इस प्रयोजन हेतु भारत सरकार के पास उचित अभिकरण हैं।

खेतिहर मजदूरों की संख्या, उनकी मजूरी तथा उनकी समस्याओं को हल करने के लिये केन्द्रीय कानून

4117. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों की संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्र में निम्नतम मजूरी क्या है ; और

(ग) क्या खेतिहर मजदूरों की विभिन्न समस्याओं के बारे में सरकार केन्द्रीय कानून बनाने का विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस मामले पर हाल ही में 25 जनवरी, 1978 को हुए ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कानून बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से और आगे परामर्श किए जा रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1911/78]

SETTING UP OF INDUSTRIES BASED ON BAUXITE, COAL AND IRON IN M.P.

4118. SHRI SUBHASH AHUJA
SHRI GOVIND RAM MIRI } : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to set up in Madhya Pradesh industries based on bauxite, coal and iron available there; and

(b) if so, the time by which the industries based on the above minerals are likely to be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL & MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) & (b) There is already a project based on the bauxite deposits in Madhya Pradesh, namely, the Korba aluminium complex of the Bharat Aluminium Company Ltd., a Government of India undertaking. Based on the coal deposits in the State, thermal power stations at Korba, Amarkantak and Satpura have already been set up. Con-

siderable additional power capacity at Korba, Satpura and Amarkantak is proposed to be set up. and these projects are scheduled for commissioning during 1978 to 1983. Other power projects based on coal available in Madhya Pradesh, as proposed by the M.P. Government, are under examination. The setting up of a pelletisation plant based on iron ore fines from Bailadilla is also under consideration.

बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर 2000 लाइन वाला टेलीफोन केन्द्र

4119. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बल्लभगढ़ (हरियाणा) में वर्तमान टेलीफोन केन्द्र के स्थान पर 2000 लाइन वाला स्वचालित केन्द्र बनाने के मामले में कितनी प्रगति हुई है तथा यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : बल्लभगढ़ में आटोमेटिक एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के 1979-80 के सप्लाई कार्यक्रम में 1500 लाइनों के आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर अलाट कर दिए गए हैं। नक्शे बनाने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरु कर दी गई है। अन्य कोई अप्रत्याशित विलम्ब न हुआ तो आशा है कि यह एक्सचेंज 1982 में चालू हो जाएगा।

राज्यों को इस्पात के वितरण के लिये नई नीति

4120. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को इस्पात के वितरण के लिये केन्द्रीय सरकार ने नई नीति आरंभ की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) लघु तथा मध्यम क्षेत्रों के वास्तविक उपभोक्ताओं की मदद करने की दृष्टि से तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहां तक संभव हो सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूर्णतया पूरी की जा सके, पिछले एक वर्ष में वितरण प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) वास्तविक उपभोक्ताओं को, जिनके आपने निजी रेलवे साइडिंग हैं, प्लेटों, संरचनात्मकों, गर्म बेलित चादरों/क्वायलों और ठंडी बेलित चादरों/क्वायलों की सप्लाई स्टाकयार्ड मूल्यों पर पूरे बैगनों में की जाती है। इन मूल्यों में हैंडलिंग खर्च शामिल नहीं होते हैं।

(2) उपभोक्ताओं के एक ग्रुप को भी पूरी गाड़ी में कच्चे लोहे की सीधे कारखाने से आपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि वह कुछ शर्तें पूरी कर दे जैसे गन्तव्य स्थान एक हो, उचित वित्तीय प्रबन्ध करने के लिए एक अभिकरण नामित किया गया हो आदि, आदि।

(3) वे लघु इकाइयां, जिनका पिछली प्रत्येक तिमाही का अपक्रय 200 टन रहा है अथवा जिनके चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 200 टन माल लेने की संभावना है, सीधे हिन्दुस्तान स्टील लि० के स्टाकयार्ड से लोहे और इस्पात की सामग्री ले सकती हैं।

(4) राज्य लघु उद्योग निगमों को कारखानों से माल की सप्लाई बढ़ा दी गई है ताकि ये निगम लघु क्षेत्र के उपभोक्ताओं की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

(5) हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रेषण एजेंट/हैंडलिंग एजेंट की नियुक्ति के मामले में राज्य लघु उद्योग निगमों को प्राथमिकता दी जा रही है।

भारत मूलक विदेशियों की बैंकों में जमा राशि पर घटती हुई दर से आय कर का अनुरोध

श्री डी० वी० चन्द्र गौडा : क्या विदेश मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीकी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने सरकार से भारत मूलक विदेशियों की भारत में बैंकों में जमा धनराशि पर आय कर की दर में कमी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत वर्ष के दौरान राजदूतों तथा उच्चायुक्तों की नियुक्ति

4122. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार ने अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में राजदूतों और उच्चायुक्तों के रूप में कितनी नियुक्तियां कीं और उक्त राजनयिकों के नाम क्या हैं और वे किन-किन देशों में नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या कोई रिक्त पद अभी भी भरे जाने हैं ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की व्यापक नीति यह है कि अधिकांश उक्त नियुक्तियां केवल वृत्तिक राजनयिकों में से ही की जायें ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) इस अवधि में 24 राजदूत और हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए। एक विवरण सदन की मेजर पर रख दिया गया है जिसमें राजनयिक और उनकी तैनाती के देशों के नाम दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। पांच रिक्तियां निम्नलिखित देशों में हैं :

(1)	डेनमार्क	राजदूत
(2)	यूनान	राजदूत
(3)	मलावी	हाई कमिश्नर
(4)	सऊदी अरब	राजदूत
(5)	यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य	राजदूत

(घ) और (ङ) ऐसी नियुक्तियों के बारे में सरकार की नीति यह है कि संबद्ध मिशन में नियोजित कार्य विशेष के निष्पादन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति को चुना जाए चाहे वह व्यक्ति वृत्तिक राजनयिक हो या सार्वजनिक क्षेत्र का व्यक्ति ।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	देश	अभ्युक्ति
(1)	श्री एन० ए० पालखीवाला	राजदूत	संयुक्त राज्य अमरीका	कार्यभार संभाल लिया है ।
(2)	श्री एन० जी० गोरे	हाई कमिश्नर	यूनाइटेड किंगडम	,,
(3)	श्री पी० के० दवे	राजदूत	बेल्जियम	,,
(4)	श्री के० एल० दलाल	राजदूत	थाईलण्ड	,,
(5)	श्री पी० के० गुहा	राजदूत	पुर्तगाल	,,
(6)	श्री जी० जे० मलिक	राजदूत	स्पेन	,,
(7)	श्री जी० जी० स्वैल .	राजदूत	नार्वे	,,
(8)	श्री ए० पी० वेंकटेश्वरन	राजदूत	सीरिया अरब गणराज्य	,,
(9)	श्री वी० वी० परांजपे	राजदूत	कोरिया गणराज्य	,,
(10)	श्री के० नटवर सिंह .	हाई कमिश्नर	जाम्बिया	,,
(11)	श्री यू० सी० सोनी	राजदूत	मोरक्को	,,
(12)	श्री एस० एच० देसाई	राजदूत	बल्गारिया	,,
(13)	श्री वी० के० वर्मा	राजदूत	इथोपिया	,,
(14)	श्री कैलाश चन्द्र	हाई कमिश्नर	मारीशस	,,
(15)	श्री थांबी श्रीनिवासन .	राजदूत	सोमालिया	,,
(16)	श्री आर० एन० गुप्ता .	राजदूत	सूरीनाम	,,
(17)	श्री जे० टी० कल्लूकरन	राजदूत	कोरियाई लोक-तांत्रिक जन गणराज्य	,,
(18)	श्रीमती उषा नाथ .	राजदूत	गिनी	,,
(19)	श्री के० आर० पी० सिंह	राजदूत	आस्ट्रिया	अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है।
(20)	श्री एन० पी० अलैक्जेंडर	राजदूत	स्वीडन	,,
(21)	श्रीमती एस० कोचर	राजदूत	सेनेगल	
(22)	श्री अब्दुल गनी गोनी	राजदूत	जोर्डन	,,
(23)	श्री ए० के० रे .	राजदूत	रुमानिया	,,
(24)	कुमारी एन० एन० हरालु	राजदूत	पनामा	,,

देश में अधिकृत चिकित्सक

4123. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (एक) एलोपैथी (दो) होम्योपैथी (तीन) यूनानी (चार) आयुर्वेदिक और यदि कोई अन्य हो तो उसके अधिकृत चिकित्सकों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) देश में ऐसे अस्पतालों की अलग-अलग संख्या कितनी है जहां लोगों का (एक) एलोपैथी (दो) होम्योपैथी, (तीन) यूनानी, (चार) आयुर्वेदिक और यदि कोई अन्य चिकित्सा पद्धति हो, तो उसमें इलाज किया जाता है ; और

(ग) देश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, अलग-अलग उपलब्ध चिकित्सकों और अस्पतालों की प्रतिशतता क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

(1) एलोपैथी	2,12,294
(31-12-1976 तक)	
(2) होम्योपैथी .	
अर्हता-प्राप्त . . .	18,169
अनुभव के आधार पर . .	70,108
(3) यूनानी	
(31-3-1977 तक)	
संस्थाओं से अर्हता-प्राप्त .	8,859
बिना संस्थाओं से अर्हता-प्राप्त . .	12.856
(4) आयुर्वेद	
(31-3-1977 तक)	
संस्थाओं से अर्हता-प्राप्त . . .	1,34,746
बिना संस्थाओं से अर्हता-प्राप्त . . .	88,080
(5) सिद्ध	
(31-3-1977 तक)	
संस्थाओं से अर्हता-प्राप्त . .	1,602
बिना संस्थाओं से अर्हता-प्राप्त . . .	16,569
(ख) एलोपैथी	4,866
होम्योपैथी	81
यूनानी . . .	6
आयुर्वेद . . .	192
सिद्ध . . .	2
	69*

*एलोपैथी अस्पतालों में विंग ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 27 प्रतिशत अस्पताल ग्रामीण इलाकों में तथा 73 प्रतिशत नगरीय इलाकों में हैं। चिकित्सक कहां-कहां हैं, इसके बारे में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पांचवीं योजना के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में रहने वाली 80 प्रतिशत आबादी के लिए देश में केवल 30 प्रतिशत अस्पताली-पलंग और 20 प्रतिशत डाक्टर हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की माँगें

4124. श्री शिव नारायण सरसूनिया : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संघ ने लम्बे समय से लंबित अपने 32–सूत्री मांग पत्र के निपटारे में विलंब के विरुद्ध 10 जनवरी, 1978 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का नोटिस दिया था ;

(ख) क्या उनकी कुछ मांगे जैसे मानदण्ड का पुनरीक्षण, क्लर्कों तथा हैड क्लर्कों के बीच अनुपात में परिवर्तन, पी० एफ० आई० ग्रेड 2 तथा सुपरिन्टेंडेंटों के वेतनमानों का पुनरीक्षण, हैदराबाद में मकान किराया भत्ते को बहाल करना, को श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 17 अक्तूबर, 1977 को स्वीकार कर लिया था ;

(ग) क्या उन्होंने स्वीकृत मांगों की क्रियान्विति के लिये 4 जनवरी, 1978 को मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया था तथा 8 जनवरी, 1978 को संघ से हड़ताल समाप्त करने की अपील की थी तथा आश्वासन दिया था कि उनकी स्वीकृत मांगे तुरन्त क्रियान्वित की जायेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) महासंघ के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।

(ग) श्रम राज्य मंत्री ने प्रतिनिधियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की। कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और अन्य कुछ मांगों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) कार्यभार, वेतन कटौती परावर्तन और रजत जयंती समारोह के संबंध में कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों जैसे कुछ मांगों के संबंध में आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अन्य कुछ मांगें जैसे भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड-2) के वेतन-मानों में संशोधन तथा हैदराबाद में कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, विचाराधीन हैं।

हिन्दुस्तान स्टील तथा टाटा कम्पनी द्वारा अपने उत्पादों को बड़े उद्योगपतियों अथवा स्टाकिस्टों को भारी मात्रा में एक साथ बेचना

4125. श्री भगत राम : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि हिन्दुस्तान स्टील और टाटा कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को

बड़े उद्योगपतियों अथवा स्टाकिस्टों को भारी मात्रा में एक साथ बेचा जाता है और वे खरीदने के पश्चात् उसे काला बाजार में बेचते हैं ;

(ख) क्या उन्हें इस के परिणामस्वरूप छोटे उद्योगपतियों को होने वाली कठिनाइयों का भी पता है, और

(ग) ये कठिनाइयां क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) इस समय लोहे और इस्पात की किसी श्रेणी की आपूर्ति और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है, अतः किसी प्रकार के 'काले बाजार' का प्रश्न ही नहीं उठता। सामान्यतः इस्पात सामग्री बेचते समय वास्तविक उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात् उपलब्ध सामग्री व्यापारियों को दे दी जाती है जो इसे उन वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचते हैं जिन्हें थोड़ी मात्रा में माल की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु उद्योग निगम अपनी इकाइयों की आवश्यकताएं विशेष रूप से कम आपूर्ति वाली लोहे और इस्पात की मदों को पूरा करने में कठिनाई अनुभव कर रही है। परिवहन की भी अड़चनें रही हैं जिसे रेलवे हल करने की कोशिश कर रही है। उत्पादकों से कहा गया है कि वे इन निगमों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दें। निगमों के प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें भी की जाती हैं। इन उपायों के फलस्वरूप निगमों के किए जाने वाले प्रक्षणों में काफी वृद्धि हुई है।

REDUCTION OF WORKING HOURS IN FACTORIES

4126. SHRI RAM DHARI SHASTRI: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether keeping unemployment problems in view Government propose to reduce the daily working hours from 8 to 6 in the factories; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) There is no such proposal under consideration at the moment.

(b) Does not arise.

श्रमिकों की देखभाल के लिये विशेष "सैल" बनाया जाना

4127. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण श्रमिकों की सभी समस्याओं पर ध्यान देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष 'सैल' बनाने पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) देश में ग्रामीण श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी होगी और उनमें से बेरोजगार और आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी होगी ; और

(ग) क्या उपरोक्त सैल ग्रामीण श्रमिकों की देखभाल करने, उनकी मजूरी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों, भूमि सुधारों और भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि वितरण से संबंधित कानूनों को क्रियान्वित करने वाले तंत्र/एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1973 के दौरान किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27 वें दौर के अनुसार इस देश में ग्रामीण श्रमिकों की संख्या 1996.3 लाख थी। इनमें 18.3 लाख श्रमिक चिर-काल से बेरोजगार थे और बताया गया था कि 502.4 लाख श्रमिकों को, जो नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे थे, अपूर्ण रोजगार प्राप्त था।

इस मंत्रालय में असंगठित ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या के संबंध में कार्यवाही करने वाले सैल का एक केन्द्र खोला गया है, ताकि वह उनके संगठन तथा सेवा-शर्तों की जांच-पड़ताल कर सके।

RESIDENTIAL COLONY FOR EMPLOYEES OF GMT, PMG IN CERTAIN DISTRICTS OF U.P.

†4128. SHRI PHIRANGI PRASAD : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether any residential colony has been constructed by the Department for employees of G.M.T. and P.M.G. Offices in Gorakhpur, Deoria, Basti and Azamgarh Districts, concerning U.P. Circle, Lucknow; and

(b) if not, whether Government propose to take appropriate steps to build a colony with a view to provide housing facility and if so, when and if not, the reasons therefor ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) The following departmental staff quarters are available at the various stations in these districts :

Gorakhpur	14
Azamgarh	15
Deoria	15
Basti	3

(b) Additional staff quarters are proposed to be constructed at various stations in a phased manner.

BENEFIT OF LABOUR LAWS TO WORKERS GETTING SALARY UPTO RS. 1,000/-

4130. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of Parliamentary Affairs and Labour be pleased to state :

(a) whether only those workers who draw monthly salary upto Rs. 500/- come in the ambit of the present definition of "worker" and are given the benefit of labour laws;

(b) whether workers drawing monthly salary upto Rs. 1000/- will also be covered under this definition by making a change; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) to (c). The term 'workman' in the Industrial Disputes Act, 1947 has been defined functionally without any wage limit. The wage limit applies only in the case of supervisors so that supervisors drawing wages less than Rs. 500/- p.m. are brought within the ambit of the term 'workman'.

जाली डाक टिकट

4131. श्री शंकर सिंह जी वाघेला : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली डाक-टिकटों के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सिलसिले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इन जाली डाक टिकटों को बनाने में कुछ डाक कर्मचारियों का हाथ होने का भी सन्देह है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जाली डाक टिकट इस्तेमाल करने का एक मामला जानकारी में आया है ।

(ख) अभी तक चार ऐसे पत्र जानकारी में आए हैं जिन पर 25 पैसे और 50 पैसे मूल्य के (क्रमश: नेहरु और उड़ते हुए पक्षियों की डाक टिकट माला के) डाक टिकट लगे थे । इन चार पत्रों में से एक पत्र का वितरण दिल्ली में किया गया था; अन्य पत्र डाक में पारेषण के दौरान कलकत्ता के हवाई डाक छंटाई कार्यालय में पकड़ में आए थे । इस मामले की रिपोर्ट 18/2/78 को भागलपुर (बिहार) की स्थानीय पुलिस में कर दी गयी थी क्योंकि ये पत्र वहीं से डाक में डाले गए थे । पुलिस और विभाग द्वारा इस मामले की तफतीश चल रही है ।

(ग) जी हां, अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ।

(घ) और (ङ) अभी तक इस मामले में किसी डाक कर्मचारी के अन्तर्ग्रस्त होने की बात जानकारी में नहीं आई है ।

MANUFACTURING OF SPURIOUS DRUGS AND INJECTIONS

4132. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that spurious drugs and injections are being manufactured in the country in huge quantity as a result of which the doctors have been put to trouble and the life of the patients has been endangered;

(b) whether Government would make the present law more stringent in order to deal with persons manufacturing spurious drugs or adulterating the drugs so as to put an end to

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Government have not received any report of manufacture of spurious drugs and injections in huge quantities. Under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Rules thereunder, control over the manufacture and sale of drugs is exercised by the State Drug Control Authorities who have been requested to furnish the information received by them in the matter.

(b) The Drugs and Cosmetics Act is proposed to be amended to provide for stringent penalities for manufacture and sale of spurious and adulterated drugs. The various proposed amendments have reached an advanced stage of processing.

(c) Does not arise.

LABOURERS WORKING IN NANDINI MINES NEAR BHILAI STEEL PLANT

4133. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of labourers working under contractors and the Society in Nandini Mines near Bhilai Steel Plant; and

(b) whether Government propose to take over the said mines and if so, the time by which it would be done ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) The number of labourers working under contractors and the Labour Co-operative Society in the Nandini Mines of Bhilai Steel Plant is as follows :—

Contractors	..	355
Labour Co-operative Society		824

(b) The Nandini Limestone Mines are captive mines of the Bhilai Steel Plant and as such the question of taking over by Government does not arise.

ENTRY OF U.S. NAVAL FORCES IN INDIAN OCEAN

†4134. SHRI RAMDAS SINGH
SHRI R. V. SWAMINATHAN } : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the news item published in Nav Bharat Times, dated 23rd February, 1978 that "Ameriki Nau Sena Ke Char jahaj niyantrit prakshepastra yudhpot 'Fox' ke netritwa men dhwaj pradarshan ke liye Hind Mahasagar men pravesh kar gaye hein" (four-ship U.S. Navy force headed by the guided missile cruiser Fox has entered the Indian Ocean in a 'show the flag' voyage);

(b) whether this action is stated to be in the context of a deepening crisis in the 'Horn of Africa';

(c) whether the entry of these cruiser warships in Indian Ocean would not cause anxiety for India; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in protest thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir.

(b) Our attention was drawn to U.S. State Department's announcement of the 20th February, 1978, that a U.S. Navy Task Force consisting of four ships entered the Indian Ocean for routine deployment.

(c) & (d). Government of India has always held the view that military presence and rivalry of big powers in Indian Ocean is a cause of tension and insecurity in the area. Any augmentation in the military presence of big powers in Indian Ocean, is an impediment to the lessening of the tension in the area. I have already made detailed statements on related subjects in Lok Sabha on 27th February and in Rajya Sabha on 1st March, 1978.

वर्ष 1979 में इस्पात के उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य

4135. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष, 1979 के लिये एक करोड़ टन इस्पात उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ग) किन-किन इस्पात संयंत्रों में बढ़ी हुई दरों पर इस्पात का उत्पादन किया जायेगा ;

(घ) क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ङ) वित्त वर्ष 1978-79 के लिए 6 सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 99.65 लाख टन इस्पात पिण्ड निश्चित किया गया है। वर्ष 1977-78 में अनुमानित उत्पादन के मुकाबले में यह लक्ष्य 15 लाख टन अर्थात् 17.8% अधिक है। "टिस्को" को छोड़कर इस अतिरिक्त उत्पादन में

सभी कारखानों का योगदान होगा लेकिन इन सब में से अधिकतर योगदान बोकारो इस्पात कारखाने का होगा, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी में दिखाया गया है ।

(हजार टन)

कारखाना	1977-78 अनुमानित उत्पादन	1978-79 उत्पादन लक्ष्य
भिलाई .	2378	2400
दुर्गापुर .	1087	1250
राउरकेला . .	1415	1550
बोकारो . .	966	2050
'टिस्को' .	1969	1950
'इस्को' .	647	765
जोड़ . . .	8462	9965

बोकारो को छोड़कर दूसरे कारखानों के मामले में अतिरिक्त उत्पादन स्थापित क्षमता के उपयोग में सुधार के फलस्वरूप उपलब्ध होगा ।

जहां तक बोकारो इस्पात कारखाने का संबंध है इसका प्रथम चरण फरवरी, 1978 में धमन भट्टी संख्या 3 के चालू होने से पूरा हो गया है । इस चरण में कारखाने में इस्पात पिण्ड की उत्पादन क्षमता 17 लाख टन है । इस चरण पर 981.34 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । वर्तमान अनुमान के अनुसार कारखाने का 40 लाख टन इस्पात पिण्ड की क्षमता तक विस्तार करने पर 1072 करोड़ रुपये खर्च होंगे । विस्तार कार्य चल रहा है ।

वर्ष 1978-79 की उत्पादन योजना प्राप्त करने के लिए मख्य आदानों की, जिनमें कच्चा माल, रेल यातायात, बिजली आदि शामिल हैं, उपलब्धि और सप्लाई के बारे में संबंधित अभिकरणों से विचार-विनिमय किया गया है । पूंजीगत तथा रख-रखाव सम्बन्धी मरम्मतों के लिये भी कार्यक्रम तैयार कर लिये गये हैं । यह भी विचार है कि राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले का कुछ मात्रा में आयात किया जाए और उसे देशीय कोयले के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाय जिससे इस्पात कारखानों में धमन भट्टियों की उत्पादिकता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी ।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में स्टाफ कारों पर व्यय

4136. **श्री कल्याण जैन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में स्टाफ कारों पर होने वाले व्यय में कई गुना वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार पैट्रोल, मरम्मत, फालतू पुर्जों के बदलने और स्टाफ कार के ड्राइवरों को समयोपरि भत्ता देने पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी नहीं । दूसरी कार खरीदने के कारण वर्ष, 1977-78 में कुछ वृद्धि हुई है ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में स्टाफकार के लिए पिछले तीन वर्षों में हुआ व्यय

वर्ष	पैट्रोल और तेल	सर्विसिंग और मरम्मत	बीमा और सड़क कर	गैरेज किराया	टायर, ट्यूब और सीट कवर आदि की लागत	मिश्रित	स्टाफकार ड्राइवरों को दिया गया समयोपरि भत्ता	जोड़	टिप्पणियां
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	****
1975-76	7,242.61	4,178.35	125.00	90.00	538.20	—	1,010.65	13,176.81	
1976-77	7,963.71	4,036.04	1,182.20	560.00	495.24	37.45	1,537.45	15,812.09	
1977-78 (15-3-78 तक)	10,830.60	1,474.90	952.00	756.00	1,249.51	16.00	1,787.70	17,066.71	
जोड़	26,036.92	9,689.29	2,259.20	1,406.00	2,274.95	53.45	4,335.80	46,055.61	

**** फरवरी, 1977 तक केवल एक कार थी जब कार्यालय के लिए दूसरी कार भी खरीदी गई।

पैट्रोल आदि के शीर्ष में व्यय में वृद्धि इस लिए हुई है क्योंकि फरवरी, 1977 से दो कारों का उपयोग किया जा रहा है।

EMPLOYEES WORKING IN BAUXITE MINES OF KHURKHURA DADAR BALCO IN MANDLA IN MADHYA PRADESH

4137. SHRI SHYAM LAL DHURVE : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of permanent and temporary employees working in the bauxite mines of Khurkhura Dadar Balco in Mandla, Madhya Pradesh;

(b) the number of the employees, out of them, who are temporary citizens of Mandla District; and

(c) the reasons for not giving preference to local citizens in the appointment of the employees in these mines ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) There is no bauxite mine at Khurkhuri Dadar. The total number of employees working in the Raktidadar Mines, whose Mines Office is located at Khurkhuri Dadar, is 708, of whom 707 are permanent.

(b) & (c). The company is employing local people to the maximum extent possible, within the frame work of the recruitment policy applicable to Government Undertakings in accordance with Government instructions on the subject. Statistics regarding district-wise origin of employees is not maintained, nor expected to be maintained, by the Company.

PROVISION OF A SEPARATE POSTMAN IN BRANCH POST OFFICES IN RURAL AND REMOTE AREA

†4138. SHRI RAJ KESHAR SINGH : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether a proposal is being considered by Government to make available the services of a separate Postman in Branch Post Offices in rural and remote areas having no means of transport;

(b) if so, the salient points thereof; and

(c) if not, the alternative arrangement Government propose to make to obviate the delay caused and difficulty experienced by Branch Post Master in delivering village to village and house to house dak ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The complement of staff attached to the post offices is fixed taking into account the quantum of work including delivery work and separate staff for delivery is sanctioned if it cannot be done by the available staff.

लुधियाना में दोषयुक्त टेलीफोन एक्सचेंज

4139. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें लुधियाना के टेलीफोन एक्सचेंज के दोषयुक्त कार्यकरण का पता है जहां एक स्थानीय काल करने के लिए 20 से 30 मिनट तक 'डायलटोन' की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिससे पंजाब के इस औद्योगिक नगर के 10 लाख लोगों को कठिनाइयां होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं । इस एक्सचेंज प्रणाली के दोषपूर्ण होने की बात सही नहीं है । सिर्फ इस बात को छोड़कर कि व्यस्त समय में डायल टोन मिलने में 5 से 15 सेकंड तक का विलंब हो जाता है, यह एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहा है ।

(ख) "इस बारे में निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :—

1. क्रासबार एक्सचेंज को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि उसमें ज्ञात सुधारों को उत्तरोत्तर शामिल किया जा सके ।

2. उपस्कर का नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपस्कर ठीक ढंग से काम कर रहा है ।

3. मौजूदा एक्सचेंज पर बहुत अधिक भार है । इसलिए 6,000 लाइनों का एक और एक्सचेंज लगाया जा रहा है । इस एक्सचेंज के चालू हो जाने पर मौजूदा एक्सचेंज को कुछ राहत मिल जाएगी ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा उड़ीसा में पाये गये खनिज

4140. **श्री सरत कार :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने उड़ीसा में अब तक किन किन खनिजों का पता लगाया है;

(ख) तीसरी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान इन खनिजों का किस सीमा तक उपयोग किया गया और उन्हें विकसित किया गया; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में खनिज निक्षेपों के आधार पर पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कोई परियोजना तैयार की है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) उड़ीसा के विभिन्न भागों में किए गए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के फलस्वरूप राज्य में अब तक जिन महत्वपूर्ण खनिजों के होने का अनुमान लगाया है, उनमें बक्साइट, तांबा अयस्क, लौह अयस्क, कोयला, मेंगानीज अयस्क, क्रोमाइट, बेनैडिफैरस, मैगनेटाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, निकिल, चीनी मिट्टी, फायर-क्ले और ग्रेफाइट शामिल हैं ।

(ख) तीसरी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के आरम्भ में उड़ीसा में निकाले गए खनिजों की मात्रा और मूल्य के बारे में जानकारी अनुबंध-1 में दी गई है जो क्रमिक योजना अवधियों के दौरान अनेक खनिजों के उत्पादन और मूल्य में क्रमश: वृद्धि को प्रकट करती हैं ।

(ग) पांचवीं योजना तथा आगामी पंचवर्षीय योजना (1978--83) के प्रारूप में उल्लिखित महत्वपूर्ण खनिज आधारित परियोजनाओं में पूर्वीघाट बाक्साइट परियोजना, मुकिन्दा निकिल परियोजना और सर्गीपल्ली सीसा परियोजना शामिल है ।

1978–83 की पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए **विचाराधीन परियोजनाएं फेरो-बेनेडिपुरम** और फैरो-क्रोम से संबंधित हैं । अगली योजना अवधि (1978–83) के दौरान विकसित की जाने वाली परियोजनाएं इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

विवरण

अनुबन्ध–1

उड़ीसा में तीसरी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ और 1977 में खनिज उत्पादन

(मात्रा टनों में)

(मूल्य हजार रुपयों में)

खनिज	1961		1969		1974		1977 (अ)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एंडालुसाइट	—	—	—	—	—	—	127	3
एसबेस्टस	14	2	39	17	—	—	—	—
क्रोमाइट	39,099	2,063	219,135	11,462	390,754	57,625	317,292	165,546
कोयला*	972	21,938	1,457	52,569	1,820	91,146	92,150	134,680
डोलोमाइट	484,886	5,669	611,493	13,318	528,337	21,558	763,613	33,594
चीनी मिट्टी	103,624	1,182	105,487	1,012	112,617	2,481	116,382	4,380
ग्रेफाइट (आर० ओ० एम०)	लागू नहीं	लागू नहीं	3,980	839	17,923	1,633	21,852	2,866
लौह अयस्क	4695,958	39,437	6,790,676	66,864	5,432,332	100,532	7,289,121	148,933
बजोलिन	10,253	597	13,412	861	17,338	1,236	15,643	1,172
चूनापत्थर	2,192,514	17,306	2,655,758	44,099	2,700,456	85,257	2,898,107	88,631
मैंगनीज अयस्क	393,049	15,694	467,248	21,328	429,625	26,991	685,606	41,769
अभ्रक (क्रूड) (पी)	3	××	—	—	—	—	—	—
क्वार्टज	—	—	—	—	—	—	—	—
क्वार्टजाइट	—	—	80,028	836	85,917	1,048	86,838	982
स्टीटाइट	—	—	—	—	—	—	637	2
अन्य (गौण खनिज)		249		1,351		938		1,187 (अनु)
कुल (मूल्य)		104,137		214,756		390,445		623,745

नोट :— (अ)—अनंतिम ××नाममात्र

(अनु)—अनुमानित *मात्रा हजार टनों में

मैथोन बांध (बिहार) में नियुक्त डाक और तार कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता

4141. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथोन बांध (बिहार) में नियुक्त किये गये डाक और तार कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते देने का प्रावधान सरकार के विचाराधीन था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) डाक-तार कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता देने की स्वीकृति नहीं दी जा सकी ।

देश के अस्पतालों का कार्यकरण

4142. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्माचरियों द्वारा बार-बार हड़ताल किये जाने के कारण देश भर में अस्पतालों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन अस्पतालों की सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को ध्यान में रखते हुए इनमें हड़तालों पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) डाक्टरों, नर्सों और अन्य स्टाफ की हड़ताल से अस्पतालों के काम-काज पर निश्चय ही बुरा असर पड़ता है ।

(ख) और (ग) अस्पतालों में हड़तालों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । तथापि, संसद् के चालू अधिवेशन में एक व्यापक औद्योगिक सम्पर्क विधेयक के लाये जाने की सम्भावना है जिसमें उन स्थापनाओं में होने वाली हड़तालों से संबंधित सभी बातें शामिल होंगी जो उक्त विधेयक के अर्थानुसार उद्योग कहलाती है ।

मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रमों के कार्यालयों के अन्तरण का कार्यक्रम

4143. **डा० बापू कालदाते :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रमों के कार्यालयों के मुख्यालयों के अन्तरण हेतु कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिसके कार्यालय अन्तरित किय जा रहे हैं ;

(ग) अन्तरित की गई इन कम्पनियों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जो अन्तरित किये गये इन नये कार्यालयों में स्वयं स्थानान्तरण नहीं कराना चाहेंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

चाय बागानों के श्रमिकों के काम करने की दशा और मंजूरी

4144. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चाय बागान उद्योग में मजूरी ढाँचे की जांच करने और चाय-बागान श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजूरी निर्धारित करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चाय बगानों के श्रमिकों के काम करने तथा निर्वाह स्थितियों की जांच करने के लिए, क्योंकि वे कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, विशेष रूप से आसाम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और इसके निदेश-पद क्या होंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं । इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ERADICATION OF T.B.

4145. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state how long it is likely to take to eradication T.B. disease completely from the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : It is not possible for the Government to indicate the period by which the T.B. disease will be completely eradicated from the country. Under the National T.B. Programme the Government are, however, making every effort to check the spread of T.B. disease in the country and to reduce the problem to such an extent that it no longer remains a major public health problem.

A statement showing the number of District T.B. Centres established under the National T.B. Control Programme and the cost of Anti T.B. drugs & B.C.G. Vaccine supplied under this programme in the year 1976-77 is attached.

STATEMENT

Name of State/U.T.	Total No. of Distts.	Total No. of Distt. TB Centres	Cost of anti—TB and BCG Vaccine supplied
1 2	3	4	5
1. Andhra Pradesh	21	21	11·39
2. Assam	10	10	4·89
3. Bihar	31	9	7·82
4. Gujarat	19	19	7·58
5. Haryana	11	9	3·22
6. Himachal Pradesh	12	8	2·41
7. Jammu & Kashmir	10	9	2·14
8. Kerala	11	10	5·31

1	2	3	4
9. Madhya Pradesh	45	28	9·20
10. Maharashtra	26	26	10·41
11. Karnataka	19	19	8·10
12. Orissa	13	12	4·23
13. Punjab	12	9	5·26
14. Rajasthan	26	26	7·53
15. Tamil Nadu	15	15	13·44
16. UttarPradesh	55	52	23·66
17. West Bengal	16	16	9·55
18. Delhi	1	1	6·74
19. Nagaland	7	—	0·02
20. Meghalaya	3	1	0·48
21. Manipur	6	1	0.62
22. Sikkim	4	1	0·56
23. Pondicherry	4	1	0·32
24. Tripura	3	1	0·30
25. Goa, Daman and Diu	3	1	0·52
26. A. & N. Islands	2	1	0·34
27. L&M Islands	1	—	0·09
28. Arunachal Pradesh	5	3	0·45
29. Chandigarh	1	1	0·20
30. Mizoram	3	1	0·26
31. Dadra & Nagar Haveli	1	—	0·01
TOTAL	396	311	147·07

STEEL TUBES PRODUCTION OF H.S. LTD.

4146. SHRI L. L. KAPOOR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the steel tube manufacturing capacity of public and private sectors and the production of the Hindustan Steel Ltd.;

(b) whether, besides a Sales Manager, a Sales Officer has been appointed for sale of steel tubes; and

(c) if so, the justification therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) The annual rated capacity of units manufacturing steel pipes and tubes in the public and private sectors is given below :—

Public Sector	1,30,000 tonnes
Private Sector	18,38,050 tonnes

The production of Hindustan Steel Limited during 1976-77 was, 65,100 tonnes and during the period April 77—Feb. 78 was 71,800 tonnes.

(b) and (c) Presumably, the Question refers to the Sales Manager of Flats and Tubular Products Division of Central Sales Organisation of Hindustan Steel Limited, Calcutta. Besides pipes, the Sales Manager is also incharge of sales of tin plates and electrical steel sheets. An officer has been working under him to assist in the sale of pipes and it is felt necessary to continue this arrangement in view of the special nature of the job.

मजूरी नीति पर प्रतिवेदन

4147. **श्री चित बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मजूरी नीति का अध्ययन करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए प्रोफेसर एस० चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा)) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ श्रम मंत्रालय में मजदूरी सेल की स्थापना की सिफारिश की गई थी और मजदूरी नीति के लिए सुझाव दिए गए थे।

(ग) श्रम मंत्रालय में 1974 में एक मजदूरी सेल की स्थापना की गई। उक्त समिति की अन्य सिफारिशों का विषय वित्त मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1977 में स्थापित मजदूरी, आय और मूल्यों संबंधी अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों का भाग है।

विदेशों में स्थित व्यापार आयुक्त और व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्ति के लिये अपनाये गये मानदण्ड

4148. **डा० भगवान दास राठौर :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित व्यापार आयुक्त और व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्ति के लिये विदेश मंत्रालय द्वारा कोई मानदंड अपनाये गये हैं ;

(ख) इन वर्गों के कितने अधिकारियों की गत तीन वर्षों में इन नियुक्तियों पर विचार किया गया है; और

(ग) इन नियुक्तियों का वर्गवार और कार्यालयवार ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) विदेशों में अधिकारियों को भी विदेश मंत्रालय के अन्य सभी कार्मिकों पर लागू मानदंड के अनुसार ही तैनात किया जाता है।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले अधिकारियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 111 अधिकारियों को विगत तीन वर्षों में विदेशों में विभिन्न वर्गों के पदों पर तैनात किया गया है।

इनमें से व्यापार कमिश्नरों और व्यापार प्रतिनिधियों के कार्यालयों में तैनात किए गए अधिकारियों का वर्गवार और कार्यालयवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

अधिकारी का वर्ग	कुल संख्या	मिशन/कार्यालय का नाम
समूह "क" . .	10	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट भारत का राजदूतावास, अदीस अबाब भारत का प्रधान कौंसुलावास, सिडनी भारत का राजदूतावास, आबू धाबी भारत का प्रधान कोंसुलावास, वेन्कोवर भारत का राजदूतावास, प्राग भारत का कोंसुलावास, हांगकांग भारत का हाई कमीशन, नैरोबी भारत का राजदूतावास, दमिश्क
समूह "ख"	4	भारत का राजदूतावास, बैंगकाक भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट भारत का राजदूतावास, द हेग
समूह "ग" . . .	कुछ नहीं	—
समूह "घ" . . .	कुछ नहीं	—

भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भर्ती

4149. **श्री ए० के० राय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भर्ती सम्बन्धी मामला उनके सम्मुख लाया गया था जैसा कि पत्रांक एम० एस० एम०77/1843 दिनांक 9 अक्तूबर, 1977 द्वारा बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत रिफ्रेक्ट्रीज में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की भर्ती के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि० में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किए गए अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुसार की जाती है सिवाय ऐसे मामलों के जब प्रबन्धकों द्वारा योग्यता और अनुभव में छूट देने के बावजूद भी इन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं।

राउरकेला उर्वरक संयंत्र द्वारा स्थापित नये रिकार्ड

4150. **श्री के० प्रधानी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77 के दौरान राउरकेला उर्वरक संयंत्र ने अनेक नए रिकार्ड स्थापित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) राउरकेला उर्वरक संयंत्र द्वारा वर्ष 1976-77 में स्थापित किए गए विभिन्न कीर्तिमानों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(टन)

विवरण	वर्ष 1976-77 के कीर्तिमान		
	एक दिन का	एक महीने का	एक वर्ष का
उत्पादन			
1. केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट	1,660 (8-2-1977)	35,450 (जनवरी, 77)	318,053 (1976-77)
2. अमोनिया		12,548 (जनवरी, 77)	112,933 (1976-77)
3. नाइट्रिक एसिड		40,077 (जनवरी 77)	362,059 (1976-77)
प्रेषण			
1. केल्सियम एमोनियम नाइट्रेट			331,073 (1976-77)

TELEPHONE CONNECTIONS PROVIDED IN DELHI DURING LAST TWO YEARS

†4151. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state the number of telephone connections provided during the last two years in Delhi and the action being taken by Government to provide more telephone connections in future ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : The number of telephone connections provided during the last two years i.e. 1976-77 and 1977-78 (upto 31-1-78) is 30,751. To provide new connections, the existing exchanges are being expanded and new exchanges are being installed. The following is the tentative programme of commissioning of new exchanges :

Year	Telephone Exchange	No. of lines to be Provided
1978-79	Shahdara East	1600
	Nehru Place	2000
	Tishazari	10000
	Okhla	1700
	Janpath	2000
	Shaktinagar	10000
		27300
1979-80	Faridabad	900 Extn.
	Janakpuri	1200
	Rajouri Garden	6000
	Ghaziabad-II	2000
	Tis Hazari (23)	10000
	Rajouri Garden (53)	10000
		30100

With the commissioning of these exchanges it is hoped to provide 25,000 and 27,000 connections during 1978-79 and 1979-80.

MERIT LIST FOR APPOINTMENT OF CLERKS IN P&T DEPARTMENT

†4152. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether at the time of recruitment of clerks in the Post and Telegraphs Department a merit list is prepared on the basis of marks obtained by the candidates in the High School examination and weightage is given to marks obtained in Inter, and B.A. examinations and candidates with 70 or 75 per cent marks only are selected; and

(b) whether Government propose to ensure that in future selection is based strictly on marks obtained by a candidate in matriculation examination and merit list prepared accordingly and marks obtained in higher examinations are not given weightage so that the persons with matric qualification could get employment ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes, Sir. A merit list is prepared on the basis of marks obtained by the candidates in the High School Examination and weightage is given to marks obtained in Inter and B.A. examinations. It is, however, not correct that candidates with 70 or 75 per cent of marks only are selected. It all depends upon the availability of candidates with highest marks in a Division up to a particular number of vacancies announced for that particular Division.

(b) No, Sir.

OPENING OF A TELEPHONE EXCHANGE IN TARSAI VILLAGE, JAMNAGAR DISTRICT

†4153. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Ahmedabad, Junagarh and Jamnagar Telephone authorities have received representations of 2nd February, 1978 and December, 1977 from Tarsai Gram Panchayat

and Shri Jagriti Yuvak Mandal, Tarsai respectively of Jamjodhpur Taluka in Jamnagar District, Gujarat for opening a Telephone Exchange in Tarsai village and providing telephone connections therefrom;

(b) if so, the details of demands made therein and action taken or proposed to be taken thereon; and

(c) when telephone facilities will be provided to Tarsai Village ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Yes, Sir.

(b) No demand has been registered for telephone connections at village Tarsai.

(c) A long distance P.C.O. can be opened at Tarsai on rent and guarantee basis.

श्रमिक बैंकों का खोला जाना

4155. श्री पद्माचरण सामंत सिंहेरा: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रमिक बैंकों को खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बाक्साईट-अयस्क निकालने तथा उड़ीसा में कोरापुट में एल्यूमिनियम संयंत्र के लिये की गई कार्यवाही

4156. श्री गिरिधर गोमांगो: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाक्साइट अयस्क निकालने के लिए आधारभूत सुविधायें जुटाने तथा उड़ीसा में कोरापुट में एल्यू मिनियम संयंत्र के बारे में उनके मंत्रालय तथा उड़ीसा सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) वर्ष 1977-78 में इसके लिए केन्द्र तथा राज्य ने कितनी राशि आवंटित की तथा वर्ष 1978-79 के लिए कार्यक्रम क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) फिलहाल साध्यता अध्ययन शुरू किया जा रहा है । आधार-भूत सुविधाएं जुटाने हेतु कार्रवाई साध्यता अध्ययन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा आधारभूत आवश्यकताओं का निर्धारण किए जाने के बाद ही की जा सकती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दंडकारण्य परियोजना क्षेत्र में काम कर रहे कोरापुट के डाक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

4157. श्री गिरिधर गोमांगो: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दंडकारण्य परियोजना क्षेत्र में काम कर रहे उड़ीसा के कोरापुट जिले के डाक कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) इस मामले को निपटाने के लिए भिन्न-भिन्न विभागों में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क): पुनर्वास विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर, डाक-तार कर्मचारियों को तारीख 28 फरवरी, 1978 तक के लिए प्रोजेक्ट भत्ते की मंजूरी के आदेश पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने में विलम्ब होने या इस स्थिति में कोई निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में भविष्य निधि कार्यालय का खोला जाना

4158. श्री रोबिन सेन: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने भारत सरकार को राज्य में श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य निधि कार्यालय का एक केन्द्र खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये उस राज्य में प्रतिष्ठानों तथा अंशदाताओं की संख्या बहुत थोड़ी है, परन्तु भविष्य निधि निरीक्षक का कार्यालय पहले ही खोला जा चुका है और यह अगरतला में कार्य कर रहा है।

LINKING OF MEHSANA WITH AHMEDABAD

†4159. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the approval to link Mehsana telephone exchange with Ahmedabad through direct dialing system was given long back;

(b) the reasons for which the same has not been done so far;

(c) whether the equipment meant for it has been supplied to some other exchange and that is why this work has been delayed; and

(d) whether Mehsana being the headquarter of the District, the facility of direct dialing system has not been provided here so far and whether this facility will be provided soon and if so, by what time ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): (a) Yes, Sir.

(b) Certain technical problems in the transmission medium between the two exchanges have been encountered and these are being attended to.

(c) No Sir.

(d) The service is expected to be provided by the end of 1978.

बिहार के धनबाद जिले के गांवों में शाखा डाकघर खोलने के लिये प्राप्त हुए अभ्यावेदन और प्रस्ताव

4160. श्री ए० के० राय: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनवाद जिले के गांवों में शाखा डाकघर खोलने के लिए कितने अभ्यावेदन और प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि धनवाद जो छोटा नागपुर पर्वतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, के गांवों में नए शाखा डाकघरों को मंजूरी देने के मामले में निशेष विचार किए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो धनबाद के दूर-दराज के गांवों को डाक सुविधाएं देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) धनवाद जिले के गांवों में शाखा डाकघर खोलने के बारे में वर्ष 1977-78 के दौरान आठ आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से दो मामलों में डाकघर खोलने की मंजूरी दे दी गई है और ये डाकघर यथाशीघ्र खोल दिए जायेंगे। एक मामले में औचित्य नहीं बनता था इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। पांच मामलों में जांच चल रही है और उनका फैसला उनके गुणावगुण के आधार पर यथासमय कर दिया जाएगा।

(ख) डाक सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से धनबाद जिले को एक पिछड़ा हुआ इलाका माना गया है और ऐसे इलाकों के लिए जो विशेष रियायतें स्वीकृत हैं वे इस जिले को पहले से ही दी जा रही हैं।

(ग) जहां कहीं औचित्य पाया जाएगा, वर्ष-1978-79 के दौरान नये डाकघर खोल दिए जाएगे जिनमें पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अस्थायी तौर पर धनबाद जिले में वर्ष 1978-79 के दौरान पांच डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अध्यक्ष की चीन की यात्रा

4161. श्री सौगत राय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष ने चीन जाने की अनुमति मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका अनुरोध अस्वीकृत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) चीन अन्तर्राष्ट्रीच व्यापार संवर्द्धन परिषद ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के अध्यक्ष को 4–5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल ले कर आने की यात्रा का निमंत्रण दिया है। यह समझा जाता है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के अध्यक्ष ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और इस वर्ष के अंत में परस्पर सुविधा के अनुसार भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल इस निमंत्रण का लाभ उठा सकेगा।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि श्रमिकों संबंधी राष्ट्रीय त्रिपक्षी सम्मेलन में प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के मानदंड

4162. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि श्रमिकों सम्बन्धी राष्ट्रीय त्रिपक्षी सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं; और

(ख) प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के मानदण्ड क्या थे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) व्यापक परामर्श करने के लिए, श्रमिक और नियोजक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थाओं/संगठनों और कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। उन व्यक्तियों के नामों तथा पदनामों, जिन्होंने विशेष सम्मेलन में भाग लिया, के संबंध में सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 4162/78]

पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड में प्रतिनिधियों के नाम

4163. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों के लिए मंजरी बोर्ड में नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस बोर्ड की कितनी बैठकें हुई; और

(ग) प्रत्येक बैठक में हुई चर्चा तथा निर्णयों का ब्यौरा क्या है और उन निर्णयों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) मजदूरी की अन्तरिम दरों के संबंध में गैर-पत्रकार कर्मचारियों संबंधी मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट सरकार को 16 जून, 1976 को और पत्रकार कर्मचारियों संबंधी मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट 12 अक्तूबर, 1976 को प्रस्तुत की गई थी। सरकार ने पहली अप्रैल, 1977 को अन्तरिम मजदूरी दरों को अधिसूचित किया।

मजूरी बोर्डों ने 5 अक्तूबर, 1976 को विभिन्न संगठनों, ट्रेड यूनियमों, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, आदि को प्रश्नावलियां जारी कीं। इसके पश्चात् बोर्डों ने मुख्य जांच पड़ताल के संबंध में पार्टियों के मौखिक अनुरोधों को सुनने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैठकें कीं।

विवरण

(क) पत्रकारों और गैर-पत्रकारों संबंधी मजूरी बोर्ड में नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के नाम और पदनाम

पत्रकारों संबंधी मजूरी बोर्ड

(1) डा० राम एस० तरनेजा, जनरल मैनेजर, टाइम्स आफ इंडिया, बम्बई । (2) श्री नरेन्द्र तिवारी, मैनेजिंग एडिटर, दि नई दुनिया, इन्दौर ।	नियोजकों के प्रतिनिधि

(3) श्री टी० आर० रामास्वामी,
प्रधान,
इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जनरलिस्ट्स
मद्रास ।
(4) श्री एस० बी० कोलपे,
सदस्य, इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग
जरनलिस्ट्स, बम्बई ।
} कर्मचारियों के प्रतिनिधि

गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों संबंधी मजूरी बोर्ड

(1) श्री सन्तोष नाथ,
महा प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान टाइम्स,
नई दिल्ली ।
(2) श्री के० एस० देशपाण्डे,
प्रबन्धक,
मराठवाडा दैनिक, औरंगाबाद ।
} नियोजकों के प्रतिनिधि

(3) श्री एस० वाई० कोलाहाटकर
प्रबन्धक,
आल इंडियन न्यूजपेपर इम्पलाइज फैडरेशन,
बम्बई ।
(4) श्री एम० के० राममूर्ति,
मेम्बर आफ दि सेण्ट्रल वर्किंग कमेटी आफ
दि आल इंडिया न्यूजपेपर इम्पलाइज़
फेडरेशन, नई दिल्ली ।
} कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(ख) मजूरी बोर्डों द्वारा उनके गठन के बाद बुलाई गई बैठकों की संख्या

	कक्ष बैठकें	मौखिक सुनवाइयां
(1) गैर-पत्रकार मजूरी बोर्ड	14	11
(2) श्रम-जीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड	5	10

अस्पतालों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत लाना

4164. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ अस्पताल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

(ख) यदि हां, तो उन अस्पतालों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा अन्य किसी ऐसे अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अस्पतालों के लिए कोई विधान लाने का है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित विधान की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) क्या प्रस्तावित विधान गैर-सरकारी अस्पतालों पर भी लागू होगा ताकि उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में अनिवार्य सेवाओं की परिधि में लाया जा सके, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ङ) बंगलौर जलपूर्ति और मल-निर्यास बोर्ड के मामले में 21 फरवरी, 1971 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, ऐसे अस्पताल को उक्त निर्णय में निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आएंगे । इस मामले पर औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के सन्दर्भ में अलग से विचार किया जा रहा है ।

"चासनाला आफिसर्स आर एग्रीव्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4165. श्री ए० के० राय : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान धनबाद (बिहार) से प्रकाशित होने वाले 24 फरवरी, 1978 के 'दि कोलफील्ड टाइम्स' में "चासनाला आफीसर्स आर एग्रीव्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) अधिकारियों की मुख्य शिकायतें क्या हैं, और उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकारियों की मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्नलिखित हैं :—

(1) उच्च वेतनमानों में अधिकारी बाहर से लिए जाते हैं, जिसके कारण कम्पनी के अधिकारियों की उन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(2) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में पदोन्नति का कोई सिद्धान्त नहीं है ।

(3) सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तुलना में कम्पनी के अधिकारियों को कम सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(4) कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए सुरक्षा की समस्या है ।

उपर्युक्त शिकायतों के बारे में क्रमानुसार स्थिति नीचे दी गई है :—

(1) चासनाला कोयला खान में दिसम्बर, 1975 में हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लम्बी छुट्टी देनी पड़ी और जीतपुर की कोयला खान की सीम संख्या—14 की स्थिति खराब होने के कारण इस्को को कोल इंडिया लि० को कुछ अधिकारी देने का अनुरोध करना पड़ा ताकि ये अधिकारी इस्को की कोयला खानों का प्रतिस्थापन कार्य तथा प्रबन्ध सम्भाल सकें । कोल इंडिया

लि० ने अपने तीन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्येक को दो वर्ष के लिए प्रति-नियुक्ति पर भेजना स्वीकार कर लिया । इस्को की कोयला खानों के प्रबन्धकों के सीमित कैडर में कमी को देखते हुए कर्मचारियों की संख्या में इस तरह वृद्धि करनी आवश्यक समझी गई थी ।

(2) पदोन्नतियां, भली प्रकार स्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर की जाती हैं, इस प्रयोजन के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां भी गठित की गई हैं ।

(3) इस्को की कोयला खानों के अधिकारियों के वेतनमान और सुविधाएं लगभग वैसी ही हैं जैसी भारत कोकिंग कोल लि० अथवा सरकारी क्षेत्र के अन्य उप-क्रमों में हैं, और

(4) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है ।

आपात् स्थिति के दौरान महाराष्ट्र में संचार विभाग में सेवा से हटाए गए/पदावनत किए गए कर्मचारी

4166. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान महाराष्ट्र में, संचार विभाग में कितने अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी सेवा से हटाए गए, पदावनत किए गए अथवा श्रेणी बाह्य किए गए ;

(ख) क्या उन्हें कोई आरोप पत्र अथवा कारण बताओ नोटिस दिया गया था और क्या उनकी सेवा समाप्त करने, उन्हें पदावनत अथवा श्रेणी बाह्य करने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था;

(ग) क्या सरकार ने उनके प्रति हुए अन्याय को दूर करने के लिए उनके मामलों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मामलों पर किए गए विचार का स्वरूप क्या है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है तथा कब ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख), (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

महाराष्ट्र राज्य में डाक बचत खाते

4167. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में कितने डाक बचत खाते हैं ;

(ख) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक बचत खातों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) गांवों में डाक बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) महाराष्ट्र सर्किल में 26,60,081 डाक बचत बैंक खाते हैं ।

(ख) शहरी क्षेत्रों में	14,80,645
देहाती क्षेत्रों में . . .	11,79,436

(ग) शाखा पोस्टमास्टरों को लघु बचत योजनाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाता है । शाखा पोस्टमास्टर डाकघर बचत बैंक की योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए लोगों को जो बढ़ावा देते हैं, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप कमीशन भी दिया जाता है । जमाकर्ता डाकघरों में अपना फोटो भी दे सकते हैं ताकि रकमों की निकासी में उन्हें सुविधा रहे । ऐसा प्रस्ताव है कि देहाती इलाकों में डाकघर बचत बैंक खाता धारकों को पहचान कार्ड जारी कर दिए जाएं । बचत बैंक खाता धारकों को उनकी पास बुकों के लिए प्लास्टिक के कवर देने का भी प्रस्ताव है ।

चालू वर्ष के दौरान खोले जाने वाले डाकघर

4168. श्री अहमद हुसैन: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान कितने डाकघर खोलने का विचार है ;

(ख) चालू वर्ष में देश में कितने डाक घरों के खोले जाने की मंजूरी दे दी गई है और कितने खोले जाने की मंजूरी दिए जाने की आशा है ;

(ग) उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाक घर खोले जाएंगे ;

(घ) उनमें से चालू वर्ष के दौरान आसाम में जिलेवार, कितने डाकघर खोलने का विचार है ; और

(ङ) क्या उपरोक्त भाग (घ) के अतिरिक्त आसाम के लिए और लैटर बाक्स लगाने पर सरकार विचार करेगी और आसाम राज्य में प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में देश में देहाती इलाकों में 3100 डाकघर खोलने का प्रस्ताव था । शहरी इलाकों में डाकघर खोलने का कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । शहरी इलाकों में डाकघर उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां वे आत्मनिर्भर पाए जाएं और अन्य शर्तों के अनुसार जहां उनका औचित्य बनता हो ।

(ख) और (ग) तारीख 1-4-77 से 28-2-78 के दौरान शहरी इलाकों में करीब 470 और देहाती इलाकों में करीब 3121 डाकघर खोले गए हैं ।

(घ) और (ङ) यह सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

विवरण

जिले का नाम	1977-78 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर और तार० 28-2-78 तक खोले गए डाकघर सिर्फ (देहाती इलाकों में)		प्रस्तावित लगाए जाने वाले लेटर बक्स	
	प्रस्तावित	खोले गए	प्रस्तावित	28-2-78 तक लगाए गए
1	2	3	4	5
1. गोलपारा	34	30	2136	91
2. कामरूप	33	29	837	39
3. नौगांव	12	12	306	30
4. उत्तर चाचर मिल्स	12	10	112	20
5. करबी अंगलोग	6	6	205	19
6. लखीमपुर उत्तर	16	11	410	58
7. डिब्रूगढ़	19	22	557	47
8. दारंग	25	24	225	39
9. शिवसागर	26	24	690	263
10. कचार	21	19	945	25
योग	204	187	6423	631

NUMBER OF RADIO SETS AND REVENUE EARNED THEREFROM

†4169. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the total number of Radio sets registered in the country as on 28th February, 1978 and the revenue earned therefrom during 1977-78; and

(b) the total number of new Radio sets registered during 1977-78 ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) & (b) The statistics of radio sets registered in the country, are available only for complete calendar years. The statistics available will be on 31.12.1977 and not as on 28.2.1978. These statistics are under compilation and will be placed on the table of the House.

वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में सेलम इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध निदेशक के यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों के दावे

4170. श्री के० राममूर्ति : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के लिए सेलम इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध निदेशक ने विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय और दैनिक भत्ते की कितनी धनराशि का दावा किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : सेलम स्टील लि० द्वारा प्रबन्ध निदेशक की यात्रा (विदेश यात्रा भी शामिल है) पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है :—

वर्ष		यात्रा खर्च (रुपए)	यात्रा भत्ते (रुपए)	कुल (रुपए)
1975-76	भारत में यात्रा . .	35,040	9,331	44,371
	विदेश में यात्रा . .	—	—	—
1976-77	भारत में यात्रा . .	47,821	14,010	61,831
	विदेश में यात्रा . .	—	—	—
1977-78	भारत में यात्रा . .	29,501	3,538	33,039
	विदेश में यात्रा . .	61,836	43,834	1,05,670

अमान्यताप्राप्त यूनियनों द्वारा लाये गये रेल कर्मचारियों के मामलों पर विचार न किये जाने संबंधी आदेशों का वापस लिया जाना

4171. श्री हुकम चन्द्र कछवाय : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तथा इससे पूर्व श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसे कितने आदेश समय-समय पर भिन्न-भिन्न राज्यों में श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त और अन्य उच्च अधिकारियों को भेजे गए हैं कि किसी भी अमान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा लाए गए रेल कर्मचारियों के मामलों पर ध्यान न दिया जाए और उन पर तब तक कोई कार्यवाही ना की जाए जब तक ऐसी यूनियन औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हड़ताल का नोटिस न दें और क्या ये मामले रेलवे अधिकारियों को भेज दिए जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार मंत्रालय को ऐसे आदेश देने का है कि औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए ये आदेश वापस लिए जाएं; और यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

SAFETY MEASURES IN MINES

4172. **SHRIMATI CHANDRAVATI**: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the measures adopted for utmost safety in the mines and whether it is ensured that these measures are strictly followed every day;

(b) if these measures are not observed whether the persons incharge of mines will be punished; and

(c) other factors responsible for mine accidents ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS & LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a), (b) & (c) Accidents in different mines occur due to different reasons, such as fall of roof, fall of sides, rock bursts, gas, ignition, inundation, etc.

Prevention of these accidents is attempted through various measures, such as strict implementation of the Mines Act, and the Regulations thereunder, continuous study and analysis of accidents to ascertain their causes and prevent their repetition, identification of accident-prone mines and taking specific corrective steps for them; continuous effort to promote safety consciousness, improving the training of all the personnel involved in mining etc. Depending on the circumstances of each individual case, appropriate action, both legal and departmental, is taken against persons held responsible for accidents and for failure to observe the provisions of the Mines Act and Regulations strictly.

राष्ट्रीय कार्यालय पर विपक्षी दलों के साथ परामर्श

4173. **डा० रामजी सिंह** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए विपक्षी दलों से परामर्श जारी रखने का है जैसा कि जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में गत एक वर्ष में सरकार का क्या अनुभव रहा है और क्या यह राष्ट्र के लिए लाभदायक रहा है; और

(ग) विपक्षी दलों के साथ सहयोग विशेषकर योजना, बिदेश कार्य और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में नई योजना, नई प्रणाली और नई परम्परा बनाने के लिए सरकार की क्या ठोस योजनाएं हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) संसद में प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलों/ग्रुपों के साथ राजनीतिक, सांविधनिक और विधायी मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठकों का आयोजन यथाआवश्यक किया जाता है । इसका प्रयोजन इन मामलों पर सम्बन्धित दलों के समक्ष विचारों का आदान-प्रदान करना है । विपक्षी दलों/ग्रुपों के साथ इस प्रकार का परामर्श लाभदायक पाया गया है ।

फ्रांस के सहयोग से एल्यूमिना परियोजना

4174. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक फ्रांसीसी फर्म भारत में एल्यूमीना परियोजना के बारे में अध्ययन करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार के एक उपक्रम भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने फ्रांसीसी फर्म को एक आशय पत्र जारी किया था ;

(ग) यदि हां तो क्या फ्रांसीसी फर्म ने इस सम्बन्ध में अध्ययन आरम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ङ) भारत सरकार के प्रतिष्ठान भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि०, ने फ्रांस के मैसर्स एल्यूमीनियम पैचीनी की उड़ीसा राज्य के पोटुंगी और पंचपटयाली के कुछ बाक्साइट भण्डारों पर आधारित 600,000/800,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक निर्यात प्रधान एल्यूमिना संयंत्र और 150,000/180,000 टन वार्षिक क्षमता वाले एल्यूमिनियम प्रद्रावक के लिए साध्यता अध्ययन करने के लिए 17 फरवरी, 1978 को एक आशय पत्र जारी किया है । साध्यता रिपोर्ट उपर्युक्त फ्रैंच फर्म द्वारा करार लागू होने की तारीख से लगभग 12 महीनों में तैयार की जाएगी, और उसकी कुल फीस लगभग 198.00 लाख रुपए (जिसमें 192.00 लाख रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे) है जो भारतीय आयकर से मुक्त है । फ्रैंच फर्म के साथ शीघ्र ही एक औपचारिक करार किया जाएगा । फ्रैंच फर्म ने साध्यता रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में पहले ही काम शुरू कर दिया है ।

आयुर्वेदिक औषधालयों में डाक्टर

4175. श्री एस० एस० सोमानी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत खोले गए औषधालयों में अब तक कितने डाक्टरों को नियुक्त किया गया है ; और

(ख) उनमें से ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी-कितनी हैं जिन्हें केवल आयुर्वेदिक प्रणाली की अर्हता प्राप्त है और जिन्हें समेकित प्रणाली में अर्हता प्राप्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) :

(क) अड़तीस ।

(ख) 11 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास ऐसी अर्हताएं हैं जिनके पाठ्यक्रम में आधुनिक चिकित्सा के विषय नहीं थे । शेष 27 आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास ऐसी अर्हताएं हैं जिनके पाठ्यक्रम में आधुनिक चिकित्सा के विषय भी थे ।

मैग्नेसाइट खनन उद्योग में श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी अधिसूचित करना

4176. श्री के० राममूर्ति : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री 24 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मेग्नेसाइट खनन उद्योग में श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी अधिसूचित करने के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) (ख) के अधीन मैग्नेसाइट खनन उद्योग में रोजगार के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जा रही है ।

CONDITION OF INDIANS IN ARAB AND MIDDLE EAST COUNTRIES

†4177. SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of Indian nationals who for the first time visited various Arab and Middle-East countries during the last three years, year-wise;

(b) number of those, out of them, who got employment, in each of these countries indicating the nature of employment; and

(c) whether officers of Indian Embassies keep information about such Indian nationals in those countries and wheher service conditions of the educated, technicians, less educated and the uneducated persons are such at certain places that Indian nationals become like slaves and they are treated likewise, once they accept these conditions and full details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) It is not possible to give the number of Indian nationals who for the first time visited various Arab and Middle East countries during the last three years.

(b) During the calender year 1975, 1976 and 1977, 2625 experts were selected for assignments in Arab and Middle East countries on bilateral basis. The names of these experts were sponsored by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs and they were mainly doctors, professors, engineers, architects etc. As the decision to regulate the recruitment of skilled, semi-skilled and un-skilled personnel through the agencies approved with the Ministry of Labour was taken in mid-1976, it is not possible to give the number of these personnel who have gone to West Asia prior to this period. However, it is estimated that from November, 1976, till February 1978, 49,166 skilled, semi-skilled and unskilled workers have been deployed in West Asia.

(c) Indian Embassies abroad make all possible efforts to keep information about Indian nationals working in those countries. There have been no general complaints of ill-treatment of Indian experts or workers deployed in these countries. However, some complaints have been received from skilled, semi-skilled and unskilled workers. Whenever such complaints are received, these are looked into by our Missions in those countries for necessary redress. It may be recalled that it was only from mid-1976 onwards that the recruitment of Indian workers by foreign employers is being done through approved agencies; with the Ministry of Labour acting as the focal point examining and approving the terms and conditions offered to Indian workers abroad. Most of the complaints received concern those Indian workers who had gone abroad before the introduction of this new procedure for recruitment.

दलित व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रम

4178. डा० रामजी सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दलित व्यक्तियों के उद्धार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की है ।

(ख) क्या स्वास्थ्य पर व्यय किए जाने वाले सरकारी व्यय का 90 प्रतिशत भाग उच्च वर्ग के लोगों पर खर्च किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे अधिक निर्धन और उपेक्षित लोगों तक पहुंचाने के बारे में सरकार की क्या योजना है, और

(घ) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ की गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए व्यवस्था न कर, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था करना सामाजिक न्याय है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार समस्त जनता के लिए समान आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने का है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर खोले गए और चलाए जा रहे अस्पताल सभी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं चाहे वे अमीर हों या गरीब । ये अस्पताल चाहे वे शहरों में हों या जिला, सब-डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स, ब्लाक आदि कहीं भी हों, सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नगरों के हों या ग्रामीण क्षेत्रों के अथवा वे विशेष सुविधा प्राप्त लोग हों या न हों ।

ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखने के लिए देश भर में 5372 प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र और उनके साथ 37,775 उपकेन्द्रों का एक जाल बिछा दिया गया है । हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक का दर्जा बढ़ाकर उसे 30 पलंगों वाला ग्रामीण अस्पताल बनाने की भी व्यवस्था है । कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने की यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जा रही है और इसे राज्य सरकारें कार्यान्वित कर रही हैं । इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के काम को तेज करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों और आबादी के ऐसे वर्गों तक जिन्हें बीमारियां सहज पकड़ लेती हैं और जिनमें नगरों में रहने वाले गरीब लोग भी शामिल हैं, पहुंचाने की नीति के लिए वचनबद्ध है । इस दिशा में जो बड़ा कदम उठाया गया है वह है जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का, जिसे 2 अक्तूबर, 1977 से देश के खास खास प्राथमिक केन्द्रों में शुरू कर दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य रक्षकों का चुनाव और उनके कार्य की देख-रेख का काम लोगों के हाथों में ही देकर उन्हें अपने स्वास्थ्य की देख-रेख में साझीदार बना दिया जाता है । 1000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए एक जन स्वास्थ्य रक्षक होता है । इसके अतिरिक्त सरकार चिकित्सा शिक्षा को भी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठा रही है ताकि डाक्टरों को अपने सामाजिक दायित्वों और ग्रामीण जनता और दलित वर्गों की सेवा करने की आवश्यकता का ज्ञान हो सके । मेडिकल कालेजों को गश्ती क्लीनिक दिए जा रहे हैं जिन में से वे शुरू-शुरू में प्रत्येक 3–3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षेत्रों की जरूरतों की पूर्ति करेंगे । इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवाएं ह उपलब्ध नहीं होंगी बल्कि चिकित्सा स्नातकों को गांवों की परिस्थितियों का और आवश्यकताओं का ठोस ज्ञान भी प्राप्त होगा ।

एक और योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सेवाओं में निश्चित सुधार होगा । वह योजना है गांवों के लिए परम्परागत दाईयों का प्रशिक्षण । इरादा यह है कि प्रत्येक गांव के लिए एक विधिवत प्रशिक्षित दाई सुलभ हो जाए जो गांवों में अच्छी प्रसूती सेवाएं प्रदान कर सके । इसके अलावा बहूद्देशीय कार्यकर्ताओं की भी हमारी एक योजना पहले से चल रही है जिसके अन्तर्गत एकोद्देशीय कार्यकर्त्ताओं को स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराने के लिए उन्हें पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है । इस योजना में काफी प्रगति हुई है और

जब ये पूरी हो जाएगी तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बहुत बड़ा सुधार आएगा । स्वास्थ्य सेवाओं को कारगर बनाने के लिए प्रत्येक 5000 की आबादी के पीछे एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (पुरुष) और एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (महिला) दिए जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) भारत सरकार सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है ।

अमरीकी दूतावास द्वारा भारतीय छात्रों को बीसा देने से इन्कार

4179. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीकी दूतावास ने अमरीकी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित छात्रों को वीसा देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले पर अमरीकी दूतावास से बातचीत की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) कुछ अलग-अलग मामले सरकार की निगाह में आए हैं जिनमें अमरीकी राजदूतावास ने अमरीकी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित या स्वीकृत छात्रों को वीजा देने से इन्कार कर दिया है ।

(ख) भारत सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर इस मामले की अमरीकी सरकार के साथ उठाया है और हम समझते हैं कि अमरीकी प्राधिकारी इस मामले का इस बात को ध्यान में रखकर अध्ययन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमरीका को अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाए ।

एशिया में राष्ट्रमंडल सचिवालय की शाखा खोला जाना

4180. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एशियाई देशों की राष्ट्रमंडल के कार्यों में अत्यधिक रूचि को देखते हुए क्या सरकार का विचार एशिया के किसी भी देश में राष्ट्रमण्डल सचिवालय की शाखा खोलने के लिये राष्ट्रमण्डल सचिवालय से अनुरोध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिडनी सम्मेलन तथा एशिया के राष्ट्रमण्डलीय देशों के राज्याध्यक्षों की अगली नई दिल्ली में बैठक को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार है।

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) राष्ट्रमण्डल सचिवालय जो लन्दन में स्थित है, सम्पूर्ण राज्ष्ट्रमण्डल की ओर से कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है और न ही इसे आवश्यक समझा गया है। फरवरी में सिडनी में राष्ट्रमण्डल के शासनाध्यक्षों की क्षेत्रीय बैठक में कार्यात्मक और क्षेत्रीय सहयोग को सदस्य देशों के बीच सम्पर्क और परामर्श के

माध्यम से संवर्धित करने का प्रस्ताव किया गया था लेकिन इस सम्बन्ध में राष्ट्रमण्डल सचिवालय की सेवाओं का उपयोग किया जायेगा ।

NUMBER OF LETTERS IN HINDI RECEIVED FROM M.P.'s BY R.P.O. LUCKNOW

†4181. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of letters in Hindi pertaining to passports received from the Members of Parliament by the Regional Passport Office, Lucknow, during the past five months, and whether all of them have been replied to; and if not, the reasons therefor; and

(b) whether stamped official envelopes are not sent to Members of Parliament for returning the letters of confirmation of identify by the Members; and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) While it is difficult to give the precise number of letters in Hindi received from Members of Parliament by the Regional Passport Office, Lucknow, effort is being made to collect this information. Instructions have been issued to that Office as well as to other Passport Offices that all communications from elected representatives of the people should be attended to immediately by the Regional Passport Officers. There are also standing instructions from the Government that communications received in Hindi should be replied to in Hindi and these instructions have been recently reiterated.

(b) No, Sir. Regional Passport Officers have been instructed that it is not necessary to seek confirmation from MPs in each and every case and that they should use specimen signatures from Members of Parliament. Confirmation letters are asked for only when there is a doubt about the genuineness for reasons such as incompletely filled verification certificates, absence of rubber stamps, etc. It has not been the practice of Government to send stamps and self-addressed envelopes to persons verifying passport applications, whether they are Government officers, judicial officers or Members of Parliament.

MANUALS AND FORMS TRANSLATED INTO HINDI

4182. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the total number of manuals and forms in use in his Ministry/Department;

(b) the number out of them which have already been translated into Hindi and also of those printed in bilingual form;

(c) the reasons for not translating in Hindi or printing in bilingual form the rest of them; and

(d) when they are likely to be prepared in bilingual form ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a), (b), (c) & (d) The information is being collected from various Organisations under this Ministry, and will be laid on the Table of the Sabha.

MANUALS AND FORMS USED IN MINISTRY

4183. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of manuals and forms used in the Ministry/Department;

(b) the number of the manuals and forms, out of them, translated in Hindi and the number thereof printed in diglot form;

(c) the reasons for not translating i.e. printing in diglot form the remaining mannuals and forms; and

(d) the time by which these would be prepared in diglot form ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

TRAINING INSTITUTE AND ATTACHED AND SUBORDINATES OFFICES

4184. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the total number of training institutes under his Ministry as well as its attached and subordinate offices;

(b) the total number of courses being run therein;

(c) the number of courses out of them in respect of which medium of instruction is Hindi and those in respect of which the medium of instruction is English; and

(d) the steps taken to switch over to Hindi in respect of those courses where medium of instruction is still English ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) to (d) The Ministry of Steel and Mines consists of two Departments. The Department of Steel as such, including its attached/subordinate offices, does not run any training institute. However, the Geological Survey of India, a subordinate office under the Department of Mines has a training institute for imparting in-service training to its officers. The training pertains to methods of geological survey, mineral exploration and connected scientific and technical disciplines, and is imparted in English in view of the scientific and technical nature of the courses.

CONTRACTORS IN BHILAI STEEL PLANT AND JOBS ASSIGNED TO THEM

4185. SHRI MOHAN BHAIYA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of contractors engaged by the Bhilai Steel Plant and jobs they are assigned;

(b) the amount disbursed by these contractors daily to their labour by way of their wages and the wage paid to each labourer (category-wise);

(c) whether complaints have been received that the contractors are not observing the provisions of labour Act;

(d) the number of labourers under each contractor; and

(e) the amount paid to these contractors during 1977-78, contractor-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) to (e) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

RATES OF ROYALTY ON IRON ORE, MANGANESE ORE, COPPER ETC., IN M.P.

4186. SHRI RAGHAVJI
SHRI SUBHASH AHUJA
SHRI Y. P. SHASTRI } : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the present rate of royalty on iron ore, manganese ore, copper etc. minerals in Madhya Pradesh and since when it is in force;

(b) whether it is a fact that despite constant increase in prices of minerals, the rate of royalty has not been increased;

(c) if so, whether the Central Government have under consideration a proposal to increase the rate of royalty thereon and when it is likely to be increased; and

(d) the demand of the Government of Madhya Pradesh in this regard and whether Central Government agree that this demand is justified ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a), (b), (c) and (d) The rates of royalty on major minerals as specified in the Second Schedule to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 are applicable throughout India including Madhya Pradesh. An annexure giving the rates of royalty with their respective dates of coming into force is attched.

Under Section 9(3) of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, the rate of royalty in respect of any mineral can be increased only once during any period of four years. The rates of royalty on minerals except a few like iron ore, manganese ore and copper ore were revised in 1975.

Th Government of Madhya Pradesh has suggested a revision of the royalty rates on iron one, to reflect increases in the prices of minerals and other factors.

The Government of India is considering revision of the royalty rates of these minerals including iron ore, which also takes into account the suggestion of Madhya Pradesh Government.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1913/78]

MEMBERS OF THE INDIAN MEDICAL COUNCIL

4187. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state.

(a) the number of members of the Indian Medical Council and the qualifications possessed by them;

(b) whether most of the members possess the knowledge of allopathy and as such the Council rarely make suggestions to Government for development of Ayurvedic system of medicine; and

(c) whether Government propose to amend the rules governing qualifications of the members of the Council with a view to safeguard the interest of Ayurvedic system of medicine ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) It is presumed that by 'Indian Medical Council", the Hon'ble Member is referring to the "Medical Council of India" constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (Act 102 of 1956). The composition of this Council is governed by Section 3 of the said Act. At present there are 76 Council members elected/nominated from various constituencies. All members possess the basic registrable medical qualification as per the IMC Act, 1956.

(b) The members of the Medical Council of India possess the required qualification in the allopathic system of medicine. This council is not charged with the responsibility of advising the Central Government on the Ayurvedic System of medicine.

(c) No, Sir. For developing the Ayurvedic system of medicine and advising the Central Government on matters pertaining to that system, the Government of India have constituted a Central Council of Indian Medicine under the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

REFERRING OF DISPUTES TO ARBITRATION IN CASE OF NON-ACTION BY MINISTRY

4188. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether the industrial dispute cases which the Central Labour Commissioner fails to resolve are referred by him to the Ministry to which the workers involved in the disputes belong and if so, the reasons therefor;

(b) the period within which the Labour Ministry can refer such disputes to arbitration if the concerned Ministry does not take any action thereon; and

(c) the number of cases pending with the Labour Ministry at present on which the Ministries concerned with disputes have not intimated their decisions even after a lapse of three months and full details of such cases ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a), (b) and (c) It is presumed that the question refers to the procedure for reference of Industrial Disputes to Industrial Tribunals for adjudication in case of failure of conciliation. Under Section 10(3) of the Industrial Disputes Act, a reference to an Industrial Tribunal can only be made by an appropriate Government. When Failure of Conciliation Reports are received, the Ministry of Labour, takes appropriate decisions in consultation with the Ministries/Department concerned where necessary and in accordance with the prescribed procedure. Normally an attempt is made to conclude these consultations within a period of 45 to 60 days. As on 1-3-1978 there were 23 such cases

in which views of the administrative ministries were sought. A list of Industrial Disputes pending for over three months for finalisation of inter-ministerial/inter-departmental consultations is given in the statement attached.

STATEMENT

Details of the industrial disputes pending over three months for finalisation through inter-ministerial/Departmental consultations

1. I.D. in Calcutta Regional Committee (Tariff Advisory Committee) over non-categorisation of the posts of record clerks, superintendents, head peons and denial of daftry allowance by the Management.

2. I.D. in East Basuria Colliery over refusal of employment to Shri Jagdish Singh and 67 others.

3. I.D. in Central Coal Fields Ltd. regarding absorption of Contract Labour rendered idle in the collieries.

4. I.D. in Similabahal Colliery over dismissal of Shri Ramagya Prasad, Night Guard.

5. I.D. in Ramnagar Colliery of Western Coalfields Ltd. over alleged wrongful dismissal of Shri S. K. Nair, Truck Driver.

6. I.D. in Girmint Colliery over alleged improper categorisation of Shri Sitaram Singh and two other wagon shutting supervisors.

7. I.D. in Sillewara Colliery of Western Coalfields Ltd. over denial of proper designation and scale of pay to Shri Santosh Narayan.

8. I.D. in Nagpur Telephone District over charter of demands.

9. I.D. in Nagpur Telephone District over alleged illegal retrenchment of 21 workers.

10. I.D. in Ordinance Factory over wrongful termination of service of Shri Rajendra Naidu.

11. I.D. in B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, over termination of services of Kumari R. Vasantha.

12. I.D. in Baulia Quarries over a charter of demands.

13. I.D. in Bharat Gold Mines Ltd., over demand for bonus.

14. I.D. in Assam Oil Company over wrongful termination of services of Shri Jagadamonda Syam Chowdhury.

15. I.D. in Oil and Natural Gas Commission over alleged victimisation of Shri Kharindra Hararika, Security Officer.

16. I.D. in Oil and Natural Gas Commission over wrongful dismissal of Shri Khamindra Jazarda.

17. I.D. Between Bank of Baroda over fixation of salary on promotion of Shri C. N. Kakar, Clerk, Bank of Baroda, Bombay.

18. I.D. in Canara Bank Bhopal, alleged wrongful termination of the services of S/SHRI Dhananjay Panday and Vinod Kumar Juneja.

19. I.D. in State Bank of Saurashtra over the alleged refusal of permanency to S/Shri Sanjay Kumar Chattopadhyay, Pradyok Kumar Biswas and Ashis Chakrovorty.

20. I.D. in Andhra Bank Ltd., Hyderabad over Victimisation of Bank Employees and excesses committed by the Management during emergency.

21. I.D. in State Bank of India over alleged illegal termination of services of Shri Ahmed, Messenger, Meerut branch.

22. I.D. in State Bank of Hyderabad over a charter of demands such as change of working hours of the drivers etc.

23. I.D. in the Bank of Baroda over the demand for grant of special leave to Shri R. C. Vyas, Kota City on A/c of family planning.

खाड़ी के देशों में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या

4189. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री अमर सिंह वी० राठवा } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक की अवधि में खाड़ी के देशों में, देशवार, मिशनों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : सदन की मेज़ पर एक वक्तव्य रख दिया जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	तैनात कार्मिकों की संख्या		
		1975	1976	1977
1	2	3	4	5
1.	कुवैत	18	22	26
2.	मस्कत	8	8	10
3.	बहरीन	7	7	7
4.	दोहा	3	5	6
5.	आबूधाबी	9	11	11
	दुबई	14	20	20
	संयुक्त राज्य अमरीका	5	9	9
6.	तेहरान	41	48	50
	खुर्रमशहर	5	5	5
	जहीदान	5	5	5
	ईरान	(51)	(58)	**(60)**
7.	बगदाद	33	36	40
	बश्राह	3	3	3
	इराक	(36)	(39)	**(43)**
8.	जेद्दा	24	24	26

परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये गोष्ठी

4190. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी के महीने में नई दिल्ली में परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक समग्र नीति बनाने के लिए भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त तत्वावधान में एक राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों और मामले में लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) जी, हां ।

(ख) इन सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

संगठित क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रबन्ध के बारे में राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण

परिवार कल्याण के युक्तियुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये संगठित औद्योगिक क्षेत्र को सरकार की जनसंख्या सम्बन्धी नीति के ढांचे के अन्दर-अन्दर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी नीति को अन्य कल्याण-कार्यों के साथ पूर्णतः समेकित किया जाना है। राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी समग्र बजट के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के लिये धनराशि का अलग से नियतन होना चाहिये। यह महसूस किया जाता है कि बेहतर ढंग से समन्वयन द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सैलों को उपलब्ध सुविधाओं और अपेक्षित सुविधाओं की बीच की खाई को भरने के लिये जिम्मेदार बनाया जा सकता है। योजना को यूनिट लेबल पर लागू करने के लिये प्रबन्धकों तथा श्रमिकों, दोनों का सक्रिय सहयोग तथा सहभागिता आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और अन्तर मंत्रालय स्तर पर और अधिक समन्वय होना चाहिये। स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता भी प्राप्त की जानी है। चूंकि यह कार्यक्रम स्वैच्छिक स्वरूप का है, इसलिये प्रेरक कार्यक्रम में शैक्षिक कार्यकलापों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिये। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड और प्रशिक्षण सम्बन्धी अन्य संस्थाओं को परिवार कल्याण के विषय पर और अधिक ध्यान देना चाहिये। आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहियें और सभी स्तरों पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये और इस कार्यक्रम को लोकप्रिय तथा स्वीकार्य बनाने के लिय तकनीक के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किया जाना चाहिए सभी स्तरों पर समुचित निगरानी तथा मूल्यांकन होना चाहिए अच्छे कार्य के लिये पुरस्कारों की प्रणाली तैयार करने की जरूरत है।

2. यह भी सुझाव दिया गया कि विभिन्न कार्यक्रम के लिए धन जुटाने सम्बन्धी ब्यौरा तैयार करने तथा योजनाओं को लागू करने हेतु अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार के विभिन्न सम्बन्धित विभागों की पक व्यापक आधार पर बैठक आयोजित की जाये।

अभ्रक-क्षेत्र, बिहार के कार्यकरण में गिरावट

4191. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अभ्रक-क्षेत्र, बिहार के कार्यकरण में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है और वर्तमान अधिकारी उसमें सुधार करने में असमर्थ हैं;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में सरकारी सम्पत्ति और सरकारी धनराशि की बड़े पैमाने पर चोरी हुई है; और

(ग) उक्त संगठन के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या सरकार क्षेत्र के कार्यकरण की देखभाल के लिये मंत्रालय के एक वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति के बारे में विचार करेगी और इसमें कम से कम छः महीने तक सुधार करेगी।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क), (ख) और (ग) श्रम मंत्रालय के अधीन दो संगठन बिहार के अभ्रक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अर्थात (1) खान सुरक्षा महानिदेशालय तथा (2) अभ्रक खान कल्याण संगठन। इन दो संगठनों द्वारा कदाचारों सम्बन्धी आरोपों की तत्काल जांच की जाती है।

देश के विभिन्न भागों में इस्पात संयंत्र लगाना--योजना आयोग का अध्ययन दल

4192. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश के विभिन्न भागों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल का गठन किया गया था,

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने मैट्रोलोजिकल इंजीनियरिंग कंसलटैंटस आफ इंडिया को सूरजगढ़ में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये एक प्रतिवेदन तैयार करने को कहा था,

(ग) क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस्पात प्राधिकरण के पक्षपातपूर्ण रवैये के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था, और

(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र में सूरजगढ़ में इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में सारे दस्तावेज सभा पटल पर रखेगी?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) से (घ) अगस्त, 1972 में योजना आयोग के कहने पर गठित की गई लोहा तथा इस्पात कार्यकारी समिति (टास्क फोर्स) ने इस्पात उद्योग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये सात योजना समितियां गठित की थीं। इन में से एक समिति इस्पात की क्षमता की नीति तथा स्थापना के बारे में थी जिसका काम वर्तमान इस्पात इस्पात कारखानों के विस्तार की गुंजाइश तथा नये स्थानों पर इस्पात कारखानों की स्थापना तथा किास सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करना था।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने जनवरी, 1974 में मेकन' को मध्य प्रदेश में बेलाडिला क्षत्र में लोह अयस्क के निक्षेपों के आधार पर तथा महाराष्ट्र में सूरजगढ़ में लोह अयस्क के निक्षेपों के आधार पर इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया था।

मध्यम प्रदेश की सरकार ने वर्ष 1974 में इस मंत्रालय को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने इस बात पर बल दिया था कि इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए स्थान का चयन तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात की आशंका थी कि इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश के दावे को सेल उचित महत्व नहीं दे रही थी। सरकार ने राज्य सरकार को बताया था कि इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय सर्वोतम तकनीकी आर्थिक आधार पर लिया जायेगा।

मध्य प्रदेश अथवा महाराष्ट्र में नए स्थानों पर इस्पात कारखाने लगने के बारे में अभी कोई नर्णय नही लिया गया है? जब भी नया इस्पात कारखाना लगाने के बारे में फैसला

किया जाएगा सभी संभाव्य स्थानों पर विचार किया जाएगा और अन्तिम निर्णय तकनीकी आर्थिक आधार पर लिया जायेगा। यह महसूस किया गया है कि सम्बन्धित कागजातों को इस समय सभापटल पर रखने से कोई लाभ न होगा।

पूर्वी निमाड़ जिले में नये टेलीफोन कनेक्शन देना

4193. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग द्वारा की गई मांग पर पूर्वी निमाड़ (खाण्डवा) जिले में कितने उपभोक्ताओं ने नये टेलीफोन कनेक्शनों के लियें राशि जमा कराई है;

(ख) क्या धनराशि जमा कराने के बाद भी नये टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार तुरन्त नये टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये उपयुक्त कदम उठायेगी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) 64।

(ख) मार्च, 1978 के अन्त तक 16 कनेक्शन दिये जा रहे हैं। पर्याप्त एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध न होने के कारण बाकी कनेक्शन नहीं दिये जा सकते।

(ग) एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

SHORTAGE OF BAUXITE FOR BHARAT ALUMINIUM COMPANY KORBA

4194. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Bharat Aluminium Company at Korba is facing shortage of bauxite required for its plant; and

(b) whether the Central Government propose to shift this company to some other place in view of the shortage of bauxite there ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) While the total deposits at Amarkantak and Phutkapahar have been found to be lower than initial estimates, no immediate shortage of bauxite is being faced by the company.

(b) No, Sir. Steps to improve long term bauxite supplies to the plant are being taken.

ABUNDANCE OF MANGANESE IN BALAGHAT IN M.P.

4195. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that manganese mineral is available in abundance in Balaghat District in Madhya Pradesh;

(b) whether any unit has applied for setting up ferro manganese plant based on the above mineral; and

(c) if so, the time by which this plant is likely to be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA) : (a) Substantial deposits of manganese are known to occur in Balaghat District in Madhya Pradesh and in other areas in the country.

(b) An application made by Manganese Ore (India) Ltd. for an industrial licence to manufacture ferro manganese and other alloys was considered and rejected by Government in December, 1977. The firm's representation against the *prima facie* rejection of their application is under consideration.

(c) Does not arise.

पिल्ले समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4196. **श्री के० मालन्ना :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में पिल्ले समिति की सिफारिशें पूरी तरह से कार्यान्वित कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों से अधिक अवधि से विदेशों में नियुक्त अधिकारियों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि "अवर स्तरों पर उपसचिव तक के सभी अधिकारियों को बारी-बारी से कम से कम दो बार मुख्यालय में नियुक्त किया जाता है"; यदि हां, तो इस बारे में गत 10 वर्षों से सरकार द्वारा पालन की जा रही प्रथा के बारे में ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) गत एक वर्ष में कितने अधिकारियों को नई दिल्ली वापस बुलाया गया और कितने अधिकारियों को अन्य देशों में स्थानान्तरित किया गया?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु) : (क) और (ख) अधिकारियों का विदेशों में एक पद से दूसरे पद पर विदेश में ही स्थानान्तरण किया जा सकता है । इस प्रकार वे विदेशों में निरन्तर तीन वर्ष से अधिक समय तक सेवारत रह सकते हैं; पिल्ले समिति की इस सिफारिश पर कि विदेश स्थित किसी मिशन से स्थानान्तरण से पूर्व किसी अधिकारी को चार वर्ष तक वहां कार्यरत रहना चाहिये विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि तीन वर्ष की वर्तमान प्रथा को जारी रखा जाये ।

(ग) इस मंत्रालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उप सचिव/निदेशक के दर्जे के अधिकारी कम से कम दो बार मुख्यालय पर रहकर आवश्यक कार्य करें। पिछले 10 वर्षों में निदेशक तक के दर्जे के लगभग दो तिहाई अधिकारियों ने मुख्यालय पर रहकर कम से कम दो बार अवश्य कार्य किया है ।

(घ) पिछले एक वर्ष में (1-3-77 से 28-2-78 तक) भारतीय विदेश सेवा के 51 अधिकारियों को जिनमें (मिशन प्रमुख भी शामिल हैं) मुख्यालय से विदेश स्थित मिशनों में स्थानान्तरित किया गया; 72 को विदेश स्थित मिशनों से मुख्यालय में और 44 को एक मिशन से दूसरे मिशन में स्थानान्तरित किया गया ।

जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर

4198. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र में नये जनता शासन के प्रथम पूर्व वर्ष के दौरान देश में जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर को रोकने के लिये सरकार ने कोई ठोस, सक्रिय और प्रभावी कार्यवाही की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है और यदि कोई स्पष्ट परिणाम उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) वर्ष 1975,1976 और 1977 के लिये जनसंख्या की वृद्धि दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, और

(घ) तीन वर्षों की उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उक्त मद पर कुल कितनी धनराशि खर्च की?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) हां, जी ।

(ख), (ग) और (घ) संलग्न नोट में ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1914/78]

गुजरात में इस्पात-चद्दरों तथा टिन-प्लेटों की अपर्याप्त सप्लाई

4199. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश के अनेक लघुक्षत्रीय एककों को बार-बार पतले इस्पात की काली तथा सफेद चद्दरों, टिन प्लेटों आदि की भारी अपर्याप्त सप्लाई का सामना करना पड़ता है,

(ख) यदि हां, तो उस कमी की स्थिति को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है,

(ग) क्या गुजरात सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजे थे; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख), (ग) और (घ) देश की लघु उद्योग इकाइयों ने अधिक पतली गेज की ठण्डी बेलित चादरों/क्वायलों, जस्ती सादी, जस्ती नालीदार चादरों और टिन प्लेटों की अधिक मात्रा में सप्लाई के बारे में अभ्यावेदन दिये हैं । गुजरात सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार को कच्चे लोहे की कमी तथा स्थानीय स्टाकयार्डों से गर्म बेलित और ठण्डी बेलित चादरों जैसी दुर्लभ मदों की सप्लाई प्राप्त करने में लघु उद्योग इकाइयों की कठिनाइयों के बारे में लिखा है। इस प्रकार की सामग्री की उपलब्धि में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित उपाए किये गये हैं:—

1. कारखानों से कहा गया है कि जहां तक सम्भव हो सके इन मदों का उत्पादन बढ़ाया जाये,
2. राज्यों के लघु उद्योग निगमों को, जो लघु उद्योग इकाइयों की मांगें पूरी करते हैं, माल की सप्लाई बढ़ा दी गई है,
3. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है अधिक पतली गेज की ठण्डी बेलित क्वायलों और चादरों, टिन प्लेटों और जस्ती सादी चादरों के आयात के लिये अनुमति दी गई है, और
4. हिन्दुस्तान स्टील के स्टाकयार्डों से व्यापारियों को अधिक पतली गेज की ठण्डी बेलित चादरों की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है।

गुजरात सरकार को स्थिति से अवगत करा दिया गया है।

भारतीय राजनयिक कर्मचारियों के अस्थायी वास के लिए होस्टल

4200. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय राजनयिक कर्मचारियों के अस्थाई वास के लिये नई दिल्ली में और/अथवा देश के किसी अन्य स्थान पर एक अथवा अधिक होस्टल चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं;

(ग) एक अथवा अधिक होस्टल चलाने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान इन होस्टलों पर कुल कितना वास्तविक व्यय किया गया और किन-किन शीर्षकों के अन्तर्गत यह व्यय किया गया?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु): (क) भारत में विदेश मंत्रालय में द्वारा चलाया जा रहा एक मात्र होस्टल कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में है जिसमें मुख्य रूप से भारतीय विदेश सेवा (क), भारतीय विदेश सेवा (ख) और इस मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में स्थाई तौर पर कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अस्थाई आवास की व्यवस्था की जाती है।

होस्टल में आवास की व्यवस्था इस प्रकार है :—
एक कमरा 40
रसोई के साथ एक कमरा 20
फैमिली सूट 40

इस होस्टल की स्थापना 1965 में इस उद्देश्य से की गई थी कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय के लिये स्थानान्तरण पर अथवा गृह अवकाश अथवा सेवा निवृत्ति से पूर्व का अवकाश अथवा परामर्श कार्य अथवा विदेश स्थानान्तरण के आदेश मिलने पर आवास की सुविधा प्रदान की जा सके। भारतीय विदेश सेवा (क) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी दिल्ली में उनके प्रशिक्षण के दौरान होस्टल में आवास की सुविधा दी जाती है। कुछ विशेष मामलों में कार्यरत अधिकारियों के परिवारों के लिये भी होस्टल में आवास की व्यवस्था की जाती है।

(ग) उस अवधि तक के लिये आवास की सुविधा प्रदान करना जब तक कि सम्बद्ध अधिकारी अपने लिये किसी दूसरे आवास का प्रबन्ध न कर लें।

(घ) 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के वित्तीय वर्षों में होस्टल पर हुए व्यय का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

लेखों का शीर्ष	1975–76	1976–77	1977–78
	रुपये	रुपये	रुपये
वेतन	2,78,500	2,69,900	2,63,200
अन्य प्रभार	1,19,200	1,58,800	1,57,300
कुल	3,97,700	4,28,700	4,20,500

नेताजी के चित्र वाला विशेष टिकट

4201. **श्री समर गुह:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद भवन के केन्द्रीय हाल में लगाये गये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र को देशभक्ति के प्रयोजनार्थ इसी के आधार पर विशेष डाक टिकट जारी करने के लिय उपयोग में लाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे पूर्व नेताजी के सम्मान में जारी किये गये टिकटों को नये सिरे से परिचालन के लिये पुनः छापा जायेगा;

(घ) क्या पण्डित नेहरू तथा अन्य नेताओं के सम्मान में जारी गये गये टिकट पुनः अथवा बड़ी संख्या में छापे गये थे तथा वे अभी तक परिचालन में हैं;

(ङ) यदि हां, तो नेताजी-टिकटों को थोड़ी संख्या में छापने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या विस्तृत परियोजना के लिये नेताजी-टिकटों को पुनः छापा जायेगा?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परम्परा के अनुसार स्मारक डाक टिकट पहली बार जारी करने के बाद पुनः नहीं छापे जाते।

(घ) पंडित नेहरू और नेताजी के सम्मान में जारी किये गये स्मारक डाक टिकट वास्तव में समाप्त हो गये हैं। पांचवीं नियत डाक टिकट माला में नेहरू जी पर 27-5-76 को जो डाक टिकट जारी किया गया था, वह परिचालन में है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) जैसा कि ऊपर (ग) में उत्तर दिया गया है।

रंगून में नेताजी की प्रतिमा

4202. **श्री समर गुह:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आजाद हिन्द फौज के संघर्ष को तथा नेताजी के सम्मान को याद रखने के लिये कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु): (क) जी, हां।

(ख) सरकार भी दक्षिण पूर्व स्थित मिशनों को पहले ही इस बात के अनुदेश दे दिये हैं कि वे आजाद हिन्द फौज और नेताजी के सम्बन्ध में सूचना और लिखित सामग्री

एकत्र करें और जिन स्थानों में उनका सम्बन्ध रहा हो उन स्थानों पर उनके सम्मान में उपयुक्त स्मारक बनाने की संभावनाओं का पता लगायें ।

हमारे मिशनों के सक्रिय सहयोग से कुछ देशों में स्थानीय संगठनों/संस्थाओं ने इस वर्ष पहली बार नेताजी की वर्षगांठ मनाई है । हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियां बढेंगी इन देशों के लोगों और सरकारों से इन्हें पूर्ण समर्थन और सहयोग मिलेगा।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध

4203. **श्री समर गुह**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सम्बन्ध मजबूत बनाने के लिये उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिये अधिक प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डु): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद दणिण-पूर्व एशिया के मिशन-प्रमुखों का सम्मेलन अगस्त 1977 में नई दिल्ली में हुआ था । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की गई और उस क्षेत्र के देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिये अनेक उपायोगी सिफारिशें की गईं ।

जनता सरकार की स्थापना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये डाकघर

4204. **श्री समर गुह**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) जनता सरकार की स्थापना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये नये डाक घरों सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) ऐसे डाकघरों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं; और

(ग) वर्ष 1978–79 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की राज्यवार संख्या कितनी है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) और (ख) देश के देहाती इलाकों में तारीख 1-4-77 से 28-2-78 तक 3121 डाकघर खोले गये हैं । इन डाकघरों का राज्यवा ब्यौरा संलग्न है ।

(ग) देहाती इलाकों में वर्ष 1978–79 के दौरान 5,000 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । इनका राज्यवार आबंटन अभी नहीं किया गया है । इसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

विवरण

देहाती इलाकों में तारीख 1-4-77 से 28-2-78 के दौरान खोले गये डाकघरों का राज्यवार ब्यौरा:—

क्रम संख्या	सर्किल/राज्य	देहाती इलाकों में तारीख 1-4-77 से 28-2-78 के दौरान खोले गये डाकघर
1. आन्ध्र	आन्ध्र	155
2. बिहार	बिहार	100
3. दिल्ली	दिल्ली (संघ शासित राज्य)	10
4. गुजरात	गुजरात	93
	दिवू (संघ शासित राज्य)	—
	दमन (संघ शासित राज्य)	—
	दादर नगर हवेली (संघ शासित राज्य)	—
5. जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर	30
6. केरल	केरल	100
	लक्ष द्वीप (संघ शासित राज्य)	—
7. कर्णाटक	कर्णाटक	106
8. मध्य प्रदेश	मध्यप्रदेश	827
9. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	234
	गोवा (संघ शासित राज्य)	17
10. उत्तर पूर्वी	असम	187
	अरुणाचल प्रदेश (संघ शासित राज्य)	18
	मणिपुर	62
	मेघालय	35
	मिजोरम (संघ शासित राज्य)	17
	नागालैंड	21
	त्रिपुरा	66
11. उत्तर पश्चिम	पंजाब	21
	हरियाणा	16
	हिमाचल प्रदेश	68
	चण्डीगढ़ (संघ शासित राज्य)	—

क्रम संख्या	सर्किल/राज्य	देहाती इलाकों में तारीख 1-4-77 से 28-2-78 के दौरान खोले गये डाकघर
12. राजस्थान	राजस्थान .	258
13. उड़ीसा	उड़ीसा . . .	132
14. तमिलनाडु	तमिलनाडु . .	121
	पाण्डिचेरी (संघ शासित राज्य)	3
15. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश .	304
16. पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल .	117
	सिक्कम . . .	1
	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2
	योग :	3121

DRESSERS IN C.G.H.S.

4205. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the Dressers working in C.G.H.S. of Central Government have been placed in Technical or non-Technical groups; and

(b) whether Government propose to prescribe scales of pay for the dressers after creating grades for their promotion in future so that they may be entitled to get more pension at the time of retirement ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The posts of Dressers in C.G.H.S. have not been formally declared as Technical. The fall under 'Para-medical' category.

(b) No, Sir, Dressers in C.G.H.S. who are in the scale of pay of Rs. 210-4-250-EB-5-270 are eligible for appointment to posts of Selection Grade Dressers in the scale of pay of Rs. 225-5-260-6-290-EB-6-308.

स्टील एक्जीक्यूटिव्ज फैडरेशन आफ इंडिया द्वारा प्रबन्ध अधिकारियों के कार्यकरण के बारे में गोपनीय रिपोर्ट

4206. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टील एक्जीक्यूटिव्ज फैडरेशन आफ इण्डिया ने सरकारी नीतियों के लोकतांत्रिक क्रियान्वयन के लिये अपने प्रबन्ध अधिकारियों के कार्यकरण के बारे में सरकार को गोपनीय रिपोर्ट देने का निश्चय किया है,

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग को प्रबन्ध अधिकारियों की सनक और मनमानी के कारण हानि उठानी पड़ रही है जिससे इस्पात उत्पादन विवणन और वितरण में सुधार करने के कार्य में हानि हो रही है और,

(ग) क्या सरकार स्टील एक्जीक्यूटिव्ज फैडरेशन आफ इंडिया द्वारा बनाये गये आन्तरिक सतर्कता के ऐसे प्रस्ताव को प्रोत्साहन देगी और इस्पात के प्रबन्ध, उत्पादन और बिक्री में सुधार के लिये उनकी रिपोर्टों पर ध्यान देगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ग) 9 फरवरी, 1978 के इकानामिक टाइम्स में इस बारे में एक समाचार छपा था लेकिन सरकार को इस बारे में औपचारिक रूप से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

PROVIDING STD FACILITIES FROM GORAKHPUR TELEPHONE EXCHANGE

†4207. SHRI PHIRANGI PRASAD : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) when the cut-over of manual exchange in Gorakhpur District (UP) is likely to be done;

(b) whether cut-over of this telephone exchange is being done under S.T.D. scheme and facility of direct dialling from here to Bombay, Calcutta, New Delhi, Kanpur, Lucknow or other cities is being provided and if so, the phases in which this work is likely to be completed and by what time; and

(c) whether Government have also under consideration is proposal to provide telex facility here and, the reaction of Government in this regard at present ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) Existing Manual Exchange at Gorakhpur is being replaced by an automatic exchange. The automatic exchange is likely to be cutover within the next few days.

(b) It is hoped to provide subscriber trunk dialling (STD) from Gorakhpur initially to Kanpur, Lucknow, Allahabad and Varanasi during 1980 and thereafter to other stations progressively.

(c) Yes Sir. The proposal to instal a Telex Exchange at Gorakhpur has been approved.

SANCTION OF AUTOMATIC TELEPHONE EXCHANGE AT PORBANDAR AND VERAVAL

†4208. SHRI DHARMASINBHAI PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4041 on the 15th December, 1977 and state :

(a) whether approval has since been accorded for the scheme regarding opening of automatic telephone exchanges for Porbandar and Veraval and if so, when and if not, the reasons therefor and when sanction is likely to be accorded.

(b) the expenditure involved in setting up of each of the exchanges, and

(c) whether all the telephone connections applied here are likely to be provided by 31st March, 1978 and if not, how many connections will be given by that date and the time by which the remaining ones are likely to be provided ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): (a) Within a phased programme of replacing large manual exchanges by automatic ones, a scheme for providing automatic exchange at Porbandar has been approved tentatively for completion early in 7th Plan period. The scheme for automatic exchange at Veraval could not be included due to shortage of automatic equipment.

(b) The replacement of manual exchange at Porbander by automatic one will cost about Rs. one crore.

(c) It is hoped to clear the pending demands for telephones upto 31-1-78 at Porbander by 31-3-78. Likewise, it is also hoped to clear the pending demand at Veraval except a few long distance connections, requiring large quantities of line materials.

व्यापार के लिये फिरोजपुर सीमा का खोला जाना

4209. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले फिरोजपुर के व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमण्डल को उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि फिरोजपुर सीमा को पाकिस्तान के साथ व्यापार और अन्य प्रयोजनों के लिये खोला जायेगा, और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर हुसैनीवाला की पड़ताल चौकी खोलने के बारे में विभिन्न लोगों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इस मामले पर पुन: विचार किया है और वह इस पड़ताल चौकी को अभी पुन: खोलने के बारे में कदम उठाना वांछनीय नहीं समझती ।

कोरापुट, उड़ीसा में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र

4210. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने उड़ीसा के कोरापुट जिले में पाटलपुर के निकट एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का निश्चय कर लिया है;

(ख) संयंत्र के लिये भारत सरकार की ईरान और फ्रांस के साथ जिस ठेके पर सहमति हुई है उसका पाठ क्या है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त निर्णय के बारे में उड़ीसा सरकार को सूचित कर दिया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) और (ग) उड़ीसा में बाक्साइट भण्डारों पर आधारित एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। साध्यता अध्ययन शुरू करने के अलावा, इस विषय पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

LABOURER KILLED AND REMOVED IN BHILAI STEEL PLANT AND COMPENSATION PAID TO THEM

4211. SHRI MOHAN BHAIYA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the number of workers killed and those rendered invalid while working in Bhilai Steel Plant and Bhilai Steel Works Construction;

(b) whether compensation has been paid to the families of those workers and in case some amount remains to be paid, the reasons for delay; and

(c) the measures being adopted to check accidents ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) In the Bhilai Steel Plant including its construction Division, during the three years 1975 to 1977, the number of employees who met with fatal accidents totalled 30 and the number that were rendered invalid on account of accidents totalled 4.

(b) In all, except two cases of fatal accidents, amount of compensation/Ex-gratia payment (in lieu of compensation) has either been deposited with the Commissioner for Workmen Compensation or paid directly to the families of the deceased. In one case the ex-gratia payment is held up for want of succession certificate and in the other case ex-gratia payment could not be made due to a dispute raised by the claimants in the court.

(c) Bhilai Steel Plant has a full-fledged Safety Engineering Department which looks after safety and accident prevention in all activities of the Steel Plants including construction. This Department has qualified, experienced safety engineers, safety inspectors and other staff. With a view to check work accidents, the Plant have taken a number of measures in the Steel works and the Mines which include safety appliances, shop floor discussions with workers on safety, conducting safety seminars, General safety meetings, safety courses etc. Further, periodical health check-up of workers is also being carried out.

बोकारो में तीसरी धमन भट्टी का चालू किया जाना

4212. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की तीसरी धमन भट्टी चालू हो गई है,

(ख) यदि हां, तो उक्त इस्पात संयंत्र में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा, और

(ग) बोकारो इस्पात संयंत्र की तीसरी धमन भट्टी चालू होने के बाद इस्पात के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात कारखाने की विभिन्न इकाइयां पहले से ही उत्पादन कर रही हैं। अक्तूबर 1972 में जब पहली धमन भट्टी चालू की गई थी, कच्चे लोहे का उत्पादन होना आरंभ हो गया था, जनवरी, 1974 में जब स्टील मैल्टिंग शाप का पहला कन्वर्टर चालू किया गया तब इस्पात पिण्ड का उत्पादन होना आरम्भ हो गया और दिसम्बर, 1974 में जब स्लेबिंग मिल चालू की गई तब बेलित इस्पात का उत्पादन होना आरम्भ हो गया था।

(ग) वर्ष 1978-79 के लिये बोकारो इस्पात कारखाने के लिये इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य क्रमश: 2.050 मिलियन टन तथा 1.482 मिलियन टन रखा गया है। उत्पादन के ये लक्ष्य 1977-78 के चालू वर्ष में 0.966 मिलियन टन इस्पात-पिण्ड तथा 0.820 मिलियन टन विक्रेय-इस्पात के प्रत्याशित उत्पादन के क्रमश: 112% तथा 81% अधिक हैं।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

4213. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय टेलीफोन बिलों की कुल कितनी बकाया राशि है;

(ख) जिन बीस व्यक्तियों को सबसे अधिक बकाया राशि का भुगतान करना है उनके नाम और पत्ते क्या-क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

NUMBER OF EDUCATED UNEMPLOYED/TECHNICIANS/BUSINESSMEN WENT ABROAD

4214. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) the number of educated unemployed persons, technicians, businessmen and industrialists given permission to go abroad during the period from March 1977 to 15th February, 1978 together with their State-wise break up;

(b) whether most of these foreign goers are unemployed people and Government have relaxed their policy in this regard with a view to mitigating unemployment in the country; and

(c) whether some countries have sought the services of various categories of Indian technicians and if so, which countries and of how many people, country-wise ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) and (b) The Ministry of Labour is the focal point for recruitment of skilled, semi-skilled and un-skilled workers only. The Indian recruiting agencies, which have been duly registered and approved by the Ministry of Labour to deal with the work of recruitment for and on behalf of their foreign principals, and such of the Indian firms as are engaged in consultancy or execution of projects abroad have been permitted to deploy a total number of 41,542 Indian workers during the period 1st March 1977 to 15th February 1978 on terms and conditions of service approved by this Ministry. It is not possible to say as to how many of the educated persons who were permitted to go abroad were unemployed because this information is not available. The break-up state-wise of the persons permitted to go abroad for employment is also not available.

(c) A statement is attached indicating the number, country-wise, of Indian skilled, semi-skilled and unskilled workers for whose deployment in foreign countries, permission has been granted to the Indian registered recruiting agents during the period 1st March 1977 to 15th February 1978.

STATEMENT

Country-wise distribution of Indian Workers permitted to be deployed through the Recruiting Agents between 1st March, 1977 to 15th February, 1978.

Sl. No.	Name of the country	Number of persons permitted to be deployed
1	2	3
1.	Algeria	500
2.	Abu Dhabi (U.A.E.)	1,301
3.	Bahrain	2,271
4.	Dubai	3,279
5.	Doha Qatar	2,406
6.	Iran	858
7.	Iraq	961
8.	Jordan	20
9.	Kuwait	1,214
10.	Libya	676
11.	Sultanate of Oman	617
12.	Sharjah (U.A.E.)	354
13.	Saudi Arabia	6,903
14.	Yemen Arab Republic	65
	Total	21,425

विदेशों में भारतीयों को धमकी

4215. **श्री हुकुम चन्द कछवाय :** क्या **विदेश** मंत्री 17 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सम्पत्ति की हुई हानि का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसका मूल्य कितना है; और

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के पीछे जिन तत्वों का हाथ है उन का पता लगाने हेतू गुमनाम पत्रों की जांच की गई है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी हां। पिछले साल कैनबरा में भारत के हाई कमीशन के चांसरी भवन को आग लगने से भारत सरकार को सम्पत्ति की जो हानि/क्षति हुई थी उसका खाता मूल्य लगभग 65,000 रुपये आंका गया है।

(ख) जी, हां। हमारे मिशनों को जो गुमनाम पत्र मिलते हैं उन्हें जांच और परीक्षा के लिये आमतौर पर स्थानीय प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है। हमारे मिशनों को अब तक जो गुमनाम पत्र मिले हैं उनकी जांच से हिंसा के इन कारनामों के पीछे जिन शक्तियों का हाथ है उनका पता लगाने के सम्बन्ध में कुछ अस्थाई निष्कर्ष निकाले गये हैं, परन्तु अभी इनके बारे में बतलाना असामायिक होगा।

REINSTATEMENT OF EMPLOYEES DISMISSED DURING EMERGENCY

4216. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2249 on the 1st December, 1977 and state :

(a) whether requisite information in regard to parts (a), (b) and (c) has since been collected and if so, the details thereof; and

(b) the number of employees yet to be reinstated and the number of those who have been reinstated ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) and (b) Yes, Sir. The information has been collected and the assurance given on 1-12-1977 fulfilled on 10-3-1978. Details are furnished in the attached statement.

STATEMENT

Name of office	No. of employees of Ministry of Health and Family Welfare		No. of Employees re-instated from those		No of employees yet to be reinstated
	Removed/ Dismissed/ compulsory retired from service	Prematurely retired	Removed/ Dismised compulsory dress retired from service	Pre-maturely retired	
1	2	3	4	5	6
1. Ministry of Health and Family Welfare (Head quarters). . .	—	2	—	2	—
2. Central Health Service . .	2	1	—	—	—
3. Central Government Health Scheme	14	—	1	—	—
4. Central Health Transport Organization . . .	—	1	—	—	—
5. National Tuberculosis Institute, Bangalore	2	—	—	—	—
6. B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Madras	2	—	—	—	—
7. Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chingleput .	1	—	—	—	—
8. Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad . . .	1	—	—	—	—
9. Medical Stores Organisation .	—	5	—	—	—
10. All India Institute of Speech Hearing, Mysore . . .	—	1	—	—	—
11. V.P.C.I., Delhi . .	2	—	2	—	—
12. Post-Graduate Institute of Medical Education & Research Chandigarh	3	—	—	—	—
	27	10	3	2	—
		(37)		(5)	

RURAL AREAS OF RAJASTHAN GIVEN PRIORITY FOR POSTAL FACILITIES

†4217. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether urban areas in Rajasthan are given priority over rural areas in matters of communication facilities and if so, the reasons therefor; and

(b) the total expenditure incurred during the past three years, year-wise on development works relating to post telegraph, telephone, etc. together the break up thereof in respect of rural areas and urban areas ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI): (a) No, Sir. Urban areas are not given priority over rural areas for providing postal and telecommunication facilities.

(b) Telecommunication records are not maintained indicating separately the expenditure in urban and rural areas, so far as the expenditure on the development of telecommunication facilities is concerned. However, total expenditure on Telecom. development in Rajasthan in the past three years is as follows :—

1974-75	..	Rs. 19914289
1975-76	..	Rs. 33515401
1976-77	..	Rs. 19474915

The expenditure incurred on the development of postal facilities in rural and urban areas of Rajasthan is as under :—

Year		Expenditure
1974-75	Urban	48·14
	Rural	17644·19
1975-76	Urban	17743·85
	Rural	19725·40
1976-77	Urban	41593·72
	Rural	198263·52
	Total	295018·82

BAUXITE EXTRACTED FROM KHURKHURI DADAR BALCO IN M.P.

4218. SHRI SHYAMLAL DHURVE : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) the quantity of bauxite extracted from the Khurkhuri Dadar Balco in Mandla District, Madhya Pradesh during the last three years; and

(b) the total deposit of bauxite in Khurkhuri Dadar Balco in Mandla District M.P., the number of years in which it is likely to be extracted ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) Khurkhuri Dadar is a barren plateau, over which the Amarkantak Mine's Office and the Township of Balco are located. There had been no raising of bauxite ore from this plateau.

(b) While there cannot be, and has not been, any raising of bauxite from Khurkhuri Dadar, BALCO has raised the following quantities of bauxite from Raktidadar (adjoining Khurkhuri Dadar) in Mandla district :—

1974-75—166,934 tonnes

1975-76—168,073 tonnes

1976-77—150,068 tonnes

MENTAL DISEASE HOSPITALS

4219. SHRI RAJ KESHAR SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government propose to open Mental Disease Hospitals in the States in which there is still no such hospital; and

(b) if so, the details thereof ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) No. However, during the Fifth Five Year Plan under the Centrally Sponsored Scheme, "Establishment of Psychiatric Clinics", it is proposed to establish Psychiatric Clinics in District Hospitals/Medical Colleges having no Psychiatric Department. During the year 1976-77 and 1977-78, assistance was provided for the establishment of 10 and 12 Psychiatric Clinics respectively to the selected States/Union Territories @ Rs. 50,000/- per psychiatric clinic. During 1978-79, it is proposed to establish 5 more Psychiatric Clinics.

(b) Does not arise.

डाक-तार औषधालय, धनबाद में महिला डाक्टर

4220. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार औषधालय, धनबाद में किसी महिला डाक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां, क्योंकि वहां इस समय महिला डाक्टर का कोई पद नहीं है ।

(ख) महिला डाक्टर का एक पद बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

SMALLPOX

4221. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether the World Health Organisation has recently disclosed that smallpox has almost been eradicated from the world;

(b) if so, whether small pox has also been eradicated from India;

(c) whether reports regarding cases of deaths by semallpox are still received from various parts of India and if so, the number of deaths reported during the past one year; and

(d) the measures proposed to be taken to eradicate this disease completely from the country ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) The last known smallpox case in the World was reported on 26th October, 1977 from Somalia. It will take another two years' follow-up, before the World is declared to have eradicated smallpox.

(b) Yes, smallpox has been eradicated from India which has been certified by the International Commission.

(c) As no cases of smallpox were reported since June, 1975, the question of deaths on account of this disease does not arise.

(d) Does not arise.

TRADE RELATIONS WITH BANGLADESH

†4222. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether during the visit of the President of Bangladesh to India any talks were held to improve the trade relations; and

(b) if so, the salient features thereof and the steps to be taken to give new turn to the trade ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) & (b) During the visit of President of Bangladesh to India there was no specific discussion on the trade relations between the two countries. The subject was touched upon in general terms in the course of the discussion of improvement of bilateral relations and expansion of cooperation in various fields.

CHINESE PROPAGANDA AGAINST INDIA

†4223. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether anti-India propaganda is being made by China; and

(b) if so, the reaction of Indian Ambassador and Government's attitude in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SAMARENDRA KUNDU) : (a) and (b) With few exceptions, Government of India have noted that the tenor of remarks vis-a-vis India in the Chinese media over recent months has not been unfriendly. An objective presentation of India's policies and developments by the Chinese media would be in keeping with the mutual search for improvement in the relations between the two countries.

WAITING LIST OF TELEPHONE CONNECTIONS IN MAJOR CITIES OF U.P.

†4224. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the number of persons on the waiting list for telephone connections in the major cities in Uttar Pradesh;

(b) the number of persons on the waiting list for telephone connections in Lucknow City;

(c) the reasons for not providing them connections so far; and

(d) the number of persons on the waiting list as on December, 1977, who have been provided connections so far ?

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SAI) : (a) to (d) A statement giving the information is enclosed at Annexure-I.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the City	Waiting list as on 31-12-77	Connections provided during 1-1-78 to 15-3-78	Reasons for not providing
1.	Varanasi Exchange	176	89	Exchange capacity not available
2.	Allahabad Exchange	129	56	Do.
3.	Agra Exchange	293	144	Do.
4.	Meerut Exchange	455	1	Do.
5.	Barcilly	228	3	Connections are expected to be provided by 31st March, 1978 except long distance connections.
6.	Moradabad	454	405	Remaining being non feasible.
7.	Gorakhpur Exchange	119	107	Will be provided after commissioning of Auto exchange.
8.	Aligarh	28	28	No waiting list.
9.	Dehradun	409	260	Additional cable is being laid for the recent expansion.
10.	Muzaffarnagar Exchange	115	19	Exchange capacity not available.
11.	Saharanpur	141	10	Do.
12.	Lucknow	610	401	Do.
13.	Kanpur	957	125	Do.

STEEL PRODUCED AND EXPORTED LAST YEAR

4225. SHRI AGHAN SINGH THAKUR: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the quantity of steel produced in the country last year;

(b) the quantity of steel exported abroad as also the quantity utilized in the country; and

(c) whether any production target has been fixed for the year 1978 and if so, the quantity thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) The production of saleable steel from the six integrated steel plants in the country during the last financial year 1976-77 was 6.922 million tonnes.

(b) A quantity of 1.409 million tonnes of steel was exported during 1976-77. The consumption of steel in the country during the same period was 6.133 million tonnes.

(c) Production targets are fixed for the financial year and not for the calendar year. The production target of saleable steel in respect of integrated steel plants for 1977-78 has been fixed at 7.373 million tonnes and for 1978-79 at 7.676 million tonnes.

ब्रिटेन में भारतीय आप्रवासी

4226. **श्री महीलाल:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 20 फरवरी, 1978 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "इमीग्रेन्टस मस्ट को—नाट जस्ट स्टाप कमिंग— पाबेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन में ऐसे कितने भारतीय रह रहे हैं जो ब्रिटेन की इस नीति से प्रभावित हो सकते हैं; और

(ग) ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों अथवा ब्रिटेन जाने के इच्छुक भारतीयों के हित में सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू): (क) जी, हां।

(ख) यूनाइटेड किंगडम से आप्रवासियों का प्रत्यावर्तन किये जाने की श्री पाबेल की धारणा से ब्रिटिश सरकार ने अपने आपको निश्चित रूप से अलग कर लिया है।

(ग) अत: ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों के विषय में यह प्रश्न नहीं उठता। जहां तक उन लोगों का मामला है, जो ब्रिटेन जाकर वहां बसना चाहते हैं, उन्हें ब्रिटेन की वर्तमान विधि और विनियमों की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

टेलीफोन एक्सचेंजों में क्रास-बार पद्धति का समाप्त किया जाना

4227. **डा० बापू कालदाते:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों में क्रास-बार पद्धति पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्रास-बार पद्धति को न बदलने के क्या कारण हैं?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के लिये विशेष सिग्नलिंग और मार्ग की सुविधाओं की जरूरत होती है। इसलिए क्रास-बार जैसी एक सामान्य कन्ट्रोल स्विचिंग प्रणाली आवश्यक है और ज्यादा किफायती है। जब तक इलेक्ट्रोनिक सामान्य कन्ट्रोल एक्सचेंज चालू नहीं हो जाते हैं, तब तक, यह प्रस्ताव है कि सुधार किए हुए कार्यकरण वाले क्रास-बार एक्सचेंजों से काम चलाया जाये।

कर्मचारी भविष्य निधि खाता नम्बर दो

4228. **श्री मनोहर लाल**
श्री शिव नारायण सरसूनिया } : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि खाता नम्बर दो का उपयोग केवल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को चलाने के लिए होता है तथा इसका उपयोग संगठन के वर्तमान कर्मचारियों के लिये भी किया जा सकता है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का विस्तार होने और इस योजना में अधिक से अधिक उद्योगों को शामिल करने की गुजाइश के होते हुए भी वर्ष 1964 से 1972 तक कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया गया है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि खाता नम्बर दो में करोड़ों रुपया फालतू पड़ा है और यदि हां, तो यह राशि कितनी है और वर्ष 1977-78 में इस पर कितना ब्याज लगेगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को कोई राशि देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) खाता नम्बर 2 निधि का प्रशासन खाता है और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 54(2) के अन्तर्गत निधि के प्रशासन के सभी खर्चे, जिनमें केन्द्रीय बोर्ड के न्यासियों की फीस तथा भत्ते और वेतन, छुट्टी एवं कार्य आरम्भ काल भत्ते, यात्रा एवं अनुपूरक भत्ते, उपदान एवं मुआवजा भत्ते, पेंशन, भविष्य निधि अंशदान तथा केन्द्रीय बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये स्थापित अन्य लाभ निधि, खातों के लेखा परीक्षण की लागत, वैधानिक खर्चे तथा केन्द्रीय बोर्ड के सम्बन्ध में सभी लेखन सामग्री तथा फार्मों की लागत, कार्यालय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में किये गये सभी खर्चे शामिल हैं, निधि के प्रशासन खाते से किये जायेंगे।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तों के आधार पर हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्राप्त सभी सुविधायें इस संगठन के कर्मचारियों को लागू की गई हैं।

(ग) पहली अप्रैल, 1977 को संगठन के प्रशासन खाते में उपलब्ध राशि 992.15 लाख रुपये थी। वर्ष 1977-78 के लिए ब्याज से प्राप्त अनुमानित राशि लगभग 67.64 लाख रुपये हैं।

(घ) संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते तथा अन्य लाभों के आधार पर नियमों के अधीन ग्राह्य वेतन एवं भत्ते तथा अन्य लाभ पहले से ही दिये जा रहे हैं।

भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए अग्रिम धन दिया जाना

4229. **श्री मनोहर लाल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के हैड क्लर्कों तक वरिष्ठता का रिकार्ड उनके अपने-अपने कार्यालयों में रखा जाता है और भविष्य निधि इंसपैक्टर ग्रेड II तथा इसके ऊपर के कर्मचारियों की वरिष्ठता का रिकार्ड नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय मुख्यालय में रखा जाता है;

(ख) क्या दोनों श्रेणियों, यथा बहुत दूर स्थित स्थानों में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों सहित, के मामलों में गृह निर्माण के लिये अग्रिम राशि के मामलों का निपटान नई दिल्ली में होता है और मुख्यालय से मंजूरी प्राप्त करने में महीनों से सालों तक लग जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे सभी कर्मचारियों के प्रत्येक मामले पर निर्णय करने का अधिकार उनके अपने-अपने क्षेत्रीय आयुक्त को देने का है जिसकी पदोन्नति परिवीक्षा, दक्षता रोध, पैनल बनाना, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए रोस्टर तैयार करने तथा उसका अनुमोदन करने सहित वरिष्ठता का रिकार्ड उस विशेष क्षेनीय आयुक्त के कार्यालय में रखा जाता है ताकि प्रत्येक कर्मचारी को उचित समय पर उसका वाजिब हक मिले; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस समस्या को सुलझाने के लिये सरकार का क्या वैकल्पिक कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि भवन निर्माण पेशगी के मामलों में प्रारम्भिक कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालयों में की जाती है, जहां आवेदक कर्मचारी कार्य कर रहे हों। बाद में उन्हें मुख्यालय में स्वीकृत हेतु भेज दिया जाता है। पूर्ण मामलों को मुख्यालय में शीघ्र ही निपटा दिया जाता है, परन्तु अपूर्ण होने के कारण कुछ मामलों में अधिक समय लग जाता है।

(ग) और (घ) परिवीक्षा, पदोन्नति, वरिष्ठता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित मामलों की व्यवस्था भर्ती नियमों तथा उसके अधीन आदेशों के अनुसार की जाती है।

भवन निर्माण पेशगियों की मंजूरी के मामले में एकरूपता की आवश्यकता है और इस प्रकार की पेशगियां मंजूर करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों को अधिकार देना उचित नहीं समझा जाता।

नगरीय तथा ग्रामीण लोगों के बीच रोजगार के मामले में असमानताएं

4230. **डा० वसन्त कुमार पंडित:** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नगरीय तथा ग्रामीण लोगों के बीच रोजगार के अवसरों के मामले में भारी असमानताएं हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस असंतुलन को दूर करने और स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 27वें दौर (अक्तूबर, 1972—सितम्बर, 1973) के दौरान आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी व्यापक सर्वेक्षण के परिणामों से यह पता चला है कि 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की 50.9 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की 37.6 प्रतिशत शहरी जनसंख्या सामान्यत: लाभप्रद कार्यकलापों में लगी हुई थी। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प-रोजगार का प्रभाव अधिक था।

अगली पंचवर्षीय योजना के लिए रोजगार नीति, जो कि बनाई जा रही है, में मोटे तौर पर यह परिकल्पना की गई है कि वृहत्तर रोजगार विस्तृत सिंचाई द्वारा सघन कृषि, संबद्ध कार्यकलापों जैसे कि डेरी विकास, वृक्ष-रोपण और फारिस्ट्रि, ग्रामीण धंधों और लघु और कुटीर उद्योगों में निहित होंगे। नए रोजगार अवसर अनुषंगिक (इन्फ्रास्ट्रकचर) तथा सेवा संबंधी क्षेत्रों में निवेशों द्वारा तथा कृषि संबंधी साधनों की व्यवस्था करके भी सर्जित किए जाएंगे।

एल्यूमीनियम के उत्पादन में कमी और इसकी विश्व बाजार में खरीद

4231. **डा० वसंत कुमार पंडित:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एल्यूमीनियम का 2 लाख टन के लक्षित उत्पादन स्तर (1976-77 पर आधारित) में वर्ष 1977-78 में लगभग 28,000 टन की कमी होने की सम्भावना है।

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विश्व बाजार से तुरन्त 10,000 टन एल्यूमीनियम की खरीद के आदेश दिये हैं;

(ग) क्या भारत एल्यूमीनियम कारपोरेशन इसके अतिरिक्त विदेशी फर्मों से देश में एल्यूमिनियम के आयात के लिये करार कर रही है;

(घ) देश में स्थापित उद्योगों की उक्त धातु की मांग को पूरा करने के बारे में सरकार की वित्तीय नीति क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि बिजली की कमी और उत्पादन को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों से देश में एल्यूमीनियम के आशातीत उत्पादन पर असर पड़ने की संभावना है जिससे देश में संकट पैदा होगा ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां; 1976-77 की तुलना में 1977-78 में उत्पादन में लगभग 29,000 से 30,000 टन के बीच कमी होने की सम्भावना है ।

(ख) से (घ) एल्यमीनियम धातु की उपलब्धि में कमी को पूरा करने के लिए भारत एल्यूमीनियम कंपनी द्वारा वास्तविक खपत कर्त्ताओं के लिए 9,000 टन धातु का पहले ही आयात किया जा चुका है, और 16,000 टन धातु के आयात के लिए भी आर्डर दिए जा चुके हैं और इस साल के अप्रैल, मई और जून में वितरण हेतु उपलब्ध हो जाने की आशा है । सरकार के प्रयास एल्यूमीयिनम धातु की मांग की पूर्ति के लिए आयात के प्रबंध द्वारा घरेलू सप्लाई में कमी को पूरा करने की दिशा में किए जा रहे हैं ।

(ङ) जी नहीं ।

OPENING OF RECRUITMENT OFFICES IN STATES FOR SENDING PERSONS ABROAD

4232. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state :

(a) whether Engineering Project of India engaged in house building scheme in Kuwait, has sent hundreds of masons etc. from India to work there;

(b) whether skilled workers from India are being sent to Middle-East Asia, Africa and other countries; and

(c) whether the recruitment offices will be opened in various States for black-smiths, dyers, engineers and persons with requisite qualifications and the number of such unemployed persons likely to be sent abroad in 1978 ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Mostly to countries in West Asia.

(c) Steps have been taken to regulate and facilitate recruitment of Indian workers for employment in foreign countries through Indian recruiting agents registered with and approved by the Ministry of Labour and by Indian firms engaged in consultancy agreements or in execution of projects on contract/sub-contract basis in foreign countries on the terms and conditions of employment to be approved by the Ministry of Labour. It is difficult to assess the likely number of persons who might go abroad during the year 1978. During the period November 1976 to February 1978, permission had been granted for the deployment abroad of 53,223 skilled, semi-skilled and unskilled workers.

सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी का अपने कर्मचारियों के साथ विवाद मध्यस्थता के लिये सौंपा जाना

4233. **डा० बापू कालदाते** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी को निदेश दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के साथ विवाद को मध्यस्थता के लिए न्यायमूर्ति तारकुंडे को सौंपे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विवाद मध्यस्थता के लिए सौंपा गया है; और

(ग) मध्यस्थता की शर्तें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि समुचित सरकार है, श्री एन० लक्ष्मी नारायण की बहाली संबंधी विवाद 21-11-77 को न्याय-निर्णय के लिये भेजा गया। तत्पश्चात सिंधिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी सिंधिया कर्मचारी यूनियन के साथ इस समझौते पर पहुंची कि मामले को विवाचन के लिये भेजा जाए।

पंजाब में बन्धक के रूप में रखे गये रांची के हरिजन

4234. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1978 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लगभग 8 महीने पहिले बिहार के रांची जिले के कुछ गांवों से 11 आदिवासी युवकों को कृषि संबंधी रोजगार देने के लिए पंजाब ले जाया गया था और केवल एक को छोड़ कर, जो हाल में कटु अनुभव के बाद वापिस आया है, 7 आदिवासी वहां बंधक हैं और शेष 3 आदिवासियों का अता-पता गांवों में उनके संबंधियों को नहीं है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन बेकसूर आदिवासियों के कष्टों के बारे में मामले की जांच की है जिनको रोजगार के लिये ले जाया गया परन्तु उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला पंजाब सरकार के साथ उठाया गया, जिसने यह सूचित किया है कि वे नियोजकों और रोजगार के स्थानों के नामों के अभाव में इस मामले की छानबीन करने में असमर्थ हैं। बिहार सरकार से आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि इस मामले में पंजाब सरकार आगे कार्यवाही कर सके।

बम्बई विदेश संचार भवन

4235. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की गई विदेश संचार के लिये पन्द्रह मंजिली इमारत विशिष्टियों के अनुसार नहीं बनाई गई;

(ख) क्या इस इमारत की दीवारों की संगमरमर के पत्थर गिरने लगे हैं और छतें रिसना शुरू हो गई हैं;

(ग) इस इमारत में सिविल निर्माण-कार्यों तथा लगाए गए बिजली के साज-सामान से सम्बद्ध ठेकेदारों के नाम और पते क्या हैं;

(घ) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को वस्तुतः कितनी राशि दी गई है और यदि कोई मूल वृद्धि खंड है तो उसके लागू होने से पूर्व मूलतः कितनी राशि दी जानी थी; और

(ङ) इस इमारत के शिलान्यास के समय इसकी अनमानित मूल लागत कितनी थी ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) विशेष विवरण के अनुसार 1970 में बनाए बम्बई के विदेश संचार भवन में भूमि और बीच के (मेज़ानीन) खण्ड के अलावा 16 खण्ड हैं। इस पर 1.43 करोड़ रुपये खर्च हुआ है।

(ख) संगमरमर की 8,000 सिल्लियों में से 111 निकल गई थीं। इनमें से 27 बदल दी गई हैं और शेष को बदलने के लिए कार्यवाही की जा रही है। छतें नहीं रिसती हैं।

(ग) और (घ) ठेकेदारों को सिविल निर्माण-कार्य और बिजली का साज-सामान लगाने के लिए की गई अदायगी नीचे दिखाई गई है:

(एक) **खम्भों (पाइल) की नींव के लिये**

मैसर्ज़ रेडियो हजारत एण्ड कं०, बम्बई 2,57,168 रुपये।

(दो) **ऊपरी ढांचे के सिविल निर्माण-कार्य के लिए**

मैसर्ज़ न्यू कन्सालिडेटेड कंस्ट्रक्शन कं० लिमिटेड, बम्बई 77,50,983 रुपये।

(तीन) **बिजली के साज-सामान के लिये**

मैसर्ज़ जनरल इलेक्ट्रिक कं० आफ इण्डिया, बम्बई 9,12,779 रुपये।

(चार) **वातानुकूलन के लिये**

मैसर्ज़ ब्लू स्टार लिमिटेड, बम्बई 17,24,228 रुपये।

अदायगी मूल रूप से तय शर्तों के अनुसार की गई थी। बढ़ोतरी की व्यवस्था के रूप में कोई अतिरिक्त रकम नहीं दी गई है।

(ङ) 1.43 करोड़ रुपये।

विटामिनों के मानकीकरण के लिये नियम

4237. **डा० वसन्त कुमार पंडित:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विटामिन वाले फार्मूलेशनों के मानकीकरण के लिये नियमों के प्रारूप जारी किये हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन नियमों को प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि बाजार में 300 से अधिक विटामिन फार्मूलेशन हैं और उनमें से अधिकांश फार्मूलेशनों में विटामिन की मात्रा आवश्यकता से अधिक है;

(घ) क्या इतनी अधिक मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता नहीं है तथा वे पच नहीं सकते;

(ङ) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां इन नियमों को लागू न करने के लिये सरकार पर दबाव डाल रही हैं; और

(च) यदि हां, तो औषधियों में विटामिन की उपयुक्त मात्रा के बारे में सरकार ने क्या अंतिम निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां; श्रीमान। 29 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में स० के० नि० संख्या 658 (ई०) के अन्तर्गत अक्तूबर, 1977 में एक अधिसूचना (प्रतिलिपि संलग्न) प्रकाशित की गयी। इस अधिसूचना में पेटेण्ट और प्रोप्राइटरी दवाइयों में विभिन्न विटामिनों की न्यनतम और अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के प्रस्ताव पर लोगों के विचार आमंत्रित किये गए थे। जनता के आक्षेप सुझाव प्राप्त करने के लिए अक्तूबर, 1977 में जारी किये गए संशोधित प्रारूप में एकल विटामिनों वाली और इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली दवाइयों को छोड़ कर विटामिनों की परो-प्राइटरी दवाइयां भी शामिल हैं परन्तु निर्धारित किये जाने वाले विटामिनों की सीमाएं उन्हीं दवाइयों पर लागू होती हैं जिनका उपयोग औषधीय गुणों अथवा रोग-निरोधन अथवा बाल-चिकित्सा हेतु किया जाता है।

(ख) प्रथम संशोधित प्रारूप को जिसमें जनता से आक्षेप मांगे गए थे, 10 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में स० क० नि० सख्या 47 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया था।

(ग) उद्योग के सभी क्षेत्रों अर्थात् बड़े, मध्यम और लघ उद्योगों में फर्मों द्वारा बेची जानी वाली विटामिनयुक्त परोप्राइटरी दवाइयां असंख्य हैं परन्तु इन दवाइयों की संख्या के बारे में सही-सही सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) सरकार के विशेषज्ञों की राय के अनुसार शरीर किसी हद तक ही विटामिनों को पचा सकता है और शेष जो मात्रा पच नहीं सकती वह मल द्वारा बाहर निकल जाती है।

(ङ) और (च) बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां, औषध निर्माता संघ और चिकित्सा व्यवसाय में लगे हुए सदस्यों समेत दवा बनाने वाली बहुत सी फर्मों, से इस आशय के आक्षेप प्राप्त हुए हैं कि विटामिन युक्त कुछ ऐसी दवाइयों की बड़ी जरूरत है जिनमें विटामिनों की मात्रा उस मात्रा से अधिक होनी चाहिये जिसका अधिसूचना के प्रारूप में जिक्र किया गया है। जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उन पर विचार किया जा रहा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०1914/78]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

श्री व्यालार रवि : महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्या आप दिल्ली विश्व-विद्यालय के बारे में ध्यानाकर्षण उठाने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, अभी सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री पटनायक।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कुद्रेमुख आयरन आर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुद्रेमुख आयरन आर कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर का 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1878/78]

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, श्रम और संसदीय का मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री लारंग सई) की ओर से मैं कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के वर्ष 1976-77 के कार्यकलापों सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1879/78]

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : महोदय, संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव) की ओर से मैं भारतीय डाक और तार विभाग की दूर संचार शाखा के वर्ष 1975-76 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र (प्राप्ति के आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1880/78]

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, श्रम और संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम कृपाल सिंह) की ओर से मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1881/78]

(2) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1882/78]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 67-कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-1883/78]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव: महोदय, मैं राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 16 मार्च, 1978 को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1978 को पास किये गये विनियोग (रेल) विधेयक, 1978 के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1978 को पास किये गये विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1978 के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1978 को पास किये गये विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1978 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा 21 मार्च, 1978 की अपनी बठक में वाल (संशोधन) विधेयक, 1978 में लोक सभा द्वारा 23 फरवरी, 1978 को किये गये संशोधनों से सहमत हुई है।

(छः) कि राज्य सभा 21 मार्च, 1978 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 फरवरी, 1978 को पास किये गये ब्याज विधेयक, 1978 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिये समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई स्थगित करने निर्णय संबंधी समाचार

श्री ओम प्रकाश त्यागी : महोदय मैं प्रधान मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"अमरीकी न्यूकलीय विनिमायक आयोग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई स्थगित करने सम्बन्धी निर्णय के समाचार तथा उससे उत्पन्न स्थिति ।"

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी दसाई) : समृद्ध यूरेनियम, जो कि भारत में तैयार नहीं किया जाता है, तारापुर परमाणु बिजलीघर में काम आने वाले ईंधन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमारे किसी भी अन्य परमाणु बिजलीघर के लिए नहीं पड़ती, क्योंकि उनके डिजाइन दूसरे ढंग के हैं। अमरीका की सरकार तथा भारत सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग-करार में यह व्यवस्था की गई है कि तारापुर बिजलीघर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला सारा समृद्ध यूरेनियम अमरीका द्वारा दिया जाएगा तथा भारत इसे किसी अन्य स्रोत से नहीं लेगा। तदनुसार, समृद्ध यूरेनियम का आयात केवल अमरीका से किया जाता है। प्रतिवर्ष औसतन लगभग 17 से 21 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम का आयात केवल अमरीका से किया जा रहा है। अमरीका में इस समय अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार, तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक समृद्ध यूरेनियम की खेपें भेजने के लिए निर्यात लाइसेंस का होना जरूरी है, जो कि अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक-कल्प (quasi judiciary body) है और अमरीकी सरकार की कार्य पालिका के अन्तर्गत नहीं आता। समृद्ध यूरेनियम के निर्यात-लाइसेंसों के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों को वहां की सरकार की कार्यपालिका द्वारा अनुमोदित कर दिया जाने के बाद उन पर अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग द्वारा विचार किया जाता है। इस समय अमरीका के ऊर्जा विभाग के पास ऐसे दो लाइसेंस हैं, जो क्रमश: 7.6 मीटरी टन और 16.7 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के संबंध में हैं। 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम सितम्बर, 1977 में भेजा जाना चाहिए था, तथा लाइसेंस संख्या XSNM-1222, जिसका आवेदन-पत्र 1 नवम्बर, 1977 को दिया गया था, अप्रैल से अक्तूबर, 1978 तक की अवधि में किए जाने वाले समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के सम्बन्ध में है। समृद्ध यूरेनियम की ये मात्रायें उस कार्यक्रम के अनुसार ही हैं, जो अमरीका द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद, समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के बारे में सितम्बर, 1976 में तैयार किया गया था।

समृद्ध यूरेनियम की पहली खेप के भेजे जाने में विलम्ब का कारण यह था कि अमरीकी सरकार की दीर्घकालीन नीति से सम्बन्धित निरस्त्रीकरण विधेयक वहां की कांग्रेस के विचाराधीन था। फिर भी, राष्ट्रपति कार्टर ने जनवरी, 1978 में अपनी भारत यात्रा के दौरान

संसद में यह घोषणा की थी कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के रिऐक्टरों के लिए आवश्यक न्यूक्लीय ईंधन 26 जनवरी, 1978 को भेजा जायेगा। अमरीकी सरकार की कार्यपालिका ने अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग से यह सिफारिश की कि 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के संबंध में विचाराधीन आवेदन-पत्र में मांगा गया लाइसेंस जारी कर दिया जाये। अमरीका में पर्यावरण में रुचि रखने वाले तीन ग्रुपों ने, जिनके नाम राष्ट्रीय साधन रक्षा परिषद (the National Resources Defence Council), सम्बद्ध वैज्ञानिकों का संघ (the Union of Concerned Scientists), तथा सिएरा क्लब (Sierra Club) हैं, तथा जिन्होंने पहले भी समृद्ध यूरेनियम की एक खेप के भेजे जाने का विरोध किया था, न्यूक्लीय विनिमायक आयोग के समक्ष इस अनुरोध के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि तारापुर के लिए ईंधन के निर्यात से सम्बद्ध 7 मई, 1976 को की गई सार्वजनिक सुनवाई दोबारा की जाए तथा 7.6 मीटरी टन और 16.7 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के लिए विचाराधीन लाइसेंसों से सम्बद्ध कार्रवाई को समेकित किया जाए। 21 फरवरी, 1978 को अमरीकी सरकार की कार्यपालिका ने अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग से अनुरोध किया कि 7.6 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम के विचाराधीन लाइसेंस को, जिसे कार्यपालिका ने अनुमोदित कर दिया था, जारी करने में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। समाचार मिला है कि 16 मार्च, 1978 और 20 मार्च, 1978 को हुई अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग की बैठकों में आयोग के दो सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण इस बारे में निर्णय नहीं लिया जा सका। आयोग के अध्यक्ष ने उन दोनों सदस्यों से विचार-विमर्श पूरा होने तक निर्णय को स्थगित कर दिया है।

दोनों सरकारों के बीच हुए करार और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई बिक्री संबंधी संविदा के अनुसार तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई जारी रखने की आवश्यकता के बारे में हमारी सरकार अमरीकी अधिकारियों को निरंतर बताती रही है। उन्हें यह बताया गया है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब होने से हैदराबाद स्थित न्यूक्लीय ईंधन सम्मिश्र के काम पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका है और इसकी वजह से तारापुर परमाणु बिजलीघर में बिजली के उत्पादन में मजबूरन कटौती करनी पड़ी है। तथापि, यह विलम्ब किसी प्रकार के नीति सम्बन्धी कारणों से नहीं हो रहा है। इसका कारण प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएं हैं। हमें विश्वास है कि अमरीकी प्रशासन इस बात की भरपूर कोशिश कर रहा है कि, उठाई गई आपत्तियों पर निर्णय तेजी से हो, लेकिन अंतिम निर्णय उसके हाथ में नहीं है।

इस विलम्ब के कारण बिजली के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम बिजलीघर को पूर्णतः बंद किये जाने की स्थिति से बचाने के उद्देश्य से, समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई सुनिश्चित बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बिजली के उत्पादन पर आंशिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा होना अपरिहार्य है। मैं केवल यही आशा करता हूं कि अमरीकी प्रशासन उक्त आपत्तियों के विरुद्ध निर्णय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगा और समृद्ध यूरेनियम की खेपें भेजने का काम फिर से जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : Mr. Speaker, The Prime Minister has mentioned important facts in this regard and I think that our Tarapur Plant, on which, foreign exchange worth about Rs. 300 crores has been spent, is in danger. I would like

to know as to why 7.6 tonne enriched uranium, which was to be received upto September, 1977, has not been supplied so far though the U.S. President Shri Carter had given an assurance therefor.

In this statement nothing has been mentioned about public hearing. Secondly, the U.S. Government has passed an Act according to which enriched uranium will be supplied to that country which will sign the non-proliferation treaty. In this context I would like to know as to what steps are being taken to ensure that the Tarapur Plant continues to function in future. The question is not supply of 7.6 tonnes of uranium at present but the question is of regular supply of uranium and whether Government of India have reached any agreement with U.S. Government in this matter, or any change is being brought about in the policy regarding non-proliferation treaty or any agreement will be reached with some other country. I would also like to know.

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक ही प्रश्न पूछिए ।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Mr. Speaker, it is my experience that you quote rules on the day on which discussion on the calling attention is raised.

अध्यक्ष महोदय : आप सात मिनट तक बोल चुके हैं ।

SHRI OM PRAKASH TYAGI : Mr. Speaker, here is a very important question of spent fuel. If we get 7.6 and 16.7 tonnes of enriched uranium, there is the question of storage of spent fuel and where it will be stored as there is no storage capacity for that. As per the agreement U.S. should accept it but they are not taking. Then how this problem will be solved ?

Besides I have got information today itself that if fuel is reprocessed, atom bomb can be made of that matter called plutonium. When U.S. Government is neither allowing reprocessing of spent fuel nor accepting it, nor supplying uranium, how all these problems will be solved ? I would also like to know as to what efforts are being made for development thereof and thorium technology.

SHRI MORARJI DESAI : I am sure that the assurance given by the President Carter will be fulfilled but it cannot be done immediately. I hope that it will be decided at an early date and our difficulties will reduce. We cannot say that we will continue to get it even after one year as another law has been enacted there which will come into force. We should have patience in this matter.

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : यह दुर्भाग्य की बात है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई में देरी हो रही है । इसके विकल्प के बारे में इस सदन का विश्वास प्राप्त किया जाना चाहिए । यह तो आशा ही है कि राष्ट्रपति कार्टर अपने वचन को पूरा करेंगे । परन्तु ऐसा बताया गया है कि एक अर्ध न्यायिक कल्प (quasi judicial body) है और निर्यात लाइसेंस देने का काम अमरीकी न्यूक्लीय विनिमायक आयोग करता है । वे सार्वजनिक सुनवाई भी करेंगे । हमारा अमरीका के साथ एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसके अनुसार हम किसी और स्रोतों से समृद्ध यूरेनियम प्राप्त नहीं कर सकेंगे । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने अमरीका के साथ यह मामला उठाया है कि यदि इसमें विलम्ब होता है तो क्या हम अन्य स्रोतों से समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई की व्यवस्था कर सकेंगे । क्या सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव है और क्या यह मामला अमरीका के साथ उठाया गया है ? और अमरीका सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

हमें यह भी नहीं मालूम है कि इन प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा । मेरा मौलिक प्रश्न यह है कि क्या सरकार अमरीका के अधिकारियों के रवैये से खुश है और क्या सरकार का निस्सन्देह यह विश्वास है कि समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई जारी रहेगी ।

श्री मोरारजी देसाई : हमने अमरीका के साथ मामला उठाया है और हम कठिनाइयां दूर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। स्थिति यह है कि इस संयंत्र में हम समृद्ध यूरेनियम के अतिरिक्त और कोई ईंधन प्रयोग में नहीं ला सकते और समझौते के अनुसार इसे अन्यत्र कहीं से नहीं मंगा सकते। यदि वे सप्लाई नहीं करते हैं और ऐसा कहते हैं तो अन्य मार्ग खुले हैं। यहां तक कि प्रयुक्त सामग्री का परिष्करण भी हम कर सकेंगे। फिर हमारे लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। हम कई चीजों का पता लगा सकते हैं। हमें इस समय सारी स्थिति बताकर अधिक कठिनाइयां उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। हमें उपचार ढूढना है और आशा है कि हम उपचार ढूंढ लेंगे।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : माननीय प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह उल्लेख किया है कि तारापुर के लिए ईंधन अमरीका से आएगा और भारत किसी अन्य स्रोत से इसे प्राप्त नहीं करेगा। यदि एक पक्ष समझौते का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष समझौते से कैसे बंधा रह सकता है? यदि यह ईंधन नहीं आता है तो तारापुर संयंत्र का क्या होगा? अतः इसका विकल्प सोचना होगा। समूचे राष्ट्र में ऐसी धारणा बन रही है कि हमारा राष्ट्र झुक रहा है। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हुं कि उन्हें वैकल्पिक स्रोत से यूरेनियम प्राप्त करने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है?

श्री मोरारजी देसाई : अभी समझौता भंग नहीं हुआ है। यूरेनियम की सप्लाई में विलम्ब हो रहा है। अभी उन्होंने मना नहीं किया है। कुछ यूरेनियम आ चुका है और कुछ आने वाला है। यदि समझौता भंग हो जाएगा तो हम जो कुछ भी करना चाहेंगे करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हमारे लिए कोई बंधन नहीं होगा। मैं स्वयं भी समझौता भंग नहीं कर सकता।

श्री वसन्त साठे : क्या समझौते में इस बात का उल्लेख था कि राष्ट्रीय साधन रक्षा परिषद की आपत्ति पर इसमें विलम्ब हो सकता है?

श्री मोरारजी देसाई : यह समझौते से बाहर नहीं है। अमरीका अपनी प्रक्रिया के लिए बाध्य है। जैसे कि हम अपनी प्रक्रिया के लिए बाध्य हैं। झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। मेरी कोशिश यह भी होगी कि तारापुर संयंत्र बंद न हो। इस देश के आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए मैं इसे निःसंकोच बंद कर दूंगा।

श्री वसन्त साठे : मैं संतुष्ट हूं।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल रहा है।

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Mr. Speaker, Sir, I am very much satisfied with the statement of the Prime Minister. Under the agreement we can get supply of uranium only from U.S.A. In my opinion this should not be provided in the agreement.

Our atomic scientists are of the opinion that for the development of energy, it is necessary to develop the atomic power. We should, therefore, achieve self-sufficiency in atomic power. There is no alternative. I would like to know whether such a policy will be laid down during the next 5 years under which we will be able to achieve self-reliance in this matter.

SHRI MORARJI DESAI : We are making every effort to achieve self-reliance in this matter.

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पैंसठवां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं धन-कर पर लोक लेखा समिति के 226वें प्रतिवेदन (पांचवी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 65वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

पन्द्रहवां, सोलहवां और अध्ययन यात्रा संबंधी प्रतिवेदन

श्री रामधन (लालगंज) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं : --

(1) नौवहन और परिवहन मंत्रालय--दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 58वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) निर्माण और आवास मंत्रालय--दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई आवास सुविधाएं--पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 57वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) समिति के अध्ययन दल 1 के जनवरी, 1978 में रांची, पटना, कलकत्ता, रूरकेला, रायगाडा और विशाखापत्तनम के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(4) समिति के अध्ययन दल 2 के जनवरी, 1978 में कलकत्ता, इम्फाल, गोहाटी, उत्तर लखीमपुर, इटानगर और तेजपुर के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(5) समिति के अध्ययन दल 3 के जनवरी, 1978 में लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, रीवा, खजुराहो और जबलपुर के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

मेंढ़कों के मांस के निर्यात पर प्रतिबंध संबंधी याचिका

PETITION *RE.* BAN ON EXPORT OF FROGS FLESH

श्री आर० के० महालगी (थाना) : महोदय, मैं मेंढकों के मांस के निर्यात पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जिला थाणे महाराष्ट्र के श्री दत्ता तम्हाने और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में घटना संबंधी वक्तव्य

RE. INCIDENT IN DELHI UNIVERSITY

श्री वसन्त साठे (अकोला) : महोदय मैं गृह मंत्री का ध्यान आज की उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें छात्रों ने दिल्ली में उपकुलपति और डीन को पीटा है । मैंने इसकी सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : विषय विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

निवारक निरोध के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* PREVENTIVE DETENTION

श्री चरण सिंह (गृह मंत्री) : यह स्मरणीय होगा कि जनता पार्टी के चुनाव वायदों में से एक "मीसा का निरसन करना, सभी राजनैतिक बन्दियों को रिहा करना और सभी अन्य अन्यायपूर्ण विधियों की समीक्षा करना" था । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति 28 मार्च, 1977 को संसद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई थी जिसमें मीसा की, उसके निरसन करने के इरादे से, पूर्ण समीक्षा और विद्यमान कानूनों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता की जांच करना था । सभी सम्बन्धित तथ्यों की गहन जांच के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि राष्ट्र के सामने समस्याओं के स्वरूप, जटिलता तथा विशालता और भविष्य में सम्भावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निवारक निरोध की शक्तियां न होने के कारण, प्रशासन को कतिपय परिस्थितियों से कारगर ढंग से निपटने में कठिनाइयां हो सकती हैं । आपातकाल के दौरान निवारक निरोध की शक्तियों के अत्यधिक दुरुपयोग के प्रति पूर्णतः सचेत होने के कारण ऐसे दुरुपयोग की सम्भावनाओं को कम करने के लिए नए कानून में आवश्यक रक्षोपाय प्रदान करने के सभी प्रयास किए गए थे । तदनुसार इस सदन में 23 दिसम्बर, 1977 को दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1977 पेश किया गया था ।

2. हालांकि विधेयक में प्रदान किए गए रक्षोपायों का आमतौर पर स्वागत किया गया है फिर भी इस विधेयक के प्रति कुछ आशंकाएं दोनों सदनों में तथा बाहर व्यक्त की जाती रही हैं । आपात काल के अभिघाती अनुभव अभी तक हमारे दिमागों में ताजा होने से जनता के मन में यह डर होना स्वाभाविक है कि निवारक निरोध की शक्तियों का रक्षोपायों के होते हुए भी, अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है । अपने व्यक्तिगत अनुभवों के कारण मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह डर पूर्णतः निराधार है । यह भी भावना है कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना तथा नागरिक स्वाधीनता पर पाबन्दियां हटाने के निमित्त बहुमत प्राप्त करने के बाद जनता पार्टी को ऐसे असाधारण कानूनों को नहीं अपनाना चाहिए । सरकार का लोकमत के प्रति अनुक्रियाशील होना प्रजातन्त्र के कार्यकरण की सही परीक्षा है । सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों को प्रतिष्ठा का मामला बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

3. अतः सरकार ने मामले पर पुनः विचार किया है और 23 दिसम्बर, 1977 को इस सदन में प्रस्तुत किए गए दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 का निरसन करने के लिए एक पृथक् कानून लाने का विचार है ।

4. मुझे आशा है कि सदन के सभी वर्ग इस निर्णय का स्वागत करेंगे । परन्तु यह समझ लेना चाहिए कि इस से सरकार तथा लोगों दोनों पर अतिरिक्त उत्तरदायित्व आएगा । हम सब चाहते हैं कि देश का शासन नागरिकों पर कम से कम पाबन्दियां लगाकर चलाया जाए परन्तु यह तभी संभव हो सकता है, जब लोग जागरूक हों और प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक आत्म अनुशासन तथा आत्म संयम बरतें । सदन के सभी वर्गों से मेरी यह हार्दिक अपील होगी कि उन सभी वर्गों तथा ताकतों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में सरकार को सहयोग दें जो राष्ट्रीय सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक है या भविष्य में हानिकारक सिद्ध हो सकती है ।

सभा की कार्यवाही के बारे में

REGARDING BUSINESS OF THE HOUSE

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : महोदय, मैं आज की कार्यसूची के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । कार्य सूची का क्रम नियम 25 और 31 तथा अध्ययक्ष द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार निश्चित किया जाता है और उसी के अनुसार कार्य की प्रत्येक मद को क्रम दिया जाता है । आगामी सप्ताह के लिए कार्य के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शुक्रवार को वक्तव्य दिया जाता है; चूंकि कल छुट्टी है इसलिए आज वक्तव्य दिया जाना चाहिए, पर कार्यसूची में इसका उल्लेख नही है ।

अनुदानों की मांगों पर बहस के लिए नियत समय सारणी पर अमल नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या संसदीय कार्य मंत्री आगामी सप्ताह के लिए सभा में कार्य के बारे में कोई वक्तव्य नहीं देंगे ? सदस्यों को अगले सप्ताह में किए जाने वाले कार्य की अवश्य जानकारी होनी चाहिए । तभी वह कार्यवाही में लाग लेने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अन्यथा इस बारे में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वक्तव्य दिए जाने की वर्तमान प्रथा को समाप्त न किया जाए । दूसरी बात यह भी है कि मंत्रीगण भी सार्वजनिक कार्य और अपनी सुविधा के कारण समय-सारणी में परिवर्तन करवा लेते हैं। इससे भी कार्यक्रम बदल जाता है । अतः हर सप्ताह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जाना चाहिए । अन्यथा हम लोग लोक महत्व के प्रश्नों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाएंगे ।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : इस सम्बन्ध में प्रथा यह रही है कि जब अनुदानों की मांगों पर चर्चा शेष रह गई हो तथा मंत्रालयों के बारे में अस्थायी कार्यक्रम परिचालित कर दिया गया हो तो संसदीय कार्य मंत्री कोई वक्तव्य नहीं देता । अतः पिछली लकीर को छोड़ा नहीं गया है। मंत्रियों की सुविधा को लेकर समय में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना सदस्यों को दे दी जाती है ।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) खेतड़ी तांबा परियोजना में हड़ताल का समाचार

SHRI NATHU SINGH (Dausa) : Sir, I would like to draw the attention of the House to the strike by workers of Khetri Copper Project. The production there has come to a standstill and workers have not been getting their wages. They are facing great hardships.

The Holi festival is approaching. There is a situation of tension. The workers representatives tried to solve the problem by meeting the minister, but failed in their mission. The question was only of changing the rope. The management was adament. The workers added some of their old demands. They expressed themselves for talks with the management, but the latter refused.

Many Members of Parliament including myself have visited the project. The workers are demanding restoration of union rights. Their other demands include confirmation on completion of two years service, payment of bonus, supply of uniforms etc. Their demands are not unreasonable. Therefore, Sir, keeping in view the interest of the country and the workers, negotiations should be arranged, their justified demands accepted and a committee be appointed to go into their other demands so that the strike is called off and the project starts functioning again. I would also request the Hon. Minister either he should visit the project or call the workers representatives for talks and find a solution so that the country as well as workers do not incur losses?

(दो) मुगल लाइन्स के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल जिसके कारण कोंकण जाने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों का समाचार

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत यह लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि 1973 से पहले कोंकण के पश्चिम घाट पर बम्बई स्टीम नवीगेशन कम्पनी तथा मेसर्स चौगुले स्टीमशिप कम्पनी जहाज चलाया करती थीं, पर इस सेवा का 1973 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब यह सेवा मुगललाइन द्वारा चलाई जा रही है और समाचार कि इस लाइन के कर्मचारी 20 मार्च, 1978 से हड़ताल पर हैं। यह यातायात का बहुत ही व्यस्त मौसम है। इस हड़ताल के कारण बम्बई में रहने वाले कोंकणी लोगों को जो कि होली के अवसर पर अपने-अपने घरों को जाना चाहते हैं, काफी असुविधा हो रही है। अतः मैं मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस हड़ताल को समाप्त करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें और मुगल लाइन को आदेश दें कि वह अपने कर्मचारियों की मांगें शीघ्र स्वीकार करें और इस बीच वैकल्पिक जहाज चलाने की व्यवस्था करें।

(तीन) रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली की दो लड़कियों के अपहरण का समाचार

SHRI YUVRAJ (Katihar) : Mr. Speaker Sir, in the entire city of Delhi people have a feeling of unsecurity. On 15th March two girl students of R. K. Puram Girls Higher Secondary School named Nandita Mazumdar and Panchhi Rawat were kidnapped on their way back to home from the school. Panchhi Rawat returned home the next day but Nandita Mazumdar did not return for four-five days. Her father met the Hon'ble Member Shri Purna Sinha who wrote a letter to the Home Minister stating that if the girl was not recovered within 24 hours he would raise the matter in the House. On 21st Nandita Mazumdar returned.

When Shri Vimal Sarkar went to Police and requested the Police Officer to get the photo of the girl published in the newspapers, the Police officer refused to do so because one of his relatives was involved in the incident. Crime incidence in Delhi is increasing. I, therefore, want to draw the attention of Government to this situation.

पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कंपनी (पुर्नसंरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक—जारी

PUBLIC SECTOR IRON AND STEEL COMPANIES (RESTRUCTURING) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : हम पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कंपनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक पर खण्डवार विचार प्रारंभ करेंगे।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : अध्यक्ष महोदय, कल हम विचाराधीन विधेयक के खण्ड 6 तक पहुंचे थे। मैंने कार्यवाही का रिकार्ड देखा जिसमें मैंने पंडित डी० एन० तिवारी के संशोधन को स्वीकार किया था किन्तु श्री स्टीफन ने उसकी भाषा पर आपत्ति उठाई थी। सभा की अनुमति से मैं पंडित डी० एन० तिवारी के संशोधन को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित करता हूं कि :—

"पृष्ठ 4, पंक्ति 16–17,—

"के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थानान्तरण बिहार राज्य के बोकारो स्टील सिटी से मध्य प्रदेश राज्य में भिलाई हो जायेगा।"

के स्थान पर

"का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बोकारो स्टील सिटी में रहेगा या उसका स्थानान्तरण रांची में हो जायेगा।"

प्रतिस्थापित किया जाए

हो जायेगा (Shall stand) शब्दों का लोप किया जाए।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपाल गंज) : मुझे स्वीकार है।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, कल व्यवस्था के प्रश्न पर मैंने भी खण्ड 6 में एक संशोधन पेश किया था। मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि श्री द्वारिका नाथ तिवारी के संशोधन पर कुछ तकनीकी आपत्ति है तो वह मेरा संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार थे।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) : मैंने यह कहा था किन्तु अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यह ठीक नहीं है। केवल ये इन शब्दों "किया जायेगा" का लोप किया गया है जैसा कि श्री स्टीफन ने संकेत किया है।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : किन्तु उनके संशोधन को मंत्री ने स्वीकार किया था।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मंत्री महोदय ने मेरे संशोधन को स्वीकार किया था अब 24 घंटे बाद वे इससे पीछे नहीं हट सकते।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिकार्ड से पढ़ रहा हूं :

"यदि कानूनी तौर पर यह मान्य नहीं है, यदि आपका यह निष्कर्ष है तो मैं श्री ए० के० राय के संशोधन को मानने के लिये तैयार हूं।"

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 16–17—

के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थानान्तरण बिहार राज्य के बोकारो स्टील सिटी "से मध्य प्रदेश में भिलाई में हो जायेगा।"

के स्थान पर

"का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बोकारो स्टील सिटी में रहेगा या उसका स्थानान्तरण रांची में हो जायेगा।"

प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु (कटवा) : कारखाना बोकारो में है। सब कुछ बोकारो में है। किन्तु कार्यालय रांची में होगा। काम कैसे होगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं निर्णय कर रहा हूं। यह सभा निर्णय कर रही है।

श्री ए० के० राय : मेरे संशोधन पर भी सभा की राय ली जाय।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन पूर्व संशोधन के विपरीत है और जब सभा ने पूर्व संशोधन को स्वीकार किया है तो यह अस्वीकृत हुआ।

अब मैं खण्ड 6 को, संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि:

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 7, 8, 9, 10 और 11 में कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें एक साथ सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 7 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 7 to 11 added to the Bill.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14 से 17 विधेयक में जोड़ा गया।

Clauses 14 to 17 were added to the Bill.

खण्ड 18

Clause 18

श्री ए० के० राय : मैं अपना संशोधन सं० 18 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बीजू पटनायक : महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ए० के० राय : चूंकि जनता सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों मजदूर विरोधी हैं अतः मैं इसका विरोध करता हूं। इससे सरकार को स्थानान्तरित करने में सहायता मिलेगी। अतः "अन्य कर्मचारियों" शब्दों का लोप किया जाए।

श्री बीजू पटनायक : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि ऐसी कोई धारणा नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेंगे।

श्री ए० के० राय : सभा में दिये गये आश्वासन की दृष्टि से मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18 *was added to the Bill.*

खण्ड 19

Clause 19

अध्यक्ष महोदय : श्री पटनायक क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री बीजू पटनायक : मैं उन्हें नहीं पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 20

Clause 20

श्री बीजू पटनायक : मैं कोई संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 20 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 20 *was added to the Bill.*

खण्ड 21

Clause 21

अध्यक्ष महोदय : श्री पटनायक, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं? श्री यादव यहां नहीं हैं अतः उनके संशोधन का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 37—"the undertaking" (उपक्रम) से पहले 'of' (का) प्रतिस्थापित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : आपके संख्या 3 और 32 दो संशोधन हैं।

श्री बीजू पटनायक : मैं संशोधन संख्या 32 पेश नहीं कर रहा हूं। मैं केवल संख्या 3 पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 7 पंक्ति 37—"the undertaking" (उपक्रम) से पहले "of" (का) प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 21 को संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 21, *as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 22 से 26 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 22 *to* 26 *were added to the Bill.*

खण्ड 27

Clause 27

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"पृष्ठ 9, पंक्ति 35—'ऐसे' का लोप किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1

Clause 1

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 6 '1977' के स्थान पर "1978" प्रतिस्थापित किया जाए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

ENACTING FORMULA

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1--'अठ्ठाईसवें' के **स्थान पर** 'उन्तीसवें' **प्रतिस्थापित** किया जाये।

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र को, संशोधन रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The enacting formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

SHRI D. N. TIWARI (Gopalganj) : I had given notice of an amendment that the Sale office may be shifted to Ranchi from Delhi. The Hon'ble Minister had also given an assurance to this effect and I hope this will soon be implemented.

श्री बीजू पटनायक : मैं पहले ही विस्तार से इस बारे में कह दिया है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पत्तन-विधियां विधेयक

PORT LAWS (AMENDMENT) BILL

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

देश में 10 मुख्य पत्तन हैं और तूतीकोरन सबसे नया मुख्य पत्तन है। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने लिखा है कि तूतीकोरन पत्तन को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाये। इसलिये हम यह विधेयक लाये हैं ताकि इन दो पत्तनों को मिला दिया जाये।

साथ ही हम भविष्य में सभी प्रकार के आकस्मिकताओं के लिये भी व्यवस्था कर कर रहे हैं जैसे मंगलौर के लोगों की मांग है कि मंगलोर पत्तन को नये पत्तनों में मिला दिया जाये। किन्तु कठिनाई यह है कि राज्य सरकार इसके लिये मना कर रही है।

इस मामले में तमिलनाडु न केवल इस पत्तन को सरकार को सौंपने के लिये सहमत हो गया है अपितु हानि होने पर 50 प्रतिशत क्षति पूर्ति करने को भी तैयार हो गया है। अतः हम कोई ऐसा कदम उठाने की नहीं सोच रहे हैं जो राज्य के हितों के प्रतिकूल जाए।

इस उद्देश्य से भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की धारा 5 और मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 133 का संशोधन करने हेतु मैं विधेयक पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 और मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 का, और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डों पर विचार करेंगे।

खण्ड 2

Clause 2

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Clause 3

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1

Clause 1

संशोधन किया गया।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—"1977" के **स्थान पर** "1978" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (चांद राम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र

ENACTING FORMULA

संशोधन किया गया।

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"अठ्ठाइसवें **के स्थान पर** "उन्तीसवें" **प्रतिस्थापित** किया (चांद राम) जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

नाम
TITLE

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री चांद राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पास किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : निर्माण और आवास मंत्री उपस्थित नहीं हैं **(व्यवधान)** अब सभा को मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह माना है। मैं क्या कर सकता हूं।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं।]

(DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*)

सभापति महोदय : क्या सदन चाहता है कि सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित की जाए।

अनेक सदस्यगण : जी हां।

[तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बज कर 25 मिनट (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई।]

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till Twenty-five minutes past Fourteen of the Clock.)

[मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 34 मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई।]

(The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty four minutes past Fourteen of the Clock.)

(डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं)।

(DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*)

लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (दिल्ली संशोधन) विधेयक

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATIONS) DELHI AMENNDMENT BILL

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त लोक वक्फ (परिसीमा और विस्तारण) अधिनियम, 1959 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।

वक्फ अधिनियम, 1954 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 1959 द्वारा दिल्ली में लागू किया गया था। देश के विभाजन के कारण वक्फ संपत्तियों के संबंध में समस्याएं खड़ी हो गई थी, इसलिये उक्त संशोधी अधिनियम पास किया गया था। दिल्ली के मामले में परिसीमा अवधि संबंधित अधिनियमों में संशोधन करके 31–12–1975 तक बठाई गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 18–12–75 को दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया कि इसकी अवधि और आगे बठा दी जाए। उनका कहना था कि दिल्ली में अधिकृत वक्फ संपत्ति के मामलों को न्यायालयों में दायर करना संभव नहीं हुआ है तथा सभी संपत्तियों की सर्वे अभी भी नहीं हो पाई है। चूंकि सर्वे अभी करनी है इसलिये यह ठीक-ठीक मालूम नहीं है कि कितनी संपत्ति अनधिकृत हाथों में है। इस प्रयोजन के लिये लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना पड़ेगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : दुर्भाग्य की बात है कि इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त भी सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। इस कार्य को ईमानदारी और तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री ने उन कारणों को बताने में सदन को विश्वास में नहीं लिया है जो इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार हैं। देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। हम जानना चाहते हैं कि वे कौन-सी कठिनाइयां थीं जिनके कारण सर्वे कार्य पूर्ण नहीं हो सका। हर बार परिसीमा विस्तारण के लिये इस सदन के समक्ष आना शोभा नहीं देता। मंत्री जी अब स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दें कि कितने समय में सर्वे कार्य पूरा हो सकेगा। आज भी कई मस्जिदें तथा अन्य प्रकार की संपत्ति अनधिकृत हाथों में है। आशा है इस मामले में शीघ्र और तेजी से कार्यवाही की जाएगी।

समग्र अधिनियम में व्यापक संशोधन करने की जरूरत है। बार-बार संशोधन करना उचित नहीं है। इस मामले की पूरी तरह जांच करने के लिये शायद एक जांच समिति भी बनाई गई थी जिसे आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने को कहा गया है। अचम्भे की बात है कि समिति ने इस मामले में सात वर्ष का समय लिया। लगता है समिति के सदस्यों ने पैसा और समय ही बर्बाद किया। स्थिति वहीं की वहीं है। इस विषय में अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि वक्फ बोर्ड सुचारु रूप से कार्य करें अधिनियम में व्यापक संशोधनों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह आश्वासन दें कि सर्वे कार्य को पूरा करने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया जाएगा और अधिनियम में व्यापक संशोधन किये जाएंगे।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : The responsibility for not completing the survey work during such a long period devalues on Wakf Boards. Responsibility has to be fixed on same body. Mere nominations will not do. It is not proper to come before this House for extension time and again.

It is a sorry state of affairs that Government does not have information about the relent of Waft properties. A large amount of Wakf property is in unauthorised hands I understand only Government or Wakf Boards have the powers to vacate the unauthorised occupation. I do not know whether the Executive Officer enjoys such powers. Whenever a survey report is submitted by the Chairman of the Wakf Board, immediate action should be taken by the district authorities empowered to get unauthorised occupation vacated.

I would like to know how much more time is likely to be taken in completing the survey and whether on timebound programme will be undertaken for the purpose. Only sincere and men of entegrity should be included in Wakf Boards. They should not be constituted on political considerations. I feel the Wakf Board in Andhra is doing good work. Similar work should be expected from other Boards. I hope you will arrange for speedy survey and have the entries work done because you are capable of it.

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : वक्फ बोर्ड ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं और उनकी संपत्ति की देख रेख के लिये उचित प्रबन्ध नहीं हैं। उसकी कई स्थानों पर सर्वे नहीं की जा रही है। वक्फ बोर्डों को भेजी गई याचिकाओं पर कार्यवाही नहीं होती औरंगाबाद, वेंकटगिरि तथा कई अन्य स्थानों पर वक्फ संपत्ति गलत अधिकार में है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करें कि वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण जो कोई भी उसके लिये जिम्मेदार हो, आसानी से कर सके।

SIKANDER BAKHT (Chandni Chowk): Madam Chairman, I would like to say some thing in regard to certain issues raised by the members. These in fact are outside the scope of this bill.

The survey of Wakfs Boards has not yet been completed. I regret the delay in this regard. Central Wakf Board is trying to see that it is expedited.

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA (Mandsaur) : The elections to state Wakf Boards were held many years ago and no attention is being paid to this as a result of which all the property is being damaged.

Mr. CHAIRMAN : Instead of interrupting him let there be the third reading of the Bill.

SHRI SIKANDER BAKHT : Wakf Boards are constituted under the Act and their period is prescribed. There is not any Board which is lasting more than its period. One hon'ble Member has pointed out that Wakf Enquiry Committee was appointed for a comprehensive Act. But it is to be seen that there is no constitutional contradiction or any legal difficulty. It is also not possible to give the executive officers more powers to acquire the property in adverse position. There are legal complications therein.

I have, therefore, come forward with the Bill for extension of limitation. I can assure that in Delhi there will be no need for extension again. This extension has been asked for up to 31st December, 1980.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त लोक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम 1959, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 1 को विधेयक में जोड़ा गया।

Clauses 1 and 2 were added to the Bill.

सभापति महोदय: अब मैं अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के भाग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र और विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सिकन्दर बख्त: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पास किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव पेश किया गया:

"कि विधेयक पास किया जाए।"

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA (Mandsaur) : Whether the Hon'ble Minister will lay down any period with in which this work will be completed. The Wakf Board in various States are not working properly. Whether uniform provision will be made for all the Wakf Boards so that there is no disparity in different States in this regard.

SHRI R. L. P. VERMA (Koderma) : Sir, I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister to only one or two points. Wakf Boards are not working properly in all the States. For example in Bihar it appears that there is none to look after. There is subletting of Wakf property. The organisation of Wakf Board is also not proper. The same officer is nominated again and again. Therefore the Board should be restructured by a Cell which should see that Wakf Board function properly and effective so that the purpose is solved. I would like an assurance from the Hon'ble Minister in this regard ?

SHRI BASANT SATHE (Akola) : I would like to know that by 1980, up to which extension has been asked for the enquiry will be completed and Government will be in a position to bring a comprehensive legislation in this regard. Because as has been stated all kinds of irregularities are being committed. The Hon'ble Minister should, therefore, give an assurance to this effect.

SHRI KESHAV RAO DHONDGE (Nanded) : Maharashtra is the worst example in this regard. It appears that there is no one to look after Wakf property. Certain few defamed persons are having control over them. The Priests in-Charge of the property have made it their own property. Therefore there should be some such law under which this can be checked. All Wakf property should be brought to notice and it should not be left to Boards. Again this property should be made use of in a proper manner because the purpose for which it is being kept is not being served. There should be some provision for punishment to those who misuse this property. There are large areas of land under such property and the priests in charge are the landlords of such land. I suggest that Hindus should also be included in such Wakf Boards and the such property should be nationalized, such property should not be in the name of a temple or a mosque. The entire community should have control over it. The Board should have members from all communities. If it is not done it means we are following the same old practice. I hope by 1980 needful will be done and there will be no need for extension.

SHRI SIKANDER BAKHT : I am grateful to the Members that they have made useful suggestions. As I have already submitted that this bill has limited purpose. It was for limited extension. I would like to assure again that we will see that Central Wakf Council will accomplish this work within the prescribed period and there is no further need to ask for extension. The organisation of Wakf Board is under the Wakf Act but the term of Delhi Wakf Board is ending in August, 1978. We will try to make use of the suggestions made by the Hon'ble Members. In so far as amending of Wakf Act is concerned, it will be taken into consideration after the recommendation of the commission are received. I hope this Bill will be passed.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय: गैर सरकारी सदस्यों का कार्य 3.30 से आरम्भ होना है अभी 24 मिनट बाकी हैं—यदि आप चाहें तो इसे पहले लिया जा सकता है।

प्रश्न यह है:

"कि गैर सरकारी सदस्यों का कार्य पहले आरम्भ किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय: श्री लकप्पा का विधेयक लेने से पहले 11 विधेयक पुरःस्थापित किये जाने हैं। अतः मैं उनका नाम पुकार रहा हूं।

DR. LAXMINARAYAN PANDEYA: I think the Members-in-Charge of the bills are under the presumption that they will be taken up at 3.30. The discussion on this bill should continue. Introduction can take place later on.

MR. CHAIRMAN: You have agreed to advance the time.

पहले और दूसरे विधयक के बीच हम उन्हें पुरःस्थापित करने की विशेष अनुमति देंगे। इस पर आप सहमत हैं।

माननीय सदस्य: हां।

विधेयक पुरःस्थापित

BILLS INTRODUCED

लघु कृषक और कृषि कर्मकार सुरक्षा विधेयक

SMALL FARMERS & AGRICULTURAL WORKERS SECURITY BILL

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार द्वारा लघु कृषकों और कृषि कर्मकारों को दुर्घटनाजन्य क्षति के लिये प्रतिकर के संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सरकार द्वारा लघु कृषकों और कृषि कर्मकारों को दुर्घटनाजन्य क्षति के लिये प्रतिकर के संदाय का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० राजगोपाल नायडू: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

हथकरघों के लिये (कतिपय प्रवर्गों के) कपड़े का आरक्षण विधेयक

RESERVATION OF CERTAIN (CATEGORIES OF) CLOTH TO HANDLOOMS BILL

श्री पी० राजगोपाल नायडू: मैं प्रस्ताव करता हूं कि हथकरघों के लिये कतिपय प्रवर्गों के कपड़े का आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि हथकरघों के लिये कतिपय प्रवर्गों के कपड़े का आरक्षण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० राजगोपाल नायडू: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

गन्ना मूल्य (नियतन) विधेयक

SUGARCANE PRICE (FIXATION) BILL

श्री पी० राजगोपाल नायडू: मैं प्रस्ताव करता हूं कि गन्ने का मूल्य नियत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि गन्ने का मूल्य नियत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० राजगोपाल नायडू: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 310 आदि का लोप)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (OMISSION OF ARTICLE 310 ETC.)

श्री भगत राम (फिलौर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री भगत राम: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

बेरोजगारी भत्ता विधेयक

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL

सभापति महोदय: हम श्री के० लकप्पा द्वारा 10 मार्च, 1978 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार शुरु करते हैं, अर्थात्:—

"कि देश के सभी बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ते का अनिवार्य रूप से संदाय करने हेतु उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : As Shri Lakappa says that unemployment is only among the educated persons but it is not so. The number of uneducated unemployed persons is much more.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : In the Bill it is among all—educated and uneducated.

DR. RAMJI SINGH : I was saying that not only the educated but uneducated persons also face unemployment problem. This problem is not in India only but it is a world-wide problem. In India this problem is acute. The question is how can this problem be solved ? It can not be solved on party basis. It is a national problem. We will have to seek cooperation of all to solve this problem. It has increased from year to year and the wrong planning is responsible therefor. It is, therefore, necessary that our Plan should be employment-oriented but it has not been so. Unemployment problem can not be solved by planning only. There should be development oriented employment. There should also be employment oriented education. This problem can not be solved until radical changes are brought about in education system. The existing education system leads to unemployment. We pay attention to the unemployment among the Engineers and Doctors but we do not pay attention to crores of unemployed persons. Here is also a problem of not getting full time employment which is more acute. India is an agricultural country. The persons engaged in agriculture get employment for four or six months a year. There are five lakh villages in the country. For providing full employment to village people and to solve unemployment problem there should be development of agriculture and village industries. In a developing country like India attention should be paid to small industries instead of big industries.

Bhagwati Committee has made many suggestions to solve this problem. I do not want to take valuable time of this House by repeating these suggestions here. It is not proper to provide unemployment allowance to unemployed persons. In some of States this allowance has been given. There are a large number of unemployed persons in Bengal and the Government of Bengal has provided this allowance. I do not oppose this idea, but the question is whether this problem will be solved by giving a sum of Rs. 20 or 50. In the manifesto of Janta Party we have promised that employment will be provided to all. Can employment be provided in a year ? Indeed a 10 year programme has been announced therefor. This ten-year plan should be implemented sincerely.

Right to work should be included in the Constitution.

Shri Lakappa has stated that unemployment allowance should be provided to the unemployed. In our country 13 crores of persons are unemployed and crores of rupees will have to be spent thereon, which is not possible at all. This will encourage tendency of begging.

My amendment is this—

"कि सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी भत्ते की योजना चरणवार लागू करेगी जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों से शुरू की जायेगी।"

SHRI L. L. KAPOOR (Purnea) : Mr. Chairman, I have to introduce a Bill.

MR. CHAIRMAN : Let him introduced the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 330 AND 332)

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Ujjain) : Mr. Chairman, I beg to move for leave to introduced a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"The leave be granted to introduced a Bill further to amend the Constitution of India."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Mr. Chairman, I also introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (सप्तम अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SEVENTH SCHEDULE)

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:

The motion was adopted.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: I introduce the Bill.

संविधास (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 348 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 348)

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Mr. Chairman I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: I Introduce the Bill.

सभापति महोदय: श्री उग्रसेन.....वह अनुपस्थित हैं।

श्री दयाराम शाक्य.....वह भी अनुपस्थित हैं।

श्री मदन तिवारी..... वह भी अनुपस्थित हैं।

श्री लखन लाल कपूर।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 19, ETC.)

SHRI L. L. KAPOOR: I beg to move for leave to introduce a Bill to amend further the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI L. L. KAPOOR: I introduce the Bill.

बेरोजगारी भत्ता विधेयक (जारी)

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL—*Contd.*

सभापति महोदय: अब हम बेरोजगारी भत्ता विधेयक पर चर्चा जारी रखते हैं।

श्री राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : गांवों में शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों में बेरोजगारी व्याप्त है। जनता सरकार ने कहा है कि दस वर्ष के भीतर बेरोजगारी को हटा देंगे। यह तो केवल कागजों में है। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। बेरोजगारी बढ़ रही है। परन्तु सरकार के पास इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकारी विभागों में यह पाबंदी लगाई है कि अधिक लोगों को रोजगार न दिया जाये।

शिक्षा में सुधार करने की बात भी नहीं सोची गयी है। इसका तो उत्पादन के साथ सम्बन्ध होना चाहिए। जनता सरकार तो लोगों को अभी भी अनुत्पादक कार्यों में लगाने की बात सोच रही है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार का कहना है कि वह ग्रामीण उद्योगों को चालू करने जा रही है जिससे गांवों में बेरोजगारी दूर की जाये। परन्तु मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में क्या किया गया है? ग्रामीण उद्योगों को चालू करना आसान नहीं है। जब तक गांवों में बुनियादी सुविधायें नहीं जुटायी जातीं, जब तक ग्रामवासियों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता, जब तक योजनायें नहीं बनायी जातीं, तब तक ग्रामीण उद्योगों को चालू करना असंभव है। इस सम्बन्ध में अभी तक क्या किया गया है?

कहा जाता है कि छटी पंचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है। परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जनता को प्रशिक्षण देने के बारे में कोई बात नहीं कही गयी है जिससे वहां ग्रामीण उद्योग चालू किये जा सकें। इसका मतलब तो यही है कि जनता सरकार केवल यह प्रचार कर रही है कि वह बेरोजगारी समाप्त करने जा रही है परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था कर रहे हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में जिस गति से काम चल रहा है उससे पता तो 100 वर्षों तक भी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण नहीं हो पायेगा। अतः चरण बद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाये ताकि इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण का कार्य बिल्कुल नहीं किया जा रहा है अतः इस प्रकार वहां रोजगार के अवसर भी उपलब्ध नही हो रहे हैं। यदि हम किसी भी विकसित देश का इतिहास उठा कर देखें तो हमें पता चलेगा कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण का कार्य आरम्भ किया और सड़कों का निर्माण करना आरम्भ किया। किन्तु हमारी सरकार इस मामले में पिछड़ रही है अतः वह ग्रामीण क्षेत्रों में और शिक्षित बेरोजगारों के लिये अवसर उपलब्ध नहीं कर सकी है। सरकार कहती है कि वह घाटे की अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध है किन्तु उन्होंने इसी व्यवस्था को अपनाया है। इसके सिवाय चारा भी क्या है? जब तक वह कुछ समय के लिए इस व्यवस्था को नहीं अपनायेंगे, वह बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यहां पर यह कहा गया है कि बेरोजगारी भत्ता अपमानजनक है किन्तु वह यह बात भूल जाते हैं कि पश्चिमी और अन्य देशों में यह भत्ता बेरोजगारों को सुरक्षा प्रदान करता है। आप जानते हैं कि लाखों शिक्षित बेकार बैठे हैं और उनमें काफी असन्तोष हैं। चुनाव के दौरान इन लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या बेरोजगारी का कोई समाधान किया जायेगा। अब उन्हें

बेरोजगारी भत्ता देना सम्भव है। महाराष्ट्र में ऐसा किया जा रहा है और आन्ध्र प्रदेश में भी यह घोषणा की गई है कि न केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अपितु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। गांवों में रोजगार कार्यालय भी नहीं खोले गये हैं। अतः जिस मौसम में ग्रामीण लोगों के पास काम नहीं होता, उन्हें अन्य काम उपलब्ध कराने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। अतः ऐसी व्यवस्था की जाये कि जब भी किसी अन्य ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्य हो उन्हें यह बताया जाये और वहां ले जाया जाये ताकि उन्हें ऐसे मौसम में रोजगार उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिये एक घण्टे का समय और बढ़ाया जाता है। अब हमारे पास एक घण्टा और पांच मिनट हैं। मंत्री महोदय और श्री लकप्पा कितना समय लेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा: लगभग 15 मिनट।

सभापति महोदय: अतः अब 25 मिनट शेष रहेंगे। इस समय में जितना संभव हो सकेगा उतने सदस्यों को अवसर दिया जाएगा। श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : Mr. Chairman, I stand up to speak on the Bill presented by Shri Lakkappa. Sir, there, might be different opinions on the issue of unemployment allowance but there are no two opinions about the need to solve the unemployment problem and to remove discontentment prevailing among the youth of the country. It is said that whenever the youth become discontented, Governments change. There occurs revolutions and counter-revolutions. Now the unemployment problem is before the Janata Party and it should try to solve this problem. Census was conducted three times after independence but nobody knows the exact figure of unemployed people in the country. In 1970, the Dantewala Committee made certain suggestions on the scientific methods to conduct survey to know the exact figures in respect of persons who are unemployed but these suggestions were not taken into consideration.

In our country, there was a talk about giving of unemployment allowance. Some State Governments have introduced this scheme. But the amount of allowance is very meagre say for example Rs. 40 or Rs. 50. We do not want alms. We want work. A paltry sum of Rs. 40 or 50 is not enough.

The unemployment position has aggravated on the country because our education policy has not been changed. There is student unrest everywhere. Therefore I want to request that employment opportunities should be increased. The industrial policy should also be changed. It is said that if 40 crores hectares of land is brought under irrigation, we will produce enough for our consumption and even for exports. Take the question of education. In urban areas, the per capita expenditure on it is Rs. 1.30 whereas it is only 26 paise in the rural areas. This will result in unemployment and discontentment.

We made a mistake in the beginning itself. We included the right to work in the Directive Principles and not among the fundamental rights given to us in our constitution. The Janata Party has declared in its election manifesto—

कि जनता पार्टी दस वर्षों में प्रत्येक परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे। इसके लिये वह अपनी नीतियों को संविधान में दिये गये राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर बनायेंगे ताकि लोगों को काम और शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल सके और बेरोजगारी, वृद्धावस्था बीमारी में और अपंगों को सरकार से सहायता देंगे।

Therefore I want to say that right to work should be made a fundamental right and efforts should be made to eliminate unemployment within 10 years as was stated by the Prime Minister in his speech. It is not only the duty of the Janata Party to seek solution to unemployment problem. It is an all party and national affairs. Therefore I suggest that an unemployment Committee comprising members of Parliament of all parties, prominent economists, academicians and financial experts to seek a permanent solution to this problem. This Committee should not take long time but submit its report within 6 months and after that, Government should implement these recommendations within next six months.

I fail to understand now the budget presented in the house will be helpful in tackling this problem. What has happened to that there has been an increase of 5.5% in the new factories in 1974 and 1975 but employment opportunities have increased only by 1.7%. It means that we have not been able to set up small scale industries. We should have set up employment oriented industries.

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम्) : सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं... (**व्यवधान**)

सभापति महोदया : सभी के बोलने का अवसर देना संभव नहीं है। यदि सभी अधिक समय लेंगे तो मैं क्या कर सकती हूं। आप सभी लोग यदि पांच-पांच मिनट लें तो... आप समय खराब कर रहे हैं। श्री जार्ज आप दो तीन मिनट का समय लीजिए।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं श्री लकप्पा द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इस विधेयक का कार्य श्रम मंत्री श्री रवीन्द्र वर्मा को सौंपा गया है। उपलब्ध आकांड़ों से पता चलता है कि देश भर में रोजगार कार्यलयों में 48 लाख लोगों का नाम दर्ज है जिसमें 4 लाख केरल वासी हैं अतः इससे यह पता चलता है कि देश भर में केरल में सबसे अधिक बेरोजगारी है और केरल में राज्य सरकार बेरोजगार लोगों को इस प्रकार लाभ पहुंचा रही है जिस प्रकार का प्रस्ताव श्री लकप्पा के विधेयक में किया गया है। अतः केरल सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को भी इस प्रकार के प्रस्ताव लाने चाहिए।

श्री नाथू सिंह ने अच्छे सुझाव दिये हैं और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं। बेरोजगारी की समस्या का समाधान भारतीयों को देश से बाहर भेज कर हो जायेगा। हमारे यहां बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं अतः कुछ लोगों के बाहर चले जाने से प्रतिभा पलायन का खतरा नहीं पैदा होता। एक विद्यार्थी पर 60,000 रुपये व्यय करके उसे डाक्टर बनाने से क्या लाभ, जबकि हम उसे रोजगार नहीं दे सकते। एक लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति बेरोजगार हैं।

हमारी 60 करोड़ आबादी है और अगर उसमें से कुछ लोग बाहर चले जाते हैं तो प्रतिभा पलायन जैसी कोई बात नहीं होगी। हमारी विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति काफी मजबूत है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 20 लाख भारतीय विदेशों में हैं और उनके द्वारा भारत में भेजे जाने वाले पैसे से ही भारत की विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति मजबूत हुई है क्योंकि विदेशी भारतीय हर मास लगभग 160 करोड़ रुपये भारत भेज रहे हैं। भारत सरकार को विदेशी भारतीयों के लिये एक अलग मंत्रालय की स्थापना करना चाहिए।

खाड़ी के देशों में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। 5 लाख से अधिक भारतीय इन देशों में काम कर रहे हैं। और उन पर वहां की सरकारों ने तथा भारत सरकार ने अनेक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। (**व्यवधान**) हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में कुशल, तकनीकी और अर्द्धकुशल कामगार उपलब्ध हैं। खाड़ी प्रदेशों में रोजगार के लिये व्यापक अवसर हैं। उन्हें श्रमिकों की जरूरत है। हमें रोजगार की जरूरत है। हमारी बेरोजगारी की समस्या इससे कुछ हद तक सुलझ सकती है। अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि समुद्रपारीय भारतीयों के लिये एक अलग विभाग बनाया जाना चाहिए। संसद् सदस्यों का भी एक सद्-भाव शिष्टमंडल वहां भेजा जाना चाहिए जो वहां जाकर सारी समस्याओं का अध्ययन करेगा। साथ ही इस बारे में अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण भी न अधिक प्रतिबंधात्मक हो और न अधिक उदार।

यह सत्य है कि इन देशों के रीति-रिवाज, खान पान, सब कुछ हम से भिन्न हैं। उनके मजदूर संघ भिन्न हैं इस संबंध में तुरन्त सुधार करना कठिन है पर हमें भारतीयों के हितों की रक्षा करनी ही होगी।

अरब देशों के पास धन है। वे अपने विकास कार्यों पर बहुत अधिक खर्च करना चाहते हैं। पर उनके पास जनशक्ति नहीं है। जनशक्ति हमारे पास है। हम उनकी सहायता कर सकते हैं। इससे कुछ हद तक हमारी भी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी। जनता सरकार दस वर्षों में बेरोजगारी समाप्त करना चाहती है। इस संदर्भ में मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह तेल बाहुल्य खाड़ी देशों में रोजगार की उपलब्ध भारी क्षमता को ध्यान में रखें और साथ ही केरल सरकार, जिसने अपनी 60 प्रतिशत तक यह समस्या हल कर ली है, का अनुसरण करें।

श्री चित्त बसु (बारसार) : एक पत्रिका "बिजनेस स्टैंडर्ड" के अनुसार बेरोजगार स्नातकों की संख्या 1982–83 में 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगी और स्नातकोत्तर शिक्षा वाले लोगों की संख्या 3 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो जाएगी। अगले पांच वर्षों में ऐसे 5.83 लाख लोगों की बढ़ोतरी हो जाएगी। इनमें से केवल 3.9 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इस प्रकार इनकी संख्या में प्रतिवर्ष 5 लाख बेरोजगारों की वृद्धि होगी। ऐसी दशा में समस्या का समाधान बहुत ही कठिन हो जाएगा।

कुछ राज्यों ने इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया है। उनका विचार है कि देश के शिक्षित बेरोजगारों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस सभा के कुछ लोगों के विचार में इन बेरोजगारों को 50 या 60 रुपये के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता के रूप में वित्तीय सहायता देने का अर्थ भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देना होगा। यह बात युवा-वर्ग के लोगों को शोभा नहीं देती। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन राज्यों ने बेरोजगारी राहत देने का जो कार्यक्रम अपनाया है उन्हें कुछ न कुछ वित्तीय सहायता अवश्य दी जानी चाहिए।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं इस विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अत्यंत गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में बेरोजगारी और विशेष रूप से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या बड़ी संकटपूर्ण है।

सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। फिर इस समस्या के समाधान के लिये कितने वित्तीय साधन उपलब्ध हैं। तीसरी बात यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर दुर्लभ संसाधनों को लगाना न्यायोचित है।

जहां तक इस समस्या की गंभीरता का प्रश्न है, सही आंकड़े देना संभव नहीं है। यह कहा गया है कि हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज आंकड़ों के अनुसार जून, 1977 के अन्त में पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या 1,04,00,000 थी जिनमें 54 लाख शिक्षित व्यक्ति भी शामिल हैं। इन आंकड़ों की भी अपनी सीमाएं हैं। वर्ष 1972–73 के 27वें नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 6.2 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास स्थाई या पर्याप्त रोजगार नहीं था। सर्वे में कहा गया है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनसार एक करोड़ लोग ऐसे थे जिनके

पास उस वर्ष सप्ताह में एक घण्टे का भी काम नहीं था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 4.2 करोड़ लोग लगातार बेरोजगार रहे हैं या उनके पास इतना काम नहीं है कि उन्हें बेरोजगार कहा जा सके। इन आंकड़ों को ध्यान में रख कर हम समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं।

अब रही वित्तीय साधनों की बात। माननीय सदस्य के विधेयक का सीमित उद्देश्य यह कि शिक्षित बेरोजगार प्रौढ़ों को 150 रु० और अशिक्षित बेरोजगारों को 100 रु० का बेरोजगारी भत्ता दिया जाए । सदस्य का कहना है कि इसके लिये केवल 15 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी जो सही नहीं है। इस हिसाब से यह राशि 462 करोड़ रुपये प्रति मास और 5544 करोड़ रुपये वार्षिक बैठती है। इतने बड़े साधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। इसमें प्रशासन व्यय शामिल नहीं है। सारी छठी पंचवर्षीय योजना के लिये यह व्यय 27,000 करोड़ रुपये बैठेगा। यदि यह कहा जाए कि सरकार 27,000 करोड़ रुपया इस मद पर व्यय करने का वचन दे तो यह विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि हमारे जो संसाधन हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, हम सरकारी क्षेत्र में तथा लघु उद्योगों में रोजगार उपलब्ध करने के लिये कुल 49 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं····· (**व्यवधान**)। यदि आप चाहते हैं कि सरकार 27,000 करोड़ रुपये केवल उन लोगों को जो बेरोजगार हैं, देने का वचन दे तो क्या आप समझते हैं कि यह एक न्यायसंगत बात होगी और क्या इस प्रकार हम अपने सीमित संसाधनों का सदुपयोग कर सकेंगे। मैं प्रशासनिक और अन्य कठिनाइयों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं जिनमें उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें बेरोजगारी का भत्ता दिया जाना है तथा उस भत्ते की राशि क्या होगी और कितनी अवधि के लिये दिया जाएगा आदि बातें शामिल हैं। इसमें भत्ते की राशि क्या होगी और वास्तविक न्यूनतम मजदूरी से अधिक होनी चाहिए या कम, यह भी निश्चित किया जाना है।

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा एक दो अन्य राज्यों का उल्लेख किया गया है। वहां जो प्रयोग किये जा रहे हैं मैं उनके विरुद्ध नहीं कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में यह व्यवस्था ग्रामीण जनता के लिये है और बेरोजगारी भत्ता 1 रु० प्रतिदिन है। वास्तव में इस प्रश्न पर दलीय विचारधारा से परे इस दृष्टिकोण से विचार किया जाना है कि क्या यह सब प्रकार से उचित है। इस विषय में रचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए जो कि संसाधनों की उपलब्धता से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

श्री जार्ज ने कहा है कि खाड़ी के देशों में रोजगार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन देशों में केरल से बहुत से लोग रोजगार के लिये जाते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि यह किया जाना चाहिए बशर्ते कि हमारे मजदूरों के हितों की रक्षा हो जिन्हें वहां रोजगार मिलना है। अतः यदि हमारे मजदूरों के हितों की रक्षा होती है तो निस्संदेह हम यथा संभव पूरा प्रयत्न करेंगे कि इन अवसरों का लाभ उठाया जाये।

समुद्रपारीय भारतीयों के लिये एक विभाग बनाने की उन्होंने बात की है (**व्यवधान**) इसके पीछे जो धारणा है उसे मैं समझता हूं और उन्होंने जिन समस्याओं का उल्लेख किया है हम उन पर पूरा ध्यान देंगे। मैं अब श्री लकप्पा से निवेदन करूंगा कि वह अपना विधेयक वापस लें।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन् पीठासीन हुईं।
SHRIMATI PARVATI KRISHNAN *in the Chair.*]

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मंत्री महोदय ने मुझसे विधेयक वापस लेने के लिये कहा है। इससे स्पष्ट होना है कि सरकार देश की महत्वपूर्ण समस्याओं का किस प्रकार समाधान करना चाहती है। मैं उन सभी सदस्यों एवं सहयोगियों का आभारी हूं जिन्होंने दलीय विचारधारा से ऊपर उठकर विधेयक के पीछे जो धारणा है उसका समर्थन किया है।

एक बेरोजगार युवक के पिता का एक पत्र मुझे मिला। उनका पुत्र एम० एस० सी० और पी० एच० डी० है और 1970 से बेरोजगार है उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता पार्टी केवल आश्वासन दे रही है और ठोस रूप में कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। आज जनता पार्टी एक वर्ष पूरा कर चुकी है और मुझे आशा थी कि मेरे विधेयक को पास कर सरकार बेरोजगार इंजीनियरों को राहत देगी। अभी बिहार में क्या हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या दृष्टिकोण है तथा अन्य जगहों पर स्थानीय लोगों की विचारधारा क्या है। इससे यही आभास होता है कि एक विस्फोटक स्थिति आ गई है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे बनावटी सदस्यता न प्रकट करें। केरल में एक योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत ऐसे बेरोजगार लोगों को जिनका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है और जिन्हें पांच वर्ष से रोजगार नहीं मिला है तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय 4,000 रु० से अधिक नहीं है उन्हें 400 रु० वार्षिक सहायता दी जायेगी। पंजाब ने भी ऐसी योजना चालू की है तथा कर्नाटक ने उन लोगों के लिये जिनकी वार्षिक आय 3000 रु० से कम है सहायता देने की योजना शुरू की है। जब विभिन्न राज्य इस समस्या पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं तो जनता सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कठिनाई यह है कि हम धन का हिसाब रेखागणितीय अनुपात में तथा बेरोजगारी का गणितीय अनुपात में लगा रहे हैं। साथ ही जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है।

इस समस्या पर साधारण रूप से विचार करके इसे हल नहीं किया जा सकता है यह बहुत बड़ी समस्या है। मंत्री महोदय ने जो तर्क दिये हैं उनसे किसी को भी संतुष्टि नहीं हुई है। आपने इस संबंध में न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं की है और न कोई प्रस्ताव किया है।

जहां तक संसाधनों का संबंध है देश में 20,000 करोड़ रुपये का काला धन तथा 5,000 करोड़ रुपये का बकाया आयकर एकाधिकारी गृहों से वसूल करना है। यह क्यों वसूल नहीं किया जा रहा है। बजट में जो कुछ किया गया है उससे संबंधित एक कार्यक्रम भी अभी तक नहीं बनाया गया है।

यह एक राजनीतिक दल विशेष की समस्या नहीं है यह देश की समस्या है अतः यह आवश्यक है कि आप इस विधेयक को मंजूर करें। इसके अनुसार हर एक व्यक्ति को सहायता नहीं दी जानी है साथ ही यह सहायता थोड़े समय के लिये ही दी जानी है। गांवों में जहां बेरोजगार लोग रह रहे हैं कृषि और उद्योग संबंधी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने से लोगों को देश के भविष्य में आस्था होगी। संविधान में काम के अधिकार की गारंटी संबंधी संशोधन की बात कही गई है। यह एक नई बात नहीं है सभी प्रगतिशील व्यक्ति

इसी प्रकार सोच रहे हैं। यदि इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो युवा पीढ़ी विद्रोह करेगी और देश में पूर्ण क्रांति होगी और जनता पार्टी को हटाया जाएगा। मुझे आशा है कि इस विधेयक के प्रति वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और मेरा विधेयक स्वीकार किया जाएगा।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय ने आपसे विधेयक वापस लेने का अनुरोध किया है तो क्या आप वापस ले रहे हैं।

श्री के० लकप्पा: शायद उन्होंने अपना विचार बदल दिया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा: माननीय सदस्य ने जो तर्क दिये हैं हम उन पर विचार करेंगे और मैं निवेदन करता हूं कि वह विधेयक वापस लें।

श्री के लकप्पा : मैं विधेयक वापस नहीं लूंगा।

सभापति महोदय: अब मैं श्री लकप्पा द्वारा पेश किये गये विधेयक को मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है:

"कि देश में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

मानसिक स्वास्थ्य विधेयक
MENTAL HEALTH BILL

डा० सुशीला नायर (झांसी): मैं प्रस्ताव करती हूं :

"मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखभाल संबंधी विधि को समेकित और संशोधन करने, उनकी संपत्ति तथा कामकाज के संबंध में और तत्संसक्त अथवा आनुसंगिक विषयों के लिये अधिक अच्छा उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय: मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि 12 वर्ष के बाद इस सभा को मानसिक स्वास्थ्य विधेयक पर चर्चा करने का समय मिला है। इस विधेयक के अनुसार उन लोगों की जो मानसिक रूप से रोगी हैं चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाएगा।

हमारे देश में ऐसे रोगियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इस संबंध में 1912 में अधिनियम पास किया गया था। उस समय मानसिक रोगियों के उपचार के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्हें तथाकथित मानसिक अस्पतालों में रखने के अतिरिक्त उनके लिये कुछ नहीं किया गया। इन अस्पतालों का वातावरण रोगियों तथा कर्मचारियों के लिये अत्यन्त निराशाजनक है। जो भी रोगी इन अस्पतालों में जाता था वह यही विचारधारा लेकर आता था।

इन अस्पतालों से न केवल छुट्टी मिलना मुश्किल है अपितु इनमें इनमें प्रवेश भी बड़ी कठिनाई से मिलता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है जिसके अधीन मजिस्ट्रेट को आदेश देना होता है। रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण इन अस्पतालों की स्थिति सुधरने

के बजाय खराब हो गयी है । यदि हम चाहते हैं कि इन अस्पतालों की स्थिति के बारे में जांच की जाये तो आवश्यक यह होगा कि इसकी जांच के लिये एक जांच आयोग बनाया जाये।

गत चार दशकों में मानसिक रोगियों के इलाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। समूचे विश्व में इस संबंध में काफी प्रगति हुई है और इस रोग के लिये कारगर तरीके निकाले गए हैं। शुरू में ही इलाज मिलने पर मानसिक रोगी पूर्णतया ठीक हो जाते हैं और इस तरह समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाते हैं।

अब यह आवश्यक है कि मानसिक रोगियों को इलाज यथाशीघ्र मिले। पागलपन संबंधी पुराने अधिनियम के अनुसार मानसिक रोगियों को अस्पताल में प्रवेश मिलने में कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि इस संबंध में प्रक्रिया जटिल है। अधिकांश मामलों में बहिरंग रोगियों के इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती है। यदि समुचित सुविधाएं प्रदान की जाएं तो इनके इलाज की व्यवस्था हो सकती है; पुराने अधिनियम में इस संबंध में कोई उपबन्ध नहीं है। पुराने अधिनियम में मानसिक रोगियों के इलाज के लिये "नर्सिंग होम" की व्यवस्था करने की संभावना पर विचार नहीं किया गया था।

इस विधेयक का उद्देश्य इन बाधाओं और त्रुटियों को दूर करना है। इस विधेयक में मानसिक रोगियों के इलाज की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसमें उनके इलाज के अतिरिक्त कुछ ऐसे उपबन्ध भी हैं जो उनकी संपत्ति और अन्य कामकाज के संबंध में हैं। अर्थात् इनकी संपत्ति और कामकाज की देखभाल भलीभांति की जा सके।

इस विधेयक में जहां मानसिक अस्पतालों और नर्सिंग होमस् को लाइसेंस देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, वहां समय-समय पर इनके निरीक्षण करने की व्यवस्था भी इसमें है। निरीक्षण की व्यवस्था से यह पता लग जाएगा कि व्यावहारिक दृष्टि से कार्य भलीभांति हो रहा है और मानसिक रोगियों की उपेक्षा नहीं हो रही है। विधेयक में निर्धारित मानदण्ड का उल्लंघन करके मानसिक अस्पतालों और नर्सिंग होम खोलने के लिये दण्ड की भी व्यवस्था है।

विधेयक का उद्देश्य ऐसे रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। यह चिकित्सा किसी डाक्टर अथवा परिवार के सदस्य अथवा मित्र की पहल पर 72 घंटे अथवा 10 दिन तक आपात प्रवेश द्वारा अस्पताल में की जा सकती है। यह चिकित्सा मानसिक रोगी के अस्पताल में स्वयं प्रवेश प्राप्त करके हो सकती है।

विधेयक का उद्देश्य प्राप्ति आदेश (रिसेप्शन आर्डर) संबंधी प्रक्रिया को संशोधित करना है। इसमें मैजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था की गई है। ऐसे रोगियों का, जिनका अस्पतालों में प्रवेश प्राप्त करके इलाज करना जरूरी नहीं है, इलाज बहिरंग रोगी उपचार सुविधाएं जुटाकर किया जा सकता है। इस विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि जो रोगी हिंसक नहीं हैं, उनका इलाज 'डे केयर सेंटर' में हो सकता है।

विधेयक में पुलिस को मानसिक रोगियों, जिनके साथ परिवार के सदस्य निर्मम व्यवहार करते हैं, के इलाज की पहल करने की शक्ति प्रदान की गयी है।

विधेयक में मानसिक रोगियों की संपत्ति अथवा कामकाज का प्रबन्ध करने संबंधी उपबन्ध को समुचित रूप से संशोधित करने का प्रयास किया गया है। ऐसा करना बहुत आवश्यक है।

इस हैसियत से यह एक प्रगतिशील विधेयक है जिस पर पूरी तरह से शीघ्र विचार किया जाना चाहिए।

वास्तव में यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था । भारतीय मनश्चिकित्सीय सोसायटी ने विधेयक का एक प्रारूप तैयार करके 1950 में भारत सरकार के पास भेजा था। तब से यह सोसायटी सरकार से प्रतिवर्ष इस विधेयक को पास करने के लिये आग्रह करती रही है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि संसद में अभी तक यह विधेयक पुरःस्थापित भी नहीं हो सका। अतः इसी कारण मैंने एक गैर-सरकारी विधेयक के रूप में इसे पेश किया है। हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटियां हों, और कुछ संशोधन की गंजाइश हो। यदि यह विधेयक पास हो जायेगा तो मानसिक रोगियों को काफी राहत मिलेगी। बाद में इसमें संशोधन लाये जा सकते हैं। यदि मंत्री महोदय चाहते हैं कि संशोधन अभी किये जायें, तो मंत्री जी सहमत हो सकते हैं कि हम इसे प्रवर समिति को भेजें। परन्तु मंत्री जी हमसे इस विधेयक को वापस लेने के लिये न कहें क्योंकि इसमें और भी विलम्ब होगा जो मानसिक रोगियों के हित में नहीं होगा।

मैं सभा से विधेयक पर विचार करने के लिये अनुरोध करती हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि मानसिक रूप से रोगी व्यक्तियों के उपचार और उनकी देखभाल संबंधी विधि को समेकित और संशोधन करने, उनकी संपत्ति तथा कामकाज के संबंध में और तत्संसक्त अथवा आनषंगिक विषयों के लिये अधिक अच्छा उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : पहले मुझे डा० सुशीला नायर को यह विधेयक पेश करने के लिये बधाई देनी चाहिए। मैंने पिछली लोकसभा में स्वंयं इस संबंध में पुराने अधिनियम को समाप्त करने और मानसिक रोगियों के इलाज के लिये एक विधेयक पेश करने का प्रयास किया था। अनेक बार इस मामले पर परामर्शदात्री समिति में चर्चा हुई और मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। कभी-कभी तो यह कहा गया कि विधेयक का प्रारूप तैयार हो चुका है और इसे अनुमोदन के लिये विधायी आयोग को भेजा गया है। मैंने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के काल में भी परामर्शदात्री समिति में यह मामला उठाया है। परन्तु कुछ नहीं किया गया है। गत वर्ष कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मानसिक अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा था कि इस संबंध में पुराने अधिनियम को समाप्त किया जाये, क्योंकि इस अधिनियम में मानसिक रोगियों का इलाज मानवोचित ढंग से करने की व्यवस्था नहीं है।

मानसिक रोगियों संबंधी यह अधिनियम ब्रिटिश अधिनियम के अनुसार बनाया गया है जो 1912 में लागू हुआ था जिसमें केवल 3 या 4 बार संशोधन हुआ है। ब्रिटेन की सरकार ने अपने इस अधिनियम का निरसन कर दिया है और उसके स्थान पर एक नया अधिनियम बनाया है। परन्तु हमारे देश में हमें इस मामले पर विचार करने का समय भी

नहीं मिला है जबकि इस क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इस पुराने अधिनियम को समाप्त करने के लिये बार बार कहा है। परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

अब डा० सुशीला नायर ने यह विधेयक पेश किया है। मेरा सुझाव है कि यह एक आदर्श विधेयक बनाया जाय। मंत्री महोदय इसे स्वीकार करें और दोनों सभाओं की एक संयुक्त प्रवर समिति इस पर विचार करे।

हमें परामर्शदात्री समिति में बताया गया है कि मंत्रालय ने भी विधेयक का एक प्रारूप तैयार किया है। मंत्री महोदय को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बना करके इस विधेयक को सरकारी प्रारूप के साथ एक प्रवर समिति को सौंपने के लिए सहमत होना चाहिए ताकि हमारे सामने एक ऐसा विधेयक आए जिस पर पूरी तरह से विचार हो चुका हो।

पिछले कई वर्षों से हम मानसिक रोगियों के साथ इन्सान जैसा व्यवहार नहीं करते रहे हैं। उन्हें जेलों में रखा जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से हम इस रोग का इलाज अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें इन रोगियों के साथ मानवीय ढंग से व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ्य होकर सामान्य जीवन बिता सकें।

SHRI H. L. PATWARY (Mangaldoi) : First we should find out the root cause of this disease. How a man suffers from this disease ? We should know about the circumstances leading to this disease. This Bill should be accepted and if the Hon. Minister wants he should refer it to the Select Committee.

These mentally diseased persons are creating such circumstances. Persons who are including in anti-national activities they should be declared as mentally diversed persons. These people should be kept in the mental hospitals. I would also request the minister that conditions in the Tejpur mental hospital should be improved.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हमारी आदरणीय सहयोगी डा० सुशीला नायर ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जो कार्य वह 1962 से 1967 तक अपने मंत्री काल के दौरान न कर सकीं, वह अब कर रही हैं इसके लिय वह बधाई की पात्र हैं। मेरा विचार है कि इस प्रकार का विधेयक सरकार की ओर से आना चाहिए था। जनता सरकार की नीयत बड़ी अच्छी है और उसका प्रमाण उन्होंने आज ही मीसा को समाप्त करके दिया है। यद्यपि कभी-कभी वह प्रशासन सही नहीं कर पाते हैं किन्तु उनकी नीयत बड़ी अच्छी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : हमारे दो विधेयक तैयार हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस विधेयक को सरकार की ओर से आना चाहिए था। किन्तु शायद यह भाग्य की बात है कि श्री राज नारायण के बजाय इसे भूतपूर्व मंत्री डा० सुशीला नायर प्रस्तुत कर रही हैं। अगर सरकार यह विधेयक पारित करना चाहती है तो सरकार यह कह दे कि वह सुशीला जी के विधेयक को स्वीकार करती है। मैं अपने आदरणीय स्वास्थयमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को स्वीकार कर लें और इस नियम को इस संबंध में बाधा न बनने दें कि सभी विधेयक सरकार की ओर से ही आने चाहिएं। सरकार की भावना तो सही है किन्तु उसे इस विधेयक को प्रस्तुत करने का समय नहीं मिला है। अब जबकि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों में इस विधेयक को बैलट में प्राथमिकता मिल गई है तो इस विधेयक को ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

मेरे कहने का यह अभिप्राय कतई नहीं है कि इस विधेयक को अभी पारित कर दिया जाये। अगर सदन की सहमति मिल जाती है तो इसे प्रवर समिति को प्रेषित किया जा सकता है। यदि मेरा अनुरोध मान लिया जाता है तो जनता सरकार की ओर से यह अच्छी बात होगी और साथ ही सरकार इस संसद् में एक नये इतिहास का निर्माण करेगी कि सरकार ने एक गैर-सरकारी सदस्य में विधेयक को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से एक विधेयक ब्रिटेन की संसद् में पारित किया जा चुका है। वहां के संसद् सदस्य सर एलान पी० हरबर्ट ने 1937 में विवाह और तलाक संबंधी विधेयक ब्रिटेन की संसद् में प्रस्तुत किया था और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था। उसी विधेयक को पारित कर दिया गया और वह एक अधिनियम बन गया।

सभापति महोदय : वह एक प्रसिद्ध हास्य लेखक बना। क्या सभी गैर-सरकारी सदस्य उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकार द्वारा स्वीकार करने पर हास्य लेखक बन जाते हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैं कह रहा था कि वह सफल तभी हुआ जब सरकार ने उदारता से इस विचार और सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया कि कभी-कभी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा भी विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है।

डा० सुशीला नायर ने इस विधेयक के उद्देश्य को भली प्रकार प्रस्तुत किया है। इसमें तीन बातों का उल्लेख किया गया है। मानसिक रोग संबंधी अधिनियम 1912 में बनाया गया था। अब 1978 में सारी परिस्थिति बदल गई है; विज्ञान ने प्रगति कर ली है और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ चुकी है। अतः 1912 का यह अधिनियम बहुत पुराना हो चुका है। किन्तु लोगों की और मानसिक स्वास्थय के प्रभारी प्रशासन का रुख इस संबंध में परिवर्तित नहीं हुआ है। समय बदल रहा है किन्तु मानसिक रोग अस्पतालों में मानसिक रोगियों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। हम इस प्रकार की स्थिति और नहीं बनाये रखना चाहते। इसके लिये जितना शीघ्र हो सके इस विधेयक को पारित किया जाए। मैं डा० सुशीला नायर को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का नामकरण "मानसिक स्वास्थय विधेयक, 1977" किया है। 1912 में जिसे पागलपन की संज्ञा दी गई उसे अब मानसिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जा रही है। समय परिवर्तन होने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाये कि इस विधेयक को शीघ्र ही पारित किया जाये ताकि लाखों लोग जो इन अस्पतालों में सड़ रहे हैं उनका इलाज अच्छा किया जा सके और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा सके। वह भी तो हमारे देश के नागरिक हैं अतः हम यह पहले से ही नहीं सोच सकते कि वह हमेशा के लिये पागल रहेंगे। अनेक मानसिक रोगी अस्पतालों में हैं तो अनेक अस्पतालों से बाहर हैं और प्रशासन के दोषपूर्ण रवैया और भी अनेक व्यक्तियों को मानसिक रोगी बना देगा।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि जो मानसिक रोगी हस्पतालों में इलाज नहीं पा रहे हैं वह मानसिक रोगी नहीं हैं अतः हमें ऐसे मानसिक रोगियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। अतः सरकार को इस विधेयक को प्रवर समिति को प्रेषित कर देना चाहिए।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : मानसिक रोगियों संबंधी प्रश्न के कुछ व्यावहारिक पहलू हैं। भागा हुआ मानसिक रोगी न केवल अपने लिये खतरनाक है बल्कि समाज के

लिये भी खतरनाक है। कभी-कभी ऐसे रोगियों को पुलिस भी अपनी हिरासत में ले लेती है और कई महीनों तक रखती है और उन्हें मानसिक अस्पताल में नहीं भेजा जाता है। इस प्रकार के रोगी बिना ध्यान और इलाज के ऐसे हो जाते हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। इस प्रकार की अनेक व्यावहारिक समस्याएं हैं।

मानसिक रोगियों को अस्पताल में कैसा रखा जाता है। हस्पताल में दाखिल होने के बाद मानसिक रोगी को, यदि वह हिंसक हो तो उसे एक सेल में रखा जाता है और यदि वह हिंसक न हो तो बैरक में रखा जाता है। आजकल मानसिक रोगियों को इलेक्ट्रिक शाक दिया जाता है। इस इलाज के बाद यदि वह ठीक न हो तो उसे वापिस लाया जाता है और उस समय वह वहीं रखा जाता है तथा फिर वापिस भेज दिया जाता है। कुछ समय के बाद उसे दाखिल करने से इन्कार कर दिया जाता है और वह एक मानसिक रोगी बना रहता है और समाज के लिये शरारतें करता घूमता रहता है। इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है।

कुछ मानसिक रोगी हस्पताल में ही मर जाते हैं। उन्हें किसी भी इलाज से आराम नहीं आता किन्तु उनकी मृत्यु शीघ्र नहीं होती। उन्हें हस्पताल में ही रखना पड़ता है। ऐसे रोगियों की अच्छी देखभाल के लिये अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए।

सभापति महोदय : गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर बहस के लिये $2\frac{1}{2}$ घन्टे रखे गये थे वह समय समाप्त हो गया है। क्या सदस्य इसके लिये समय बढ़ाना चाहते हैं?

डा० सुशीला नायर : आज नहीं।

सभापति महोदय : श्री सिंहा अगली बार अपना भाषण जारी रखेंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 27 मार्च, 1978/6 चैत्र, 1900 (शक) 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 27th March, 1978/ Chaitra 6, 1900 (Saka).